खण्ड-180, अंक-1
सोमवार, 30 आश्विन, शक संवत् 1878
(22 अक्टूबर, 1956 ई0)

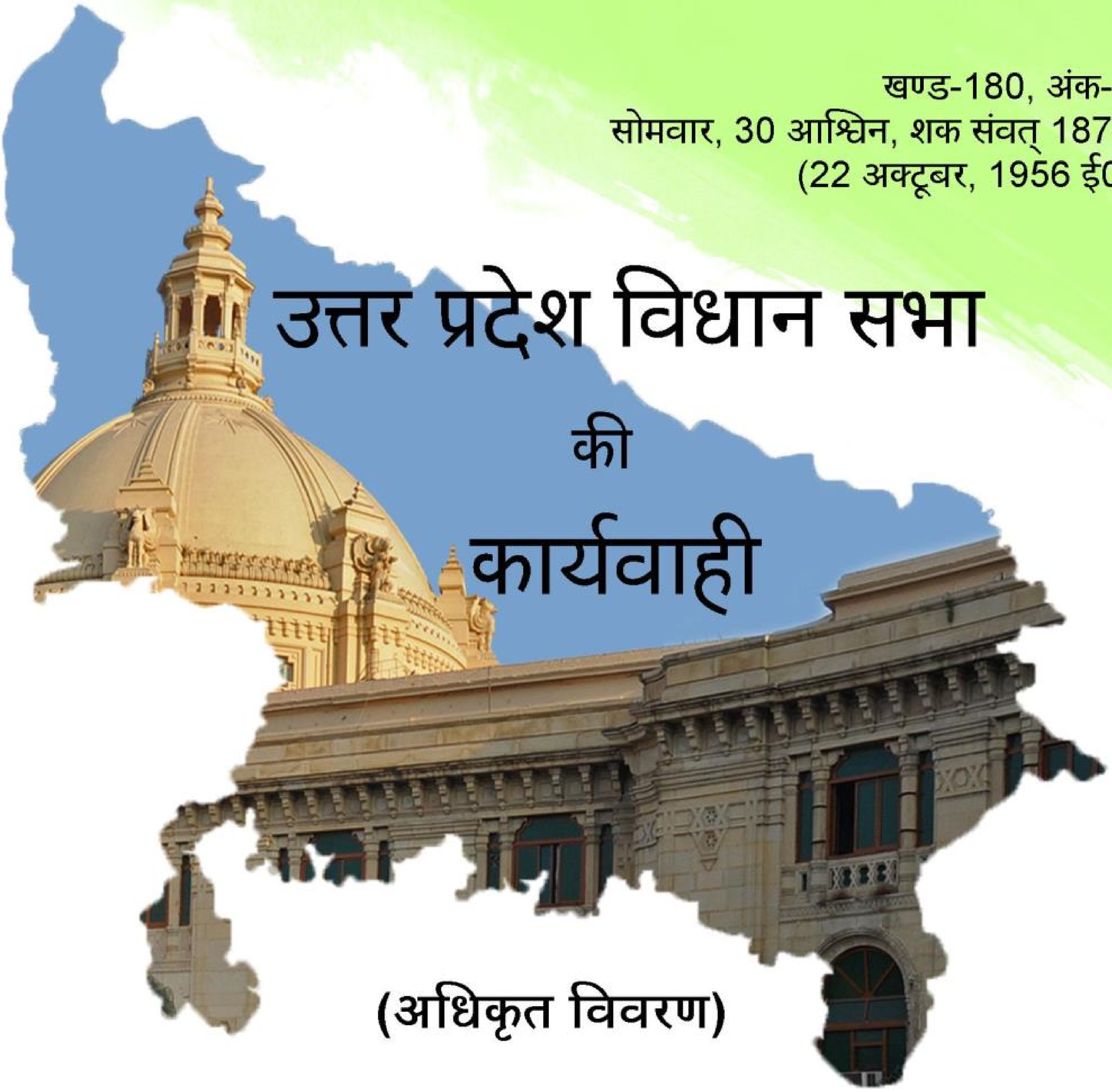

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 180 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री राजनारायण द्वारा शिक्षा मन्त्री के पत्र के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	३१
बाढ़ समिति के सम्बन्ध में परिप्रश्न	३१
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६ (श्री राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	३१
उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५६ (श्री राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	३२
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	३२
उत्तर प्रदेश मन्दिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक, १९५६ (श्री राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	३२
उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६ (पुरःस्थापित किया गया)	३२
सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी की मांग.. ..	३२–३३
विधान सभा से अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में श्री रामनारायण त्रिपाठी का प्रार्थना-पत्र (स्वीकृत)	३३–३४
इण्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५६ (संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव—स्वीकृत).. ..	३४–४६
कोआपरेटिव सोसाइटीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५६	४६
कार्यक्रम में परिवर्तन किये जाने पर आपत्ति	४६–४८
कोआपरेटिव सोसाइटीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५६ (विधेयक को विचाराधीन लेने के प्रस्ताव पर तथा उसे प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के संशोधन पर विवाद—जारी) ..	४८–७७
नत्थियां	७८–१०८

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २२ अक्तूबर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३८)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिकासिंह, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती

अमर उजाला प्रदेश

चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह, नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायणसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल ,श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह ,श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुबीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्तपाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामबचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री

अमर प्रदेश सभा

रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
बीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाबख्शसिंह, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिवबख्शसिंह राठौर, श्री
शिववचनराय, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकवदेप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम, शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २२ अक्तूबर, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

चीनी मिल मजदूरों का बोनस

**१—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि चीनी मिल मजदूरों के बोनस सम्बन्धी मामले में क्या हो रहा है ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—१९५४-५५ की ऋतु के बोनस का विवाद इलाहाबाद स्थित राज्य औद्योगिक न्यायालय के समक्ष है और १९५५-५६ की ऋतु के बोनस के विषय में जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गयी है।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि १९५४-५५ का विवाद न्यायालय में कितने दिनों से है और किस स्टेज पर है ?

आचार्य जुगलकिशोर—वह पिछले साल से है। अक्तूबर में शायद ट्रिपारटाइट कान्फ्रेंस हुई थी और यह निश्चय हुआ था कि यह मामला कोर्ट को भेजा जाय। मुझे पता नहीं कि किस स्टेज पर वह है लेकिन बाद में मालूम करके बतला सकता हूं।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय श्रम मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि उस बोनस के न मिलने की वजह से मजदूरों में बड़ा असन्तोष है और आगे सीजन में उसका बुरा असर पड़ेगा ?

आचार्य जुगलकिशोर—१९५४-५५ के बोनस के बारे में मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि एक इन्ट्रीम बोनस ५४ लाख रुपये का बांट दिया गया है और मैं समझता हूं, मुझे तो कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है कि बड़ा असन्तोष है और आगे के लिए कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी यह फैसला कोर्ट में हो जाय, उतना ही अच्छा है।

श्री गेंदासिंह—जो समिति मुकर्रर की गयी है १९५५-५६ के लिए वह कब नियुक्त की गयी थी और कब तक रिपोर्ट आ जाने की आशा है ?

आचार्य जुगलकिशोर—सितम्बर में नियुक्त की गयी थी और दो महीने के भीतर आदेश था कि अपनी रिपोर्ट दे दे।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी के कौन-कौन से सदस्य हैं और इसका टर्म आफ रिफ़्रेंस क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर—इसके सभापति लेबर कमिश्नर हैं और तीन सदस्य एम्प्लायर्स की तरफ से हैं और तीन हैं श्रमिकों की तरफ से। एम्प्लायर्स की तरफ से हैं श्री डी० आर० नारंग, श्री आर० पी० नवेटिया या उनकी गैर हाजिरी में श्री डी० आर० दाडनी० और जी० एम० मोदी। श्रमिकों की तरफ से हैं श्री के० एन० पांडेय, श्री चन्द्रिका सिंह और श्री ब्रज किशोर शास्त्री।

इसके टर्म आफ रिफरेंस में यह है कि १९५५-५६ के बोनस के बारे में वह राय दे कि किस आधार पर दिया जाय, उसको निश्चय करे और ट्रेनिंग एलाउंस जो ५६ का बाकी है उसके बारे में वह अपनी रिपोर्ट दे।

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो टर्म आफ रिफरेंस रक्खा गया है उसमें यह क्यों नहीं शामिल किया गया है कि यह बोनस किस वजह से नहीं दिया जा सका है ?

आचार्य जुगलकिशोर---मैं सवाल का पूरा मतलब नहीं समझ सका। बोनस नहीं दिया गया है इसके बारे में विचार किया जा रहा है कि किस आधार पर बोनस दिया जाय। केन क्रांशिग पर दिया जाय या बैलेंस शीट पर दिया जाय---इसी के बीच में निश्चय करना है कि कौन सा आधार होना चाहिए।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या इस समिति के टर्म्स आफ रिफरेंस में सरकार यह टर्म शामिल करने पर भी विचार कर रही है कि समिति अपना निर्णय सन १९५५-५६ के इंटेरिम बोनस के लिए भी दे ?

आचार्य जुगलकिशोर---मैं समझता हूं कि वह उसके अधिकारों में है। अगर वह समझती है कि कोई फैसला निश्चित रूप से नहीं हो सकता, जो किसी आधार पर हो सके तो सम्भव है कि इंट्रीम बोनस के बारे में भी वह सिफारिश कर सके।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कुल कितना टोटल रुपया उनके बोनस का बाकी है ?

आचार्य जुगलकिशोर---इसकी मुझे तो कोई सूचना इस वक्त में नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कोई ऐसा स्थायी प्रबन्ध करने को सोचती है, जिससे प्रत्येक वर्ष कमेटी नियुक्त की जाने की आवश्यकता न पड़े और किसी स्थायी सिद्धांत के अनुसार प्रति वर्ष स्वतः ही बोनस बांट दिया जाया करे ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां। यह मामला कोर्ट के सामने गया है और इसी खयाल से गया है कि वही कोई निर्णय कर दे जो कि आगे के लिए लागू हो सके।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतलायेगी कि १९५५-५६ के बोनस के निर्णय करने के लिए समिति इतनी देर क्यों नियुक्त की गयी, जब मिल बन्द किये गये थे तो उसी वक्त क्यों नहीं बनाई गयी ?

आचार्य जुगलकिशोर---चूंकि यह मामला लेबर कोर्ट के सामने था इस खयाल से समझा गया था कि कोर्ट अपना फैसला जल्दी दे दे। लेकिन जब यह देखा कि फैसला नहीं हो रहा है तो मुनासिब समझा गया कि एक कमेटी नियुक्त की जाय जो इस पर निर्णय करे इन्टर-मीडियेट बोनस के सम्बन्ध में और आगे क्या होना चाहिए।

श्री गेंदासिंह---सरकार ने कोई अनुमान लगाया है कि १९५५-५६ में कितना बोनस मजदूरों को देना चाहिए ?

आचार्य जुगल किशोर---जी नहीं। यह तो कमेटी के ऊपर छोड़ा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या जो टर्म्स आफ रिफरेंस सरकार द्वारा इस समिति को रिटेनिंग एलाउस के बारे में दिये गये हैं इनमें मजदूरों को सीजन अधिक बढ़ने पर समर एलाउंस भी दिया जाना शामिल है ?

आचार्य जुगलकिशोर---रिटेनिंग एलाउंस का मतलब यह है कि जो मजदूर काम करता है, वह दोबारा जब सेशन में आये, तो उनके सिलसिले में है।

कुछ कैटिगरीज उसमें ऐसी होती हैं जिनको रिटेनिंग एलाउंस देने का सवाल उठ सकता है, जो स्थायी हैं।

ईंधन पर से बिक्री-कर हटने के लिये आवेदन-पत्र

**२—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि वित्त मन्त्री महोदय को प्रदेश के लकड़ी (ईंधन) के व्यापारियों द्वारा उनकी वस्तुओं पर बिक्री-कर हटा लेने हेतु कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—ईंधन पर बिक्री कर लगाये जाने के फलस्वरूप, ईंधन पर से बिक्री कर हटा लेने के सम्बन्ध में कुछ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, लेकिन सरकार ने उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। हाल में राज्य के ईंधन के कुछ व्यापारियों का एक और आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर माननीय सदस्य और विधान सभा के कुछ अन्य सदस्यों की सिफारिशें हैं। इस आवेदन-पत्र पर सरकार यथो चित विचार करेगी।

ग्रामों में जल-वितरण तथा सफाई की योजना

**३—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के ग्रामों में जल-वितरण तथा सफाई की योजना जो १९५४–५५ में बनी थी, वह क्या है?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था करना था तथा कुछ चुने हुए गांवों में प्रयोगात्मक रूप में फ्लश (flush) वाले पाखानों का बनाना था?

**४—श्री श्रीचन्द्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि वह योजना किन-किन जिलों में किन-किन ग्रामों में लागू की गयी है?

श्री कैलाशप्रकाश—गांवों की पूरी सूची जहां यह योजना लागू की गयी है बहुत लम्बी है। यह योजना ३७ जिलों के १,७६७ गांवों में लागू की गयी है। अगर किसी खास जिले के गांवों के नामों की जरूरत हो तो उनकी सूची दी जा सकती है।

**५—श्री श्रीचन्द्र (अनुपस्थित)—इस योजना के लागू करने के लिए किन-किन बातों को आधार माना जाता है?

श्री कैलाशप्रकाश—इस योजना के अन्तर्गत नीचे लिखी बातों को आधार मान कर गांवों को छांटा गया—

(१) वे गांव जो कि सिंचाई विभाग के नलकूपों के बिलकुल नजदीक हैं।

(२) वे गांव जहां केवल पानी देने के लिए बनाये जाने वाले नल-कूपों को आसानी से बिजली मिल सके।

(३) कुछ पहाड़ी क्षेत्रों के गांव जहां पानी का अभाव हो।

(४) कुछ तराई क्षेत्रों के गांव जहां स्वच्छ पानी का अभाव हो। इन क्षेत्रों में हाथ से चलाने वाले पम्पों से पानी का प्रबन्ध किया गया।

(५) प्रयोगात्मक पाखाने उन गांवों में बनाये गये जो कि सी० पी० व एन० ई० एस० ब्लाक के केन्द्र हों ताकि इन पाखानों की उपयोगिता का प्रचार आसानी से हो सके।

श्री तेजप्रतापसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि यह जो योजना गांवों में जल वितरण के लिए बनायी गयी है वह कितने रुपये की बनी है?

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ३–५ श्री जोरावर वर्मा ने पूछे।

श्री कैलाशप्रकाश---ठीक आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन करीब ४ करोड़ के हैं।

श्री तेजप्रतापसिंह--अब तक इस योजना पर कितना रुपया खर्च किया जा चुका है?

श्री कैलाशप्रकाश--इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से जितना रुपया मिला था फर्स्ट फाइव इयर प्लान में, वह सब खर्च कर दिया गया है।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--इस योजना के व्यवहार में लाने के पश्चात् जो कुछ भी ग्रामीण जनता को अनुभव हुए हैं, उनसे वह उनके पक्ष में है या विपक्ष में अर्थात् वह इस जल-वितरण योजना को लाभकर समझती है या नहीं?

श्री अध्यक्ष--मैं राय पूछने की इजाजत नहीं दे सकता। आप कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार ने इस योजना के बारे में यह जानने का प्रयत्न किया है कि यह गांवों के लिए लाभकारी हो रही है या हानिकर हो रही है?

श्री कैलाशप्रकाश--ऐसा तो नहीं है। हां, किसी एक आध गांव से यह शिकायत मिली है कि नालियां और सड़कें ठीक नहीं बनीं, उनको बनवा दिया जाय।

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले के किन-किन गांवों में यह योजना लागू की गयी है?

श्री कैलाशप्रकाश--गांवों के नाम तो मेरे पास हैं, आप इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं, १७६७ गांव हैं।

श्री अध्यक्ष--इसकी मैं इजाजत नहीं देता।

तारांकित प्रश्न

देवरिया जिले में जूट की खेती

*१--श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--क्या सरकार इस साल देवरिया जिले में बोये गये जूट की खेती का एवरेज बतायेगी?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)--इस वर्ष १९५६-५७ में जिला देवरिया में लगभग ३,१४० एकड़ जूट बोया गया है।

*२--श्री रामेश्वरलाल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जूट की बिक्री की कोई सरकारी व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्या वह इस प्रश्न को हल करने का विचार कर रही है?

श्री हुकुमसिंह--देवरिया जिले में तमकुही रोड में जूट रेशे की बिक्री के लिये एक व्यवस्थापित मंडी है। यहां उत्तर प्रदेश तथा कलकत्ता के मिलों के प्रतिनिधि एवं स्थानीय व्यापारीगण रेशे का क्रय करते हैं। उनके लिये गोदाम निर्माण तथा प्रेसिंग मशीन लगाने के लिये आवश्यक सामग्री तथा सीमेंट लोहा की व्यवस्था कर दी जाती है। स्थानीय विभाग के कर्मचारी किसानों को कलकत्ते के भाव को बताते रहते हैं तथा इस भाव को रेडियो द्वारा नित्य प्रसारित किया जाता है। इसी प्रकार की एक मंडी पडरौना में भी गत वर्ष से चालू की गई है।

श्री रामेश्वरलाल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जूट पैदा करने वाले किसानों की सुविधा के लिये वह क्या-क्या सहायता किस-किस रूप में देने का विचार करती है और देती है ?

श्री हुकुमसिंह—उनको अच्छे क्वालिटी के बीज के लिये भी सरकार इन्तजाम करती है ताकि अच्छे किस्म का रेशा वह पैदा करें और रेशा निकालने के लिये तालाब भी जगह व जगह खोदती है। जिनको कुछ और पैसे की जरूरत होती है उनकी भी सहायता करना सरकार ठीक समझती है।

श्री रामेश्वरलाल—क्या सरकार का पूर्वी जिलों की स्थिति की तरफ ध्यान जाते हुये यह विचार है कि देवरिया जिले के तराई क्षेत्र में कोई जूट का एक्सपेरीमेंटल फार्म खोला जाय ?

श्री हुकुमसिंह—फिलहाल तो अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जूट का भाव जो बाहर के व्यापारी निश्चित करते हैं उसमें सरकार का भी कोई मश्विरा होता है ?

श्री हुकुमसिंह—सरकार का हाथ तो इसमें नहीं रहता।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जूट की अधिक पैदावार को देखते हुए तमकुही रोड में कोई जूट का कारखाना खोलने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह—सरकार कोई कारखाना नहीं खोलना चाहती।

श्री रामेश्वरलाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि केन डेवलपमेंट की तरह ही जूट डेवलपमेंट की कोई संस्था स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

श्री हुकुमसिंह—बिला संस्था के ही काफी डेवलपमेंट हो रहा है।

*३-४—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—[स्थगित किये गये।]

*५-६—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[स्थगित किये गये।]

सरकारी विभागीय अधिकारियों द्वारा यातायात विभाग की गाड़ियों का प्रयोग

*७—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यातायात विभाग की ओर से कितनी गाड़ियां किराये से सरकारी विभागीय अधिकारियों के लिये प्रयोग की जाती हैं ?

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—विभागीय अधिकारी आमतौर पर टैक्सियों का प्रयोग नहीं करते परन्तु जब कभी उनकी स्टाफकार खराब हो जाती है और मरम्मत के लिये वर्कशाप भेज दी जाती है तो जरूरी कार्यों के लिये टैक्सी का प्रयोग किया जाता है। जब कभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स आदि दौरे पर रेलवे ट्रेन द्वारा जाते हैं और अपनी स्टाफकार साथ नहीं ले जाते तो वह टैक्सी पर निरीक्षण आदि का कार्य करते हैं। अगर वह हर बार स्टाफ कार पर जायें तो सरकार को बहुत खर्चा पड़ेगा।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि लखनऊ में सरकारी विभाग के अधिकारियों को रोडवेज की जो गाड़ियां दी जाती हैं उन पर पिछले २ सालों में कितना व्यय हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी। कोई हिसाब यहां पर नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--सरकारी विभागीय अधिकारी जिन परिस्थितियों में यातायात की गाड़ियां इस्तेमाल कर सकते हैं इस संबंध में स्पष्ट कोई मत सरकार की ओर से किसी जी० ओ० में व्यक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जी० ओ० को सदन के सम्मुख रखेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये नियम बना दिये गये हैं सरकारी लोग अगर इस्तेमाल करना चाहें गाड़ियां तो किस हिसाब से उनको देना पड़ेगा। अगर वह उतना दें तो इस्तेमाल कर सकते हैं।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या सरकार को इस प्रकार की अनियमितताओं के संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल के सिलसिले में अक्सर शिकायतें सुनने को मिली है। लेकिन वह आम शिकायतें होती हैं, खास शिकायत कभी ही की जाती होगी।

झांसी जिले में अतिवृष्टि से फसल को हानि

*८--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष झांसी जिले में वर्षा का Maximum क्या है और वहां अभी तक कितनी वर्षा हो चुकी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इस वर्ष झांसी जिले में वर्षा का मैक्सिमम ७.८६ इंच है जो २४ घंटे के अन्दर ता० १०-८-५६ को ललितपुर तहसील में हुई। अब तक (७-१०-५६) इस वर्ष कुल ४३.३०३ इंच वर्षा हो चुकी है।

*९--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार को पता है कि वहां जल्दी व अतिवृष्टि के कारण किसान लोग फसल तक नहीं बो पाये हैं और जहां बो दी गई है वहां वह पानी से खराब हो रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, झांसी जिले की तहसील ललितपुर तथा महरौनी में लगातार व अतिवृष्टि के कारण खरीफ की फसल बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं बोई जा सकी तथा जो बो दी गई थी वह भी नष्ट हो गई। तहसील गरोठा के १३ ग्राम बेतवा तथा धसान नदियों के किनारे हैं उनकी फसल इन नदियों में बाढ़ आने के कारण नष्ट हो गई। अन्य तहसीलों में अधिक हानि नहीं हुई है और बादलों के खुल जाने के कारण वहां फसल की हालत सुधर रही है।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या मानमीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्षतिग्रस्त क्षेत्र के किसानों को किस प्रकार की सहायता देने की व्यवस्था की गई है या की जाने वाली है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये नियम बने हुए हैं। उन नियमों के अनुसार जिन लोगों को सहायता मिल सकती है वह दी जायगी।

श्री तेजप्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन क्षेत्रों में फसल नहीं बोयी जा सकी है या जहां नष्ट हो गई है वहां अब तक क्या सहायता दी गई और किस रूप में दी गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सहायता तो मालगुजारी में कितनी छूट होनी चाहिये इस रूप में दी जाती है और फसल जो नहीं बोयी गई वह अब दूसरी फसल बोयी जा सकती है क्योंकि अभी फिर पानी बरसा है और अब दूसरी फसल रबी की बोयी जा सकती है।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस इलाके में सस्ते गल्ले की दूकान भी सरकार ने खुलवा दी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं, इसकी जरूरत नहीं समझी गई। वहां गल्ला कुछ सस्ता होता है और ज्यादा भी होता है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि झांसी की औसत वर्षा कितनी है और इस साल कितनी ज्यादा हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—औसत वर्षा कुल जिले की तो है ३३.६९ और तहसीलवार कुछ अलग-अलग है। झांसी में छः तहसीलें हैं। चार तहसीलों में तो कहीं कहीं औसत वर्षा से बराबर या कुछ कम ज्यादा बारिश हुई है। ललितपुर और महरौनी में औसत वर्षा से अधिक पानी बरसा है।

श्री तेजप्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी के पास कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र वहां के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों से आया है कि खरीफ की फसल के नष्ट हो जाने के कारण उनके पास गल्ला नहीं है और आमतौर से किसानों के पास गल्ला न होने के कारण उन्हें क्षति उठानी पड़ रही है और परेशानी महसूस हो रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसे कोई प्रार्थनापत्र अभी नहीं आये हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस प्रकार फसल खराब हो जाने पर मालगुजारी में छूट सरकार देती है उसी प्रकार कोई ऐसा नियम भी बनाने पर वह विचार कर रही है कि अधिक वर्षा के कारण बिल्कुल अगर फसल काश्त न की जा सके तो उस पर भी कोई छूट दी जायगी ?

श्री चरणसिंह—माननीय प्रश्नकर्त्ता को मालूम होना चाहिए था कि इस तरह का नियम बना हुआ है।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो जमीन नहीं बोयी गई और अति वर्षा से हानि पहुंची वह कितने एकड़ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो बोई नहीं गई है वह जमीन महरौनी में है ६२ हजार एकड़ और ललितपुर में ८२,४७२ एकड़।

श्री तेजप्रतापसिंह—इस बात को देखते हुये कि बुन्देलखंड में आमतौर से छोटी होल्डिंग के किसानों के पास केवल एक फसल के लिये गल्ला रहता है, क्या माननीय मंत्री जी इस सुझाव पर विचार करेंगे कि जो छोटी होल्डिंग वाले क्षतिग्रस्त किसान हैं उनको कोई तकावी या गल्ला बांटने की कृपा करें।

श्री चरणसिंह—कुछ रुपया तो वहां तकावी वगैरह के लिये दिया भी गया, अगर जरूरत हुई तो हर प्रकार की रिलीफ दी जायगी। गल्ले की दूकान भी जरूरत हुई तो खोली जायगी और अगर फसल नहीं बोयी गयी तो मालगुजारी माफ हो ही जायगी।

बस्ती जिले की खलीलाबाद तहसील में दाखिल खारिज के लिये प्रार्थना-पत्र

*१०—श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती की खलीलाबाद तहसील में कितने प्रार्थना-पत्र जनवरी सन् १९५५ से जुलाई सन् १९५६ तक दाखिल खारिज के दिये गये हैं ?

श्री चरणसिंह—५,१४५।

*११—श्री रामसुन्दरराम (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त प्रार्थना-पत्र दाखिल खारिज के जो दाखिल हुये उनमें कितने पर कार्यवाही हो चुकी है और कितने शेष हैं ?

श्री चरणसिंह—सब पर कार्यवाही हो चुकी है और कोई प्रार्थना-पत्र शेष नहीं है।

*१२—श्री रामसुन्दरराम (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लेखपालों को कोई आदेश है कि अपने कागजात की नकल ग्राम सभापति को देते रहें ?

श्री चरणसिंह—जी हां, लेकिन उसी हालत में जबकि वे नकलें भूमि-प्रबन्धक समितियों को उन मुकदमों में दायर करने के लिये चाहिये जिन्हें वे अपने सरकारी कर्त्तव्यों के पालन करने के संबंध में चाहते हों।

*१३—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—[६ नवम्बर, १९५६ के लिये प्रश्न ६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

पीलीभीत में केन डेवलपमेंट के कार्य तथा केन सेस

*१४—श्री मुनीन्द्रपालसिंह (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पीलीभीत गन्ना फैक्ट्री में रोड डेवलपमेंट के लिये कितने समय से और अब तक कितना धन केन सेस द्वारा एकत्रित किया जा चुका है ?

श्री हुकुमसिंह—पीलीभीत गन्ना फैक्ट्री में रोड डेवलपमेंट के लिये केन सेस द्वारा कोई धन एकत्रित नहीं किया जाता है।

*१५—श्री मुनीन्द्रपालसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पीलीभीत गन्ना फैक्ट्री के केन सेस से कौन सा सी० सी० टैंक बनाया जा रहा है और यह टैंक गेट एरिया तक बनाया जायेगा या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह—केन सेस को किसी विशेष कार्य के लिये निर्धारित नहीं करते हैं बल्कि इसको प्रदेश की आय में मिला दिया जाता है।

*१६—श्री मुनीन्द्रपालसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला पीलीभीत में केन डेवलपमेंट ने कितने रास्ते बनाये तथा पीलीभीत गजरौला रोड का बनाया जाना कितने समय से विचाराधीन है ?

श्री हुकुमसिंह—पीलीभीत गन्ना विकास विभाग ने स्वतंत्र रूप से किसी भी सड़क का निर्माण नहीं किया है परन्तु दिउनी डेम रोड तथा पीलीभीत टनकपुर रोड को बनाने में सहायता अवश्य दी है। पीलीभीत-गजरौला सड़क पर लगभग दो साल से बराबर कार्य हो रहा है।

बस्ती जिले की बांसी तहसील के बेलहर जंगल में बिजली गिरने से मृत्यु

*१७—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार को ज्ञात है कि तहसील बांसी (बस्ती) के बेलहर जंगल का नापजोख करते समय एक कानूनगो और एक अमीन की मृत्यु बिजली गिरने से हो गई और हल्के का लेखपाल तथा फारेस्ट गार्ड बुरी तरह से घायल होकर अस्पताल में पड़े हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सत्य है कि तहसील बांसी (बस्ती) के बेलहर जंगल की नाप जोख करते समय एक कानूनगो और एक अमीन की मृत्यु बिजली गिरने से हो गयी। घटना-स्थल पर श्री हरद्वार लाल लेखपाल, एक फारेस्ट गार्ड तथा २ चेनमैन भी उपस्थित थे। इन व्यक्तियों पर भी बिजली गिरने का प्रभाव पड़ा, किन्तु फारेस्ट गार्ड को ही अस्पताल में प्रविष्ट करने की आवश्यकता हुई।

*१८—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार सरकारी कर्त्तव्य पालन करते हुये मरने वाले उपर्युक्त दोनों सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को पेन्शन देने पर विचार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मृत कानूनगो की विधवा ने पेंशन की प्रार्थना की है जो विचाराधीन है। अन्य मृत व्यक्तियों के आश्रित यदि ऐसी कोई प्रार्थना करेंगे तो उस पर भी नियमानुकूल विचार किया जायगा।

श्री राजाराम शर्मा—क्या इस आर्थिक वर्ष में पेंशन उस कानूनगो की विधवा को, जिसने दरख्वास्त दी है, मिल जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उस पर विचार हो रहा है। नियमानुकूल जल्दी फैसला उस पर होगा।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो व्यक्ति अस्पताल में दाखिल है, वह किस के मातहत दाखिल है और दवा सरकार की तरफ से हो रही है या उसको स्वयं मंगानी पड़ती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, वहां के अस्पताल में दाखिल है और उसी अस्पताल से दवा दी जा रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जिन नियमों के अनुसार इन अर्जियों पर "नियमानुकूल विचार हो रहा है" वे क्या हैं, क्या सरकार कृपया बतायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—नियम मैनुअल में दिये हुए हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—वे क्या नियम हैं ?

श्री अध्यक्ष—स्वयं आपको मैनुअल को पढ़ना चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानूनगो और अमीन की मृत्यु कब हुई थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जब बिजली गिरी तभी हुई थी।

जमींदारी बांड्स की सिक्योरिटी पर तकावी देने का आदेश

*१९—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जमींदारी बान्ड्स की सिक्योरिटी के सम्बन्ध में और तकावी जमींदारी बान्डों पर दो बटा तीन (२/३) नकद देने के सम्बन्ध में उसने कोई फैसला किया ? अगर हां, तो क्या ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। सरकार ने यह फैसला किया है कि तकावी के लिये जमींदारी बांड सिक्योरिटी में देने पर इन बांडों के पृष्ठ मूल्य (face value) के २/३ भाग तक तकावी की रकम दी जावेगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार ने इस फैसले के मुताबिक आदेश जिलाधीश के पास भेज दिये हैं? अगर भेज दिये हैं तो वह कब भेजे गये?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, भेज दिये गये हैं और यह फैसला लेने के बाद ही भेज दिये गये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार को यह मालूम हुआ है कि इन आदेशों के मुताबिक काम होने लगा है या नहीं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जब ऐसी मांग की जायगी तो जरूर काम होगा। काम होने के लिए ही आदेश दिये गये हैं।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार बतायेगी कि यह तकावी केवल कृषि के उद्योग के लिए ही दी जायगी या और मकसदों के लिए?

श्री चरणसिंह—हर उस काम के लिए जिसके लिए तकावी दी जाती है।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार को मालूम हुआ है कि इन बांड्स की कीमत ५० रुपया प्रतिशत है, और अगर ऐसा है तो फिर दो-तिहाई क्यों दी जाती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इनकी कीमत अलग-अलग जगह पर अलग-अलग है जैसा कि आपने कहा कहीं ५२ रु०, कहीं ५० रुपया है। बाजारू कीमत बढ़ जाय, इसीलिए यह व्यवस्था की जायगी।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि आजकल इन जमींदारी बांड्स की कीमत ५० रुपया प्रतिशत के करीब है? क्या आज इसका भाव बढ़ाने का गवर्नमेंट कोई सक्रिय प्रयास कर रही है?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री केशव गुप्त—जब बाजारू कीमत ५०–५२ परसेंट है तो क्या गवर्नमेंट इन घाटों को बरदाश्त करने के लिए है जो दो-तिहाई कीमत इसके लिए देने से होगी?

श्री चरणसिंह—गवर्नमेंट को इसमें कोई घाटा नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट समझती है कि इसका भाव ६६ रुपये नहीं बल्कि, ७०, ७५ और ८० रुपये होना चाहिये।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—क्या सरकार का आदेश महज सिक्योरिटी के रूप में तकावी के लिये है या अन्य विभागों के लिये भी है जहां कि सिक्योरिटी डिपाजिट होती है, वहां भी आदेश गये हैं?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी के लिये।

आगरा जिले में बस सर्विस

*२०—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आगरा शहर और जिले में किन-किन सड़कों पर अभी तक केवल प्राइवेट बसें चलती हैं और किन-किन सड़कों पर गवर्नमेंट रोडवेज की बसों के साथ-साथ प्राइवेट बसों को चलाने की इजाजत है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आगरा शहर और जिले में निम्नलिखित मार्गों पर अभी तक केवल प्राइवेट बसें चलती हैं।

(१) आगरा-इरादतनगर	..	..	८ बसें
(२) आगरा-जलेसर-खन्डा	..	..	६ बसें
(३) आगरा-शमशाबाद-इरादतनगर	..	..	१ बस
(४) फीरोजाबाद-कोटला	..	..	४ बसें
(५) आगरा फराह वाया बिचपुरी तथा बयारा			२ बसें

आगरा शहर व जिले में निम्नलिखित मार्गों पर गवर्नमेंट रोडवेज की बसों के साथ २ प्राइवेट बसें भी चलती हैं:

(१) आगरा-शमशाबाद	..	..	२ बसें
(२) आगरा-सगनेर-तांतपुर	..	..	२ बसें

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कारण बतलाने की कृपा करेगी कि जिनके आधार पर अगर शमशाबाद और आगरा-जगनेर रोडस पर गवर्नमेंट बसेज के साथ साथ प्राइवेट बसेज भी चलती हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इन मार्गों को लेने के लिये गर्जेंट किया गया था लेकिन प्राइवेट औपरेटर्स ने अपना केस हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया है। इसलिये अभी उनकी बसेज भी चल रही हैं।

बस्ती जिले की डुमरियागंज तहसील के सूखा क्षेत्र में सहायता

*२१—श्री रामलखन मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती के उत्तरी राप्ती क्षेत्र में सूखा का प्रभाव अधिक हुआ है ? यदि हां, तो किस मात्रा में तथा सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—तहसील डुमरियागंज जिला बस्ती के उत्तर राप्ती क्षेत्र में सूखा से फसल को कुछ हानि अवश्य हुई है। धान को अधिक और जड़हन को कम। हानि का अनुमान क्वारी धान को ८ आना प्रति रुपया तथा जड़हन को ४ आना प्रति रुपया है। हानि की मात्रा के अनुसार मालगुजारी में मदद (relief) दी जायेगी, तथा टेस्ट वर्क भी खोला जायेगा। अहेतुक सहायता तथा तकावी भी आवश्यकतानुसार वितरित की जायेगी। सस्ते गल्ले की दूकानें भी खोली गई हैं।

*२२—श्री रामलखन मिश्र—क्या सरकार इस क्षेत्र में सस्ते गल्ले की दूकान तथा टेस्ट वर्क खोलने पर विचार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जा रही हैं तथा टेस्ट वर्क बरसात के बाद खोले जायेंगे।

श्री रामलखन मिश्र—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि क्षति के अनुमान में अंतिम कुवृष्टि को ध्यान में नहीं रखा गया है। इससे मेरा मतलब यह है कि हस्थि नक्षत्र के अन्त में और चित्रा के प्रारम्भ में ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह विचार तो जरूर किया जा रहा होगा। लेकिन ज्योतिष का सवाल क्या है, इसे वह खुद लोगों को समझा दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री धनुषधारी पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब जड़हन की कटाई नहीं हुई है तो नुक्सान का अनुमान किस तरह से लगा लिया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अक्ल से लगा लेते हैं।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सस्ते गल्ले की दुकानें डुमरियागंज तहसील में किन-किन मुकामों पर खोली गई हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सूखा के बाद जो जोर से पानी बरसने से फसल बरबाद हुई और खरीफ का नुक्सान १६ आने माना जाता है तो सरकार उसकी जांच करायेगी और क्षति के मुताबिक छूट देने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह--माननीय सदस्य ने शायद इस पर ध्यान से विचार नहीं किया है क्योंकि जो नुक्सान हुआ है उसको लगा कर ही छूट दी जायगी । यही जवाब दिया गया ।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार सफाई करने की कृपा करेगी कि सूखा के बाद का तो क्षति का उसने अनुमान लगा लिया है और जो अतिवृष्टि के कारण फसल नष्ट हुई है उसका अनुमान लगा चुकी है या लगाना बाकी है ?

श्री चरणसिंह--इसका भी अनुमान लगाया जायगा । हर तरह के नुकसान का अनुमान लगाया जायगा चाहे वह कुवृष्टि से हो या अनावृष्टि तथा सूखा से हो ।

खीरी जिले की निघासन तहसील में नदी से भूमि के कटाव के कारण क्षतिपूर्ति

*२३--श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा बतायेगी कि सन् १३६२ तथा १३६३ फसलों में तहसील निघासन, जिला खीरी के कितने ग्रामों की दरियाबुर्दी तथा बाढ़ के कारण कटने की सूचना मिली है ?

श्री चरणसिंह--तहसील निघासन जिला खीरी में सन १३६२ फसलों में क्रमशः ३५ तथा ३६ गांवों के बाढ़ से दरिया बुर्दी की सूचना मिली थी ।

*२४--श्री जगन्नाथप्रसाद (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उपर्युक्त किन-किन ग्रामों के निवासियों ने कृषि के लिये भूमि देने तथा दूसरे स्थान पर बसाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये ?

श्री चरणसिंह--सन १३६२ फसली में केवल २ ग्रामों के बिजहा तथा छदुई पतिया के निवासियों ने भूमि के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था । सन १३६३ फसली में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

*२५--श्री जगन्नाथप्रसाद (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उपर्युक्त किन-किन गांवों के लोगों को कृषि के लिये भूमि दिलाई गई तथा किन-किन गांवों के लोगों को ऊपर बसाया गया ?

श्री चरणसिंह--ग्राम बिन्जहा तथा छदुई पतिया के लोगों को कृषि के लिये भूमि दी गई तथा ग्राम मंडवा, जंगल महेरा तथा ईसापुर को ऊंची भूमि पर बसाया गया ।

बलिया जिले में "सीरसरकार" तथा 'आराजी गुलौरा' ग्रामों में दरियाबुर्द क्षेत्र से मालगुजारी की वसूली

*२६--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले को "सीर सरकार" तथा आराजी गुलौरा ग्राम में पड़ने वाले दरियाबुर्द खेतों की मालगुजारी रसड़ा तहसील के कुर्क अमीन तथा नायब तहसीलदार लगभग ३ साल से वसूल कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--बलिया जिले के रसड़ा तहसील के "सीर सरकार" तथा "आराजी गुलौरा" ग्राम में दरिया बुर्द क्षेत्र की मालगुजारी पिछले तीन वर्षों से वसूल हुई है।

जमींदारी विनाश तथा भूमि सुधार नियम २०५ ब के अनुसार मालगुजारी कम करने के नक्शे तैयार हो चुके हैं और शीघ्र ही अग्रिम आदेश होने पर मिनहाई मालगुजारी की कार्यवाही की जावेगी।

इस सम्बन्ध में यह कहना अनिवार्य है कि सम्बन्धित काश्तकारान इस बात के लिये उत्सुक थे कि उनके नाम जमीन बनी रहे इसी हेतु उन्होंने लगान अपनी खुशी से दिया। मालगुजारी वसूली के लिये कोई तदारुकात आदि (Coercive processes) जारी नहीं किये गये।

*२७--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दरियाबुर्द खेतों की मालगुजारी जो वसूल की गई है उसे वे सूद सहित किसानों को वापिस करने की अतिशीघ्र व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--उक्त दरियाबुर्द ग्राम के काश्तकारों से अधिक वसूल हुई मालगुजारी उन्हें वापस दी जायेगी या अगले वर्ष की लगान में मिनहा कर दी जायेगी।

नियम में सूद देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--अध्यक्ष महोदय, इस उत्तर में किसी मंत्री महोदय का नाम नहीं छपा है कि किस मंत्री ने इसका उत्तर दिया।

श्री अध्यक्ष--यह बात सही है। मंत्री जी के हस्ताक्षर होने चाहियें। मंत्री जी बतावेंगे कि क्या बात हो गई।

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह इत्तफाक से रह गया है। माल मंत्री, श्री चरण सिंह की ओर से यह उत्तर है।

श्री अध्यक्ष--(श्री रामसुन्दर पांडेय से) तो आप मान लीजिये इसको कि उत्तर मंत्री जी की ओर से ही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--बहुत अच्छा। क्या माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन दो गांवों की मालगुजारी उन खेतों की कितनी है जो दरियाबुर्द हो गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह तो इस वक्त नहीं है, नोटिस की जरूरत होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि इन दो गांवों के किसानों ने जिलाधीश और वहां के परगना हाकिम के पास बार-बार इस तरह की शिकायत की कि दरियाबुर्द खेतों की मालगुजारी न वसूल की जाय मगर वह फिर भी वसूल की गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसी कोई इत्तिला नहीं है।

श्री गेंदासिंह--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जमीन दरिया से कट कर गिर जाती है उसकी इत्तला नियम के मुताबिक कितने वर्षों के बाद सरकार के पास आनी चाहिये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--नियम के मुताबिक पटवारी को कटाव के बाद खरीफ की पड़ताल हो जाने पर ही इत्तिला कर देनी चाहिये लेकिन काश्तकार भी मुकदमा दायर कर सकता है। उसको इत्तला करनी चाहिये और मालगुजारी कम करा लेनी चाहिये।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस मामले में दरिया से जमीन कट जाने की इत्तला उसे कब मिली ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इत्तला तो जिले में होती है। लेकिन देर शायद इस कारण हो गयी कि पटवारी और काम में लगे होंगे।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार इस प्रकार का आदेश निकालने की कृपा करेगी कि जो जमीन दरिया से कट जाय उसकी इत्तिला फौरन सरकार को कर दी जाय और फिर मालगुजारी वसूल करने के झंझट में सरकार न पड़े ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसे आदेश हैं कि हमेशा जब पड़ताल होती है उसके बाद रिपोर्ट होनी चाहिये।

बस्ती जिले की खलीलाबाद तहसील की नई इमारत पर खर्च

*२८--श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खलीलाबाद (बस्ती) के लिये जो नई तहसील बन रही है उसके लिये सरकार से कुल कितने रुपये का बजट सर्वप्रथम स्वीकार हुआ था और उसमें से कितना खर्च हो चुका है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--बस्ती जिले की खलीलाबाद तहसील की इमारतों के लिये २,५०,००० रुपये का बजट सरकार ने स्वीकार किया था जिसमें से इमारत का मुख्य खंड बनवाने पर ८१,४१५ रु० खर्च हो चुका है।

*२९--श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस इमारत के साथ और कोई क्वार्टर चपरासियों तथा तहसीलदार और गारद के रहने के लिये अभी तक नहीं बने हैं जिससे बड़ी असुविधा होती है ? क्या सरकार इस वर्ष इस काम को पूरा कर लेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--तहसीलदार, चपरासियों व गारद आदि के रहने के लिये क्वार्टर बनाने के लिये एस्टीमेट बन गया है जो कुछ सुधारों के हेतु जिलाधीश को वापस कर दिया गया है। एस्टीमेट के मंजूर हो जाने के बाद तथा रुपया स्वीकृत हो जाने पर काम प्रारम्भ कर दिया जायगा। इस साल इस कार्य के लिये बजट में कोई अनुदान नहीं है।

श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ८१,४१५ रुपये के अलावा शेष रुपये क्यों लैप्स हो गये और खर्च नहीं किये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह तो बता दिया गया है कि दूसरे एस्टीमेट्स भी तैयार हैं और वह रुपया उनमें खर्च किया जायगा।

श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गारद आदि के लिये क्वार्टर्स न बनने से सरकार के काम में बड़ी असुविधा होती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, असुविधा होती है इसी कारण ये बनाये जा रहे हैं।

*३०-३१--श्री मोहनलाल वर्मा--[३० अक्तूबर, १९५६ के लिये प्रश्न ६९-७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

देवरिया जिले में छोटी गंडक नदी से जमीन के कट जाने के कारण वेलवनिया ग्रामवासियों को भूमि का दिया जाना

*३२--श्री रामेश्वरलाल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देवरिया जिला के देवरिया थाना के छोटी गंडक नदी से कटा गांव वेलवनिया को बसाने के लिये भूमि प्रदान कर दी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा-- जी हां।

श्री रामेश्वरलाल—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि बेलवनिया ग्राम के कितने किसानों को जमींन दी गई है और कितनी कितनी दी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिन्होंने दरख्वास्तें दी थीं उन सबको जमींनें दी गई हैं। कितनी-कितनी दी गई हैं, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामेश्वरलाल—क्या अलवनिया के पूरे ग्राम को बसाने के लिये जमींन दी गई है या उनमें से कुछ को ही दी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये भी नोटिस की जरूरत होगी।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि बेलवनिया ग्राम के निवासियों ने कुछ दिन पहले माननीय मुख्य मंत्री जी के पास इस आशय का प्रार्थना-पत्र भेजा था कि जमींन प्राप्त करने के बाद भी आर्थिक संकट के कारण वे घर नहीं बना सके हैं और जमींन बेकार पड़ी हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—दिया होगा लेकिन अभी इसकी मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

एटा-मैनपुरी लाइन पर सरकारी बस सर्विस की आवश्यकता

*३३—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा-मैनपुरी लाइन पर सरकारी बसें कब चलेंगी और अभी तक इस लाइन पर सरकारी बसें न चलने के क्या कारण हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—एटा-मैनपुरी लाइन पर सरकारी बसें चलाने का विचार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में है। यह मार्ग पहले उत्तर प्रदेश राजकीय पथ परिवहन अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत घोषित किया गया था परन्तु उस अधिनियम के, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दूसरा खिलाफ कानून प्रख्यापित हो जाने के कारण इस लाइन पर सरकारी बसें अभी तक नहीं चलाई जा सकीं।

जौनपुर जिले में शरणार्थियों को बसाने की व्यवस्था

*३४—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में अब तक कुल कितने शरणार्थी आ चुके हैं ?

श्री हुकुमसिंह—जौनपुर जिले में इस समय लगभग ६२० शरणार्थी हैं।

*३५—श्री बाबूनन्दन (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त शरणार्थियों के लिये सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री हुकुमसिंह—उनको बसाने के लिये सरकार ने व्यापार के लिए ऋण, खेती के लिये भूमि और ऋण और उद्वासित छात्रों को पढ़ाने के लिये सहायता आदि की व्यवस्था की है।

*३६—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[स्थगित किया गया।]

गाजीपुर जिले की जमनियां तहसील के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र को सहायता

*३७—श्री भोलासिंह यादव (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर तहसील जमनियां में इस वर्ष बाढ़ से कितने गांव जलमग्न थे और उनके नाम क्या हैं ?

श्री चरणसिंह—जिला गाजीपुर की तहसील जमनियां के कुल १७१ गांव इस वर्ष बाढ़ से प्रभावित हुये थे जिनमें से १०२ ग्राम जलमग्न थे। प्रभावित ग्रामों के नाम संलग्न सूची १ में दे दिये गये हैं।

(देखिये नथी 'क' आगे पृष्ठ ७८–७९ पर)

*३८—श्री भोलासिंह यादव (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर तहसील जमनियां में बाढ़ से क्षति-ग्रस्त गांवों को क्या सहायता दी गई है और कितनी-कितनी ?

श्री चरणसिंह—जिला गाजीपुर की तहसील जमनिया के क्षति-ग्रस्त ग्रामों को जो सहायता दी गई है वह संलग्न सूची २ में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८० पर)

आजमगढ़ जिले के महुला गढ़वल बांध में पड़ी हुई जमीन की मालगुजारी

*३९—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि आजमगढ़ जिले के महुला गढ़वल बांध में पड़ी हुई जमीन की मालगुजारी उसके सीरदारों या भूमिधरों से वसूल की जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं।

*४०—श्री उमाशंकर—यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मालगुजारी की वसूली कितने वर्षों से रुकी हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि अभी तक मालगुजारी किसान ही अदा करते हैं और यह जमीन अभी तक ऐक्वायर नहीं की जा सकी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसका तो जवाब दिया जा चुका है कि मालगुजारी नहीं ली जा रही है।

*४१—श्री नारायणदत्त तिवारी—[स्थगित किया गया।]

बरेली जिले में गन्ना-समितियों द्वारा दिया गया कर्ज

*४२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि बरेली जिले में गन्ना विभाग द्वारा बड़े-बड़े कर्ज फार्म वालों को दिये गये हैं ? अगर हां, तो उनमें से कितनी-कितनी रकमें वसूल हो चुकीं और कितनी बकाया हैं ?

श्री हुकुमसिंह—जी हां। पिछले पांच वर्षों में (१९५१–५२ से १९५५–५६ तक) २,५५,५३० रु० ३ आ० ६ पा० गन्ना-समितियों द्वारा कर्ज के रूप में दिया गया। उसमें से १,१७,८७० रु० ६ आ० ३ पा० वसूल हो चुका है और लगभग १,३७,६५९ रु० १३ आ० ३ पा० वसूल होना शेष रह गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इस बकिया धनराशि में सब से पुराना धन कितने वर्षों से बाकी है ?

श्री हुकुमसिंह---ठीक तारीख तो नहीं बताई जा सकती, इन्हीं पांच वर्षों के बीच में हो सकता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी उन फार्मों के नाम पढ़ने की कृपा करेंगे जिन पर सब से अधिक बाकी है ?

श्री हुकुमसिंह---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन फार्मों का स्वरूप क्या है । क्या जो सौ एकड़ के हों उनको ही या छोटे-छोटे काश्तकारों को भी कर्जा दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह---यूनियन के जो सदस्य होते हैं उनको दिया जाता है ।

यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज वर्कर्स यूनियन की चौथी वार्षिक कान्फ्रेंस, मथुरा के प्रस्ताव

*४३---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसके पास यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज वर्कर्स यूनियन की चौथी सालाना कान्फ्रेंस मथुरा के ८ जुलाई, १९५६ के प्रस्ताव यूनियन के कार्यकर्ताओं के विक्टिमाईजेशन (victimization) वगैरह के आये हैं ? अगर हां, तो सरकार उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां । यूनियन ने सर्वश्री बाबूराव तथा रामगोपाल ड्राइवरों की बदली के बारे में लिखा था । इन ड्राइवरों की बदली साधारण रूप में हुई है और इसका कोई महत्व नहीं है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन दोनों के ट्रांसफर के बाद उन्हें नौकरी से मुक्ति का नोटिस तो नहीं दिया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी नहीं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उसके पास यूनियन के बाकी प्रस्ताव, जो पांच या छः हैं वह आये हैं या नहीं ? या केवल यही आया है उनके ट्रांसफर के बारे में ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---प्रस्ताव तो आये होंगे लेकिन अभी मेरे पास नहीं हैं । यह सवाल पूछा गया था, इसी की बाबत इसमें नोट है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल जो पूछा गया था और जो जवाब हुआ है वह मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है । मैंने सवाल पूछा था कि क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसके पास यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज वर्कर्स यूनियन की चौथी सालाना कान्फ्रेंस मथुरा के ८ जुलाई, १९५६ के प्रस्ताव, यूनियन के कार्यकर्ताओं के विक्टिमाईजेशन वगैरह के आये हैं ? अगर हां, तो सरकार उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--- मैंने अर्ज किया कि प्रस्ताव आये हैं, लेकिन यह जो दो बातें हुई हैं, जिनकी बाबत माननीय सदस्य जानना चाहते थे, उन्हीं की बाबत यहां उत्तर दिया गया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार के पास यह प्रस्ताव भी आया है कि यूनियन के कार्यकर्ताओं को सामान्यतया एक रीजन से दूसरे रीजन में आम तौर पर ट्रांसफर किया जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--प्रस्ताव इस प्रकार के होते हैं कि विक्टिमाईजेशन किया जा रहा है लेकिन वाकया यह नहीं है। आम तौर पर लोगों को ट्रांसफर नहीं किया जाता है। जहां पर जरूरत होती है डिस्पिलिन के कारण या और दूसरे कारणों से वहीं पर ट्रांसफर किया जाता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एक प्रस्ताव में इस बात की भी शिकायत है कि जो लोवेड कर्मचारी हैं उनका रीजनल ट्रांसफर किया जाता है और इससे उन्हें बड़ी तकलीफ होती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा-- प्रस्ताव भी होगा, लेकिन यह सही बात है। जो छोटी तनख्वाह के आदमी हैं, कर्मचारी हैं उन्हें इन ट्रांसफरों से ज्यादा तकलीफ हो सकती है, लेकिन कभी-कभी ऐसी जरूरत होती है कि उनको ट्रांसफर करना पड़ता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को सूचना है कि बाबूराव और रामगोपाल, आगरा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के प्रमुख कार्यकर्ता थे, सेक्रेटरी आदि ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि क्या उस प्रस्ताव द्वारा सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि जिन लोगों का ट्रांसफर एक रीजन से दूसरे रीजन में होता है उनमें ५० फीसदी से अधिक लोगों को एक महीने का नोटिस दे दिया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जिनका ट्रांसफर नहीं होता उनको भी नोटिस दिया जाता है और ट्रांसफर होने की वजह से कोई आदमी नोटिस से बच नहीं सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को यह सूचना होने पर कि बाबूराव और रामगोपाल यूनियन के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनके ट्रांसफर के बारे में वह पुनर्विचार करेगी ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं, हरगिज नहीं।

जौनपुर जिले के ऊसरहटा गांव में गोवध

*४४--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार को इस बात की सूचना प्राप्त हुई है कि जौनपुर जिले के थाना शाहगंज के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर गो-वध होता है और हाल में ही वहां के सब-इन्स्पेक्टर पुलिस ने बड़ी तादाद में ऐसी गायों के चमड़े तथा गो-वध के लिये लाई गई गाये बरामद की हैं ?

श्री हुकुमसिंह--जी हां, थाना शाहगंज के ऊसरहटा गांव में गोवध होने की सूचना सरकार को प्राप्त हुई है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सब-इन्स्पेक्टर, पुलिस ने कोई तलाशी ली थी और किस तारीख को और कौन-कौन सामान और कितनी खालें तादाद में प्राप्त हुई हैं ?

श्री हुकुमसिंह--तलाशी ली थी और कुछ खालें भी बरामद की हैं लेकिन उनकी तादाद बतलाना इस वक्त मेरे लिये मुमकिन नहीं है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उसी वाकये के सिलसिले में सब इन्सपेक्टर पुलिस लाइन को हाजिर किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह-- कुछ हैरेसमेन्ट की शिकायत थी जिससे ऐसी कार्यवाही की गयी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या जो तलाशी में सामान बरामद हुआ उस सिलसिले में मुकदमा अदालत में भेजा गया ?

श्री हुकुमसिंह--भेजा जा चुका है।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस प्रकार की शिकायतें प्रान्त के और किसी भाग से भी प्राप्त हुई हैं ?

श्री हुकुमसिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो हैरेसमेंट की शिकायत थी जिसके ऊपर सब-इन्सपेक्टर को लाइन हाजिर किया गया उसके बारे में डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी उनके खिलाफ हुई या नहीं, अगर हुई तो उसकी क्या रिपोर्ट है ?

श्री हुकुमसिंह--इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

चकबन्दी योजना में लिये गये जिले

*४५--श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)-- क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में चकबन्दी योजना प्रदेश के किन-किन जिलों में लागू की जायेगी और कब से ?

श्री चरणसिंह--चालू वित्तीय वर्ष में २ अक्तूबर, १९५६ से चकबन्दी योजना प्रदेश के जिला फतेहपुर, गोरखपुर, गाजीपुर, बाराबंकी और इटावा में लागू कर दी गई है।

गोंडा जिले की बलरामपुर तहसील में लेखपालों की कथित बरखास्तगी

*४६-श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल (अनुपस्थित)--क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोंडा जिले की बलरामपुर तहसील में पिछले दो वर्षों में कितने लेखपालों की नौकरियां पुराने पटवारियों के दुबारा बहाली के कारण समाप्त की गई ? उनमें क्या कोई हरिजन भी था तथा नौकरी से इस प्रकार पृथक किये गये किन-किन लेखपालों को पुनः जगहें दी गयीं ?

श्री चरणसिंह--गोंडा जिले की बलरामपुर तहसील में पिछले दो वर्षों-जुलाई १९५४ से जून १९५६ में किसी भी लेखपाल की नौकरी पुराने पटवारियों की बहाली के कारण नहीं समाप्त की गयी।

*४७--श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)--[स्थगित किया गया।]

आगरा रोडवेज के कर्मचारियों की कथित मांगें

*४८--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (अनुपस्थित)--क्या सरकार के पास आगरा रोडवेज के कर्मचारियों की ओर से कुछ मांगें अपने (service conditions) के संबंध में आई हैं ? यदि हां, तो वे मांगें क्या हैं और उन पर सरकार ने क्या निर्णय किये ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं।

*४९—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने रोडवेज के कर्मचारियों की किसी यूनियन को मान्यता दी है ? यदि हां, तो किसको ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

बुलन्दशहर जिले में मोटर ट्रकों के परमिट देना

*५०—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले में सन् १९५५ व १९५६ में कितने-कितने मोटर ट्रकों के परमिट दिये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—बुलन्दशहर जिले में सन् ५५ व ५६ में क्रमशः १८ व ७१ मोटर ट्रकों के परमिट दिये गये।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन ट्रक्स के परमिट देने का उनका क्या आधार था ?

श्री चरणसिंह—जिसको रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी देना मुनासिब समझती है, उसको देती है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कुछ राजनैतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र आये हैं और यदि आये हैं तो उनको इनमें से कितने परमिट दिये गये ?

श्री चरणसिंह—यह तो मालूम नहीं है कि कितने को दिये गये लेकिन राजनैतिक पीड़ित होना अब परमिट के लिये कोई क्वालिफिकेशन हाईकोर्ट के जजमेंट के मुताबिक रह नहीं गयी है।

श्री तेजप्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी जो परमिट देती है इनकी सहायता के लिये कोई एडवाइजरी कमेटी भी होती है? यदि हां, तो वह किस आधार पर बनायी जाती है ?

श्री चरणसिंह—अथारिटी खुद ही कमेटी है।

*५१-५३—श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)—[स्थगित किये गये।]

गोरखपुर जिले में घाघरा के किनारे गांवों में कथित भुखमरी

*५४—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार को सूचना मिली है कि गोरखपुर जिले में घाघरा नदी के तटवर्ती कतिपय ग्रामों में (उदाहरणार्थ गगहा आदि) भुखमरी से कई मौतें हुई हैं ?

श्री चरणसिंह—भुखमरी से मृत्यु की कुछ शिकायतें जिलाधीश गोरखपुर को मिली थीं, परन्तु जांच के बाद ये शिकायतें निराधार सिद्ध हुईं।

*५५—श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)—यदि हां, तो सरकार उन गांवों तथा वहां भुखमरी से मरने वालों के नाम बतायेगी ?

श्री चरणसिंह—यह प्रश्न ही नहीं उठता।

*५६—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि उसकी ओर से इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री चरणसिंह—ग्राम बगहा, बरडीहा, खैराटी और कोलखास का कुछ अंश घाघरा नदी के कटाव से कट गया है और इन ग्रामों की आर्थिक स्थिति विषम हो गई है। सरकार की ओर से इस विपत्ति का सामना करने में ग्रामवासियों की हर संभव उपाय से सहायता

की गयी है। ग्राम बगहा को पुनः सुरक्षित स्थान पर बसाया गया है। गांव का धरातल ऊंचा किया गया है। इस कार्य में तथा टेड़िया नाला पर बांध बनाने के सिलसिले में पीड़ित व्यक्तियों को काम दिया गया है। इसके अतिरिक्त लोगों को अहेतुक सहायता तथा मकान बनाने के लिये सहायता आदि दी गयी है। ऋतु अनुकूल होने पर शीघ्र ही टेस्ट वर्क भी खोला जायगा।

*५७-५८---श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---[स्थगित किये गये।]

गाजीपुर जिले की कचहरियों में विचाराधीन अभियोग

*५९---श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कलेक्टरी कचेहरी गाजीपुर में कितने मुकदमें एक वर्ष से ऊपर के हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा---सारे जिले में कुल १३८ माल के मुकदमें एक वर्ष से ऊपर के हैं। फौजदारी का कोई भी मुकदमा एक वर्ष से ऊपर का नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो यह १३८ माल के मुकदमे कुल कचहरियों में हैं उनमें ग्राम समाजों से सम्बन्धित कितने हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इन मुकदमों को शीघ्र निपटाने के हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चरणसिंह---इससे ज्यादा क्या शीघ्रता हो सकती है कि साल भर पुराने १३८ मुकदमे सारे जिले में हैं।

नगरपालिका बदायूं के विस्थापितों के लिए गृह निर्माणार्थ सहायता की आवश्यकता

*६०---श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---क्या सरकार बतायेगी कि नगरपालिका बदायूं को विस्थापितों के मकान बनवाने को सन् १९५४-५५ में कितना रुपया दिया गया? उससे कितने मकान बने और उनका क्या किराया है?

श्री हुकुमसिंह---नगरपालिका, बदायूं को व्यवस्थापितों के मकान बनवाने को सरकार ने अब तक कोई धनराशि नहीं दी है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बागवानी विकास कार्य के लिये पौधशालायें

*६१---श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)----क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन प्रदेश में बागवानी विकास कार्य के विस्तार के लिये ५-५ तथा १०-१० एकड़ की नई ११ पौधशालायें किन जिलों में और कौन से स्थानों में स्थापित की जा रही हैं?

श्री हुकुमसिंह--द्वितीय पंच वर्षीययोजना के अधीन प्रदेश में बागवानी विकास कार्य के लिये ११ नई पौधशालायें निम्नलिखित जिलों में स्थापित करने का प्रस्ताव है :--

१--मेरठ, २--बिजनौर, ३--एटा, ४--झांसी, ५--कानपुर, ६--लखीमपुर खीरी, ७--बांदा, ८--मिर्जापुर, ९--हमीरपुर, १०--बस्ती, ११--बरेली। इन जिलों में इस कार्य के लिये निश्चित स्थान का चुनाव उपयुक्त भूमि की उपलब्धता पर निर्भर है। अब तक स्थान का चुनाव निम्नलिखित जिलों में हो चुका है।

स्थान			जिला
१--कल्याणपुर	..	..	कानपुर
२--चरखारी गार्डेन	..	..	हमीरपुर
३--दुद्धी ..	..	..	मिर्जापुर
४--ऐशबाग	..	..	बांदा
५--कैम्पिंग ग्राउन्ड	..	..	बस्ती
६--नवाबगंज	..	..	बरेली

*६२--श्री रामदुलारे मिश्र--क्या सरकार बतायेगी कि उपर्युक्त कार्य के लिये एक लाख २६ हजार रुपया व्यय किया जायेगा ? यदि हां, तो वह धनराशि एक मुश्त खर्च होगी या कई किस्तों में ?

श्री हुकुमसिंह--जी हां, वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में एक लाख २६ हजार रुपया पौधशालाओं की स्थापना के लिये व्यय करने के लिये व्यवस्था की गई है।

यह धनराशि कार्यकर्त्ताओं और आकस्मिक व्यय के लिये है। जितनी पौधशालायें इस वर्ष स्थापित की जायेंगी उसी के अनुसार उसमें से व्यय किया जायेगा। जैसे-जैसे पौधशालाओं के खोलने के लिये सुयोग्य भूमि प्राप्त होती जायेगी वैसे-वैसे यह धन व्यय किया जायेगा।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार बस्ती में जो खाली मैदान परेड का पड़ा है वहां यह कार्य कराने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह--बस्ती कैम्पिग ग्राउन्ड वही है।

श्री तेजप्रतापसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी किये जो ५-५ और १०-१० एकड़ के बाग बनाये जायेंगे, उन पर प्रत्येक पर कितना-कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

श्री हुकुमसिंह--यह अभी निश्चित किया जायगा।

श्री रतनलाल जैन--जहां-जहां भूमि मिल गई है क्या वहां पर कार्य शुरू हो गया है ?

श्री हुकुमसिंह--होने ही वाला है।

*६३--श्री कल्याणचन्द मोहिले--[स्थगित किया गया।]

रोडवेज के कर्मचारियों को स्थायी करने के संबंध में जानकारी

*६४--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रोडवेज में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--विविध सरकारी कर्मचारियों की भांति रोडवेज के कर्मचारी भी निर्धारित नियमों के अनुसार स्थायी पदों पर स्थायी रूप से नियुक्त किये जा रहे हैं। क्योंकि अस्थायी कर्मचारियों की संख्या हमेशा स्थायी पदों से अधिक रहने की सम्भावना है, यह सम्भव नहीं है कि कोई अवधि विशेष निश्चित बतायी जा सके जब कि सभी रोडवेज कर्मचारी स्थायी कर दिये जावेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक रोडवेज में कितने पद स्थायी किये जा चुके हैं और उन पर कितने कर्मचारियों को स्थायी किया जा चुका है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ड्राइवर और कंडक्टरों को छोड़कर ७५ फीसदी पदों को स्थायी कर दिया गया है और ड्राइवरों और कंडक्टरों के २० फीसदी पद स्थायी कर दिये गये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इन ७५ फीसदी पर अभी तक कितने-कितने कर्मचारियों को स्थायी किया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री तेजप्रतापसिंह--क्या यह बात सही है कि सरकार अफसरों को तो स्थायी करते वक्त लीनियेंसी बरतती है और छोटी तनख्वाह वाले लोगों को, चाहे वे तीन वर्ष तक भी काम कर चुके हों, स्थायी नहीं किया जाता है या कम प्रोपोर्शन में किया जाता है ?

श्री चरणसिंह--यह है लेकिन इस ख्याल से नहीं कि चूंकि वे कम तनख्वाह वाले हैं बल्कि उनकी शिकायतें ज्यादा होती हैं और ज्यादा कार्यवाही करने की आवश्यकता होती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अभी तक ड्राइवरों और कंडक्टरों को ७५ फीसदी स्थायी क्यों नहीं किया गया ?

श्री चरणसिंह--अभी माननीय तेजप्रतापसिंह जी के प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया जा चुका है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि इन पदों को स्थायी करते समय, कर्मचारियों को उन स्थायी पदों पर नियुक्त करते समय, सेलेक्शन कमेटी के द्वारा कर्मचारियों की जांच होती है, यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जांच नियमों के अनुसार होती है और उसकी रिपोर्ट के अनुसार ही कर्मचारियों को स्थायी किया जाता है।

सुल्तानपुर जिले के आसल परगना के किसानों का लगान के कागजात में गड़बड़ी होने के संबंध में कथित आवेदन-पत्र

*६५--श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को पता है कि जिला सुल्तानपुर के परगना आसल के किसानों ने इस आशय की अर्जी जिलाधीश को दी है कि पटवारी के कागज में लगान कुछ लिखा है और अमीन के कागज में अधिक लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं, इस आशय की कोई अर्जी जिलाधीश, सुल्तानपुर को परगना आसल के किसानों द्वारा नहीं दी गई। अतएव किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*६६--श्री गौरीराम (जिला गोरखपुर)--[स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

झांसी जिले में प्रलयंकारी वर्षा से फसल को हानि

१—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—क्या सरकार को ज्ञात है कि झांसी जिले में अधिक वर्षा होने के कारण खरीफ़ की फ़सल ९० फीसदी नष्ट हो गई है ?

श्री चरणसिंह—झांसी जिले में खरीफ की फसल को अतिवृष्टि से हानि अवश्य हुई है, परन्तु सभी तहसीलों में ९० फीसदी की हानि नहीं हुई है। हानि का विवरण इस प्रकार है—

नाम तहसील	हानि की मात्रा
सदर, मोठ, मऊ	रुपये में चार आने
गरोठा ..	.. केवल १८६० एकड़ क्षेत्र की फसल क्षति-ग्रस्त हुई है।
ललितपुर .. , महरौनी ..	.. साधारण तौर पर .. ६० फीसदी की हानि हुई है, परन्तु कुछ क्षेत्रों में हानि ९० फीसदी तक की है।

दोहरीघाट पम्प नहर से नथूपुर जाने वाली शाखाओं से हुई क्षति से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—श्री रामसुन्दर पांडेय जी का काम रोको प्रस्ताव मैंने कल पढ़ दिया था और माननीय सिंचाई मंत्री जी से मैंने कहा था कि उसके बारे में वे मुझे लिखित वाकयात बतला दें। तो उन्होंने अपना पत्र लिख कर मेरे पास भेज दिया है। मैं चाहता हूं कि वे उसको पढ़ कर सुना दें जिससे माननीय सदस्य को भी मालूम हो जाय कि उसमें क्या लिखा है। उसके बाद मैं अपना निर्णय दे दूंगा। क्या आपके पास वह मौजूद नहीं है ? मैं आपके पास वह पत्र भेज देता हूं।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—बीच में तो कुछ पूछने की बात उठती नहीं है। अभी तो कामरोको प्रस्ताव पर बातचीत चल रही है। क्योंकि उनका जो उत्तर था उसको वे पढ़कर सुना दें इसलिये मैंने उनसे कहा है।

सिंचाई उपमन्त्री (श्री राममूर्ति)—माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा, के सदस्य श्री रामसुन्दर पांडेय के संलग्न "कामरोको प्रस्ताव" के सम्बन्ध में लिखित रूप में सरकार के विचार जानने का आदेश अध्यक्ष महोदय ने दिया था। अतः निम्नलिखित रूप में सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं :—

यह प्रस्ताव जिन नहरों के निर्माण के विषय में उपस्थित किया गया है उनका निर्माण कार्य पहले से ही रोक दिया गया है और कोई खड़ी फसलें नहीं काटी जा रही

हैं। यह सही है कि इस क्षेत्र में नहर निर्माण सम्बन्धी सर्वे आदि की कार्रवाई की गयी जो इर्रीगेशन मैनुअल के पैरा १५२ (१४) के अनुसार नियम विरुद्ध नहीं है। विभागीय अधिकारियों ने सर्वे आदि की कुछ कार्रवाई की, वह भी प्रायः रोक दी गयी है। श्री रामसुन्दर पांडेय को तत्सम्बन्ध में उनके ८ सितम्बर, १९५६ के पत्र के उत्तर में तारीख १३ सितम्बर, १९५६ को विभागीय चीफ इंजीनियर द्वारा सूचना दी जा चुकी है। इस कारण यह आवश्यक भी नहीं है। जो पत्र उन्हें लिखा गया है उसकी एक प्रतिलिपि माननीय अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ नत्थी है। चूंकि दोहरीघाट से निकलने वाली नहर की बहुत-सी शाखायें व उप-शाखायें नथूपुर परगने में निकलने वाली हैं, यह नहीं मालूम होता कि किससे विशेषकर सम्बन्धित उनका यह प्रस्ताव है। इस कारण यह अनिश्चित भी है।

अस्तु, उपरोक्त आधार पर तत्सम्बन्धी प्रस्ताव, सदन की कार्रवाई को स्थगित किये जाने का महत्व नहीं रखता। सम्भवतः अध्यक्ष महोदय सरकार के इस विचार से सहमत हों।"

श्री अध्यक्ष--अब मैं श्री रामसुन्दर पांडेय जी से कहूंगा कि वे स्पष्ट करें कि यह किस तरह से निश्चित है और इसकी क्या अर्जेन्सी है, इसके ऊपर प्रकाश डालें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि मैनुअल के अनुसार नापजोख करने के लिये ओवरसियर को अख्तियार है कि वह फसल आदि को उखाड़ सकता है लेकिन यह बिल्कुल गलत बात है कि केवल नापजोख ही हो रही है। श्रीमन्, मैंने अपने कामरोको प्रस्ताव में भी लिखा है कि १६ अक्तूबर को मैं स्वयं गया था और मैंने देखा कि अकोही से मधुबन को जाने वाली नहर के रास्ते में पड़ने वाले गांव इटौरा एवं लड्डूपुर गांव में कई एकड़ लाल मिर्च और अरहर की फसल उखाड़ कर नहर बनायी जा रही है। यह बिल्कुल गलत बात है कि केवल नापजोख हो रही है और उसका निर्माण रोक दिया गया है। हां, यह बात सही है कि जिस चीफ इंजीनियर को मैंने पत्र लिखा था उन्होंने लिखा है कि नहर रोक दी गयी है लेकिन उसके बावजूद भी यह काम हो रहा है। मैंने १६ तारीख को पत्र और तार चीफ इंजीनियर को भी दिया कि इस तरह की कार्यवाही आपके इंजीनियर और ओवरसियर कर रहे हैं और आज भी मुझे सूचना मिली है कि ओवरसियर और इंजीनियर जबरदस्ती फसलों को उखाड़ते हैं, काटते हैं और नहर निर्माण का कार्य कर रहे हैं। मैंने घटनास्थल पर स्वयं जाकर देखा है, इसलिये माननीय मंत्री जी का यह कहना बिल्कुल गलत है, सत्य के विपरीत है।

श्री अध्यक्ष--प्रस्तुत विषय में दो तरह के वाकयात के बारे में बयान दिये गये हैं, एक तरफ तो श्री राम सुन्दर पांडेय जी कहते हैं कि फसल काटी गई, वह स्वयं देख आये हैं। लेकिन प्रस्ताव में उन्होंने यह चीज स्पष्ट नहीं की कि वह किस जगह की बात है, उनको चाहिये था जहां पर उन्होंने यह देखा वहीं के एक निश्चित विषय को वह ले लेते। प्रस्ताव में तो आमतौर पर सब पूरी नहर के बारे में--शाखाओं और उपखाशाओं के सब जगह फसल के काटने का जिक्र है लेकिन कामरोको प्रस्ताव में तो विषय स्पष्ट होना चाहिये और निश्चित होना चाहिये, यह नहीं हो सकता कि प्रस्ताव में यहां से वहां तक की पूरी नहर और शाखाओं का जिक्र कर दिया मगर यह नहीं बताया कि किस निश्चित जगह का यह विषय है। इसलिए विषय अनिश्चित होने के कारण मैं इसकी इजाजत नहीं देता कि यह काम रोको प्रस्ताव की शक्ल में उपस्थित किया जाय। यदि माननीय सदस्य किसी खास जगह के बारे में जिक्र करना चाहें तो अवश्य कर सकते हैं और अगर आवश्यकता हो तो वह दूसरा प्रस्ताव दे सकते हैं, लेकिन इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा कि इस शक्ल में वह कामरोको प्रस्ताव लिया जा सके।

शिक्षा मंत्री द्वारा पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशकों से जौनपुर कांग्रेस पार्टी सम्मेलनार्थ धन एकत्र करने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--श्री राजनारायण जी ने जो श्री हरगोविन्द सिंह जी के सम्बन्ध में कामरोको प्रस्ताव कल दिया था कि श्री हरगोविन्द सिंह जी ने एक पत्र लिखा है कि कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन के लिये लोग रुपया दे दें यानी पत्र में ऐसी अपील की, तो वह मंत्री की हैसियत से की है ऐसा उन्होंने कहा है। मेरे पास जो नकल उन्होंने भेजी है उसमें वह एक सादे कागज पर टाइप किया हुआ है और उसमें नीचे लिखा है 'हरगोविन्द सिंह'। इस में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है कि कहीं 'मंत्री' लिखा हो और जब मंत्री स्वयं बयान दे चुके हैं कि उन्होंने मंत्री की हैसियत से ऐसा नहीं किया तो उस पर अविश्वास करने की कोई गुंजायश किसी हालत में नहीं रहती और किसी वैयक्तिक कार्य के करने की स्वतंत्रता, मैं समझता हूं, मंत्रियों को भी इस विषय में मौजूद हैं कि वह वैयक्तिक हैसियत से कोई कार्य अपनी पार्टी के लिये इस तरह का कर सकें। ऐसी अवस्था में यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता और मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता हूं।

इलाहाबाद में दिन दहाड़े डकैती तथा पुलिस की अकर्मण्यता के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक कामरोको प्रस्ताव श्री कल्याणचन्द मोहिले का है कि "इलाहाबाद शहर के शहराराबाद में तारीख २० अक्तूबर, ५६ को दिन-दहाड़े १२ बजे एक शसस्त्र डाका पड़ा जिसमें करीब २५० डाकू भाले, लाठी व पिस्तौल से सुसज्जित श्री महावीरप्रसाद मिश्र पुरोहित के मकान में घुस गये और मकान में से सामान, नकदी, गहना लूट कर छत व दीवार को गिरा कर बहुत से आदमियों को घायल कर दिया, जिसमें छोटे-छोटे बच्चे तथा स्त्रियां भी हैं। लगभग २०० गज पास ही के बहादुरगंज थाने की पुलिस ने कोई प्रबन्ध उसे रोकने के लिए नहीं किया जिसके फलस्वरूप नगर में भारी सनसनी फैली हुई है और उससे जो भीषण परिस्थिति आज इलाहाबाद शहर में उत्पन्न हो गई उस पर विचार करने के लिये सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है।" इस सम्बन्ध में एक अखबार की खबर जो लीडर में छपी है वह भी उन्होंने मेरे पास भेजी है। इसमें कहीं यह स्पष्ट नहीं है कि इसका कोई सरकार से सम्बन्ध हो। यह सम्बन्ध स्थानीय शासन से ही दिखाई देता है इसलिये इसकी भी मैं इजाजत नहीं देता कि यह उपस्थित किया जाय।

सरकार द्वारा नियुक्त बाढ़ समिति के निर्माण के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--श्री राजनारायण जी का एक और कामरोको प्रस्ताव आया है कि "उत्तर प्रदेश में बाढ़जन्य समस्याओं का समाधान करने के लिये प्रदेशीय सरकार ने गत २१ अक्तूबर को मुख्य मंत्री के प्रधानत्व में जो एक हाई पावर कमेटी का निर्माण किया है उससे बाढ़ की भीषणता तथा व्यापकता को देखते हुए समस्या का समाधान होना कठिन है। प्रदेश के बाढ़-ग्रस्त व्यक्तियों में इस प्रकार की कमेटी की बनावट से असन्तोष तथा निराशा का वातावरण पैदा हुआ है, अतः जिस प्रकार तथा जिस ढंग की कमेटी सरकार ने बनाई है उस पर विचार करने के लिये यह सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।" यह बाढ़ का ऐसा विषय है कि जिस पर बहस हो चुकी है और सरकार ने अपनी नीति भी इस विषय में बता दी। अब सरकार के हर एक कार्य पर कोई न कोई कामरोको प्रस्ताव आये, इसमें कुछ विलक्षणता जरूर है लेकिन मैं इस विलक्षण प्रस्ताव की मंजूरी देने की आज्ञा नहीं देता हूं और मैं समझता हूं कि यह अवैध है।

इस तरह का प्रश्न उठा कर कामरोको प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इस सम्बन्ध में बजट के समय टीका टिप्पणी हो सकती है, लेकिन इस तरह के कार्य पर कामरोको प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।

श्री राजनारायण द्वारा शिक्षा मंत्री के पत्र के संबंध में जानकारी की मांग

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--मैं एक निवेदन करना चाहता था। आपकी आज्ञा तो हो ही गई मगर अब भी मैं इस मत का हूं....

श्री अध्यक्ष--मैं आपको इजाजत नहीं देता। आप मेरे निर्णय के ऊपर बोलने को हरदम खड़े होते हैं।

श्री राजनारायण--मैं निर्णय पर कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं तो पूछना चाहता था...

श्री अध्यक्ष--आप कुछ सरकार से पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री राजनारायण--मैं सरकार से पूछ रहा हूं और खास तौर से शिक्षा मंत्री जी से मैं यह पूछ रहा हूं कि शिक्षा मंत्री जी ने जो अपने पत्र में लिखा है कि हमको लखनऊ के पते से जो चन्दा दिया जाय स्वागत समिति के चेयरमैन को उसकी सूचना भेज दी जाय तो लखनऊ के पते का अर्थ माननीय मंत्री जी का व्यक्तिगत पता है या मंत्री की हैसियत से वह रहते हैं, वह पता है।

श्री अध्यक्ष--आप उसी विषय के ऊपर आ रहे हैं। उस सम्बन्ध में आप कोई प्रश्न नहीं उठा सकते। और कुछ आप सरकार से पूछना चाहें तो प्रश्न दे कर नियम से पूछ सकते।

बाढ़ समिति के संबंध में परिप्रश्न

श्री राजनारायण (जिला बाराबंकी)--सरकार ने इस सदन को बाढ़ के सम्बन्ध में आश्वासन दिया था और समाचार-पत्रों में बराबर यह चर्चा हुई थी कि बाढ़ से जो भीषण परिस्थिति उत्पन्न हो गई है उस पर कोई कमेटी सरकार बनाने का विचार कर रही है और सरकार ने जो रिपोर्ट इस सदन सामने रक्खी थी उस रिपोर्ट में १९४८ में जो कमेटी बनाई गई थी, उसकी भी चर्चा थी। इन तमाम बातों को देखते हुए जिस ढंग से कमेटी सरकार ने बना दी उसमें मुख्य मंत्री और दूसरे सम्मानित मंत्री हैं। सिंचाई मंत्री हैं, माल मंत्री हैं, ठाकुर साहब हैं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न क्या करना चाहते हैं।

श्री राजनारायण--प्रश्न यही कर रहा हूं कि जो सुझाव आया कि किस तरह की हाई पावर कमेटी बैठे, किस तरह से जो तमाम सरकारी अधिकारी हैं....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में शार्ट नोटिस क्वेश्चन आप भेज दें और उसका जबाव सरकार की तरफ से आ जायगा।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ६ सितम्बर, १९५६, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २४ सितम्बर, १९५६, की, बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २९ सितम्बर, १९५६ को प्राप्त हो गई और वह १९५६, का उत्तर प्रदेश का १९ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५६

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश निरसन संशोधन विधेयक, १९५६ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २१ मार्च, १९५६ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १४ अगस्त, १९५६, की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २९ सितम्बर, १९५६ को प्राप्त हो गई और वह १९५६ का उत्तर प्रदेश का ३० वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ४ सितम्बर, १९५६ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २५ सितम्बर, १९५६ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ३० सितम्बर १९५६ को प्राप्त हो गई और वह १९५६ का उत्तर प्रदेश का ३१ वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश मंदिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक, १९५६

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मन्दिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक, १९५६, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ३ अगस्त, १९५६, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १० अगस्त, १९५६, की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति १ अक्तूबर, १९५६, को प्राप्त हो गई और वह १९५६, का उत्तर प्रदेश का ३३ वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६

श्रम मन्त्री (आचार्य जुगलकिशोर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६, पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८१-१०८पर)

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि कार्य सूची में इसका दूसरा नाम दिया हुआ है और आपने दूसरा नाम लिया है ।

आचार्य जुगलकिशोर--मुझे बतलाया गया कि इसका संशोधन हो गया है ।

श्री अध्यक्ष--तो इसमें बदल दिया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां, बदल दिया गया है ।

सदन के कार्यक्रम के संबंध में जानकारी की मांग

श्री श्यामलाल (जिला गोंडा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि यह सेशन कब तक चलेगा ।

श्री अध्यक्ष-- यह आपने पहले पूछा था । खैर, माननीय मुख्य मंत्री जी उस पर प्रकाश डाल देंगे ।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, यह इस वक्त जो इंटरमीडिएट वाला विधेयक चल रहा है, यह अगर आज खत्म हो गया, आज किसी वक्त दिन में खत्म

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हो गया, पांच बजे के पहले, तो कोआपरेटिव वाला जो विधेयक है, वह पेश हो जायगा और उस पर वाद-विवाद जारी हो जायगा। उसके बाद ता० २३ और २४ यह दोनों दिन नान-आफिशल बिजिनेस के लिए रहेंगे। हमारे ऊपर पुराना कर्जा चला आता है। उससे कुछ न कुछ उऋण हो जायंगे। २५ तारीख को फिर सदन बैठेगा। तो उस दिन जो कि श्रम सम्बन्धी विधेयक आज पेश हुआ है उस पर बहस जारी होगी और २६, २७, २८ तीन दिन इस सदन की बैठक नहीं होगी। २९, ३० को इस सदन की बैठक फिर होगी। उसमें श्रम सम्बन्धी विधेयक पर वाद विवाद रहेगा। अगर आज कोआपरेटिव वाला विवाद किसी वक्त शुरू हो गया तो बीच में रुक जायगा और फिर हमारी अगली बैठक, जब कभी होगी, नवम्बर में या दिवाली के बाद,उसमें लिया जायगा।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)— आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल से यह इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत है। उस पर वाद-विवाद चल रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और आपने भी कल यह अन्दाजा किया होगा...

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि उसके बारे में आप प्रश्न न पूछें। जब वह विचार के लिए आ जाय उस वक्त आप पूछ लें। आप को जो यह सूचना मिली है उससे पता चल जायगा।

श्री तेजप्रतापसिंह—जो सूचना...

श्री अध्यक्ष— वह उसी वक्त पूछेंगे तो पता लग जायगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मुझ को जरा—माननीय मुख्य मंत्री जी चले गये। लेकिन मैं निवेदन कर दूं कि कल स्पष्टीकरण कर दें कि यह तीन दिन २६, २७, और २८ की यह सदन क्यों नहीं बैठ रहा है ?

श्री अध्यक्ष—२७ और २८ के लिए तो स्पष्ट ही है कि शनिश्चर और इतवार है।ता० २६ यानी शुक्रवार को असरकारी दिन पड़ता है, और दो रोज उन्होंने अभी बताया कि नान आफिशल बिजिनेस के लिए दे दिये हैं। तो मुझ से जो बातचीत हुई है उससे यह मालूम हुआ कि वह लगातार तीन रोज न न आफिशियल बिजिनेस के लिए नहीं देना चाहते हैं। दो रोज अभी हो जाय। और एक नान आफिशल डे बाद में दे दिया जाय। यह मुझसे बातचीत में मुख्य मंत्री जी ने कहा है। चूंकि वे मौजूद नहीं हैं, वे स्पष्टीकरण बाद में दे सकते हैं।

विधान सभा से अनुपस्थित रहने के संबंध में श्री रामनारायण त्रिपाठी का प्रार्थना पत्र

श्री अध्यक्ष— उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १९२ (२) के अन्तर्गत विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध में अब श्री रामनारायण त्रिपाठी के प्रार्थना-पत्र पर विचार होगा।

उनका प्रार्थना-पत्र इस प्रकार है—

"मैं एम० आर० ए० की विश्व-एसेम्बली में शामिल होने के लिए स्विटजरलैण्ड जा रहा हूं। इसके अतिरिक्त एम० आर० ए० सम्पूर्ण ईमानदारी तथा सम्पूर्ण पवित्रता, सम्पूर्ण स्वार्थ त्याग तथा सम्पूर्ण प्रेम के चार मापदंडों द्वारा किस तरह से रंगभेद मिटा रहा है तथा ट्रेड यूनियन परिवारों की समस्या का हल उपस्थित करने के अलावा किस तरह राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल कर रहा है—इसके देखने के लिए कुछ अन्य देशों में भी जाऊंगा।

[श्री अध्यक्ष]

अतः आपसे निवेदन है कि आदरणीय सदन द्वारा ३० अगस्त, १९५६ से ३१ अक्तूबर, १९५६ तक मुझे सदन में भाग लेने से अवकाश दिलाने का कष्ट करें।

धन्यवाद।"

मैं समझता हूं कि इनकी प्रार्थना सर्वसम्मति से यह सदन स्वीकार करता है।

(प्रार्थना सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।)

*इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५६

श्री अध्यक्ष—शिक्षा उपमंत्री के प्रस्ताव पर कि इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार किया जाय, विवाद जारी रहेगा।

इस सम्बन्ध में माननीय नेकराम शर्मा ने एक संशोधन भेजा है। उस संशोधन को आप पेश कर दें। उसके बाद आपका प्रश्न उठे तो उठायें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)— श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से...

श्री अध्यक्ष— आप कृपा करके बैठ जायं। अभी शायद जगदीशप्रसाद जी का भाषण समाप्त नहीं हुआ है। तो वह पहले भाषण समाप्त कर लेंगे उसके बाद आप अपना संशोधन लायेंगे।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल आपसे कह रहा था कि इस विधेयक में एक स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र है। जहां तक इस स्कीम का सम्बन्ध है सरकार द्वारा बनायी हुई दो समितियों ने इस बात की सिपारिश की थी कि इन संस्थाओं के लिये स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिये और उसका कोई विरोध नहीं है। उसमें केवल एक बात पर विशेष प्रकार से मुझे कुछ कहना है। उसमें लिखा है कि स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन में यह भी होगा कि हेड आफ दी इंस्टीटयूशन के क्या अधिकार होंगे और मैनेजमेंट के क्या अधिकार होंगे और उन अधिकारों का जिसमें समावेश होगा वह डायरेक्टर के पास जायंगे और वह संशोधन कर सकता है और फिर वह मैनेजमेंट के पास भेजेगा। उसके बाद डायरेक्टर चाहे तो उनको दुबारा बुलाये या न बुलाये वह उसमें और भी अमेंडमेंट कर सकता है। यह ठीक नहीं मालूम होता। अगर वह कोई नया अमेंडमेंट करना चाहता है तो मैनेजमेंट को उस पर अपनी राय देने का मौका दिया जाय।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, इसमें निरीक्षण का एक विषय आया है। निरीक्षण से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, होना चाहिये और अब तक भी होता रहा है। एक बात उसमें विशेष प्रकार से लिख दी जिसका चतुर्वेदी जी ने जिक्र किया था। उन्होंने यह लिख दिया है कि इस संस्था को दंड दिया जाय यदि उसने ये-ये अपराध किये हों। अन्त में लिख दिया कि यदि सार्वजनिक हित में ऐसा आवश्यक समझा जाय। तो यह तो बहुत ही वाइड टर्म है। उसमें कोई भी चीज आ सकती है।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, इसमें नियुक्तियों का जिक्र है। नियुक्ति का जहां तक सम्बन्ध है अब तक यह प्रथा है कि जो सेलेक्शन कमेटी उन्होंने रखी है वह तो प्रायः अब भी है, वह नियुक्ति करती है। उनके लिये कुछ नियम बने हैं कि इस पद के लिये इस योग्यता के टीचर की आवश्यकता होगी। किसी मैनेजर का कोई सम्बन्धी उसमें नहीं लिया जा सकेगा, आदि आदि इस प्रकार के नियम हैं जिनके अनुसार नियुक्तियां होती

*७ सितम्बर, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

है और फिर वे पुष्टि के लिये शिक्षा निरीक्षक के पास जाती हैं। फिर मैं नहीं समझता इसके आगे और क्या आवश्यकता थी। यदि अध्यापक की हो तो शिक्षा निरीक्षक हो और यदि हैड आफ दी इंस्टीट्यूशन की हो तो डिप्टी डायरेक्टर के पास जाय और विशेष प्रकार से यह कहा गया यदि हेड का सेलेक्शन हो तो उसका सभापतित्व निरीक्षक महोदय करें। यह किसी प्रकार से समझ में नहीं आता। मैं कहूंगा इस सदन के एक मंत्री महोदय एक संस्था के मैनेजर हैं, माननीय हाफिज जी हैं। 'एक बार मैनेजर्स एसोसियेशन' में माननीय हाफिज साहब ने स्वयं कहा था कि मैं भी स्वयं मैनेजर हूं, इससे संस्था ने गौरव अनुभव किया। तो क्या यह सदन इस बात को पसन्द करेगा कि जिस समिति में मा० हाफिज जी हों उसका सभापतित्व शिक्षा निरीक्षक करें? अगर यह होगा तो हो सकता है कि मा० हाफिज साहब उसमें न जायं, उनकी कीमती राय न मिले। मैं आशा करूंगा कि मंत्री जी इसके ऊपर सोचेंगे।

दूसरी दिक्कत, मेरी समझ में यह नहीं आता कि इन नियमों के अनुसार नियुक्तियां जब निरीक्षक के सामने आयेंगी तो वह किस बात पर आपत्ति करेगा। नियुक्ति करने के बावजूद मैनेजमेंट के सामने कभी-कभी यह दिक्कतें होती हैं कि बजाय फर्स्ट क्लास के सेकेन्ड क्लास को नियुक्ति देनी पड़ती है, तो निरीक्षक यह कह सकता है कि साहब आपने बजाय फर्स्ट क्लास के सेकेन्ड क्लास को क्यों नियुक्त किया? आमतौर से जून के महीने में नियुक्तियां होती हैं और एक-एक टीचर कई-कई जगह प्रार्थना-पत्र देता है। छोटी जगह और विशेष प्रकार से गांवों में लोग जाना पसन्द नहीं करते। वह लोग ज्यादा वेतन मांगते हैं, अव्वल तो फर्स्ट क्लास व्यक्ति एजूकेशन डिपार्टमेंट में आते नहीं, फिर जो आते हैं, सरकारी नौकरी में चले जाते हैं, और अगर आयें भी तो देहात में जाना पसन्द नहीं करते। ज्यादा तनख्वाह मांगते हैं और इसलिये कभी-कभी मैनेजमेंट को फर्स्ट क्लास के बजाय सेकेन्ड क्लास को नियुक्ति देनी पड़ती है। ऐसा हो सकता है। अगर वह नियुक्ति नहीं मानी गई और फिर इन्स्पेक्टर उसको मान्य करे तो महीने भर बाद कहीं दूसरी जगह उसे सर्विस न मिले, और वह कह दे कि वह राजी है तो जिला निरीक्षक कह दे कि इनको रखो, तो इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो सकती है और यह व्यावहारिक दिक्कत है। एक कंडीशन आफ सर्विस का प्रश्न है। यह अब भी है। मैंने जैसा कल कहा था आज भी प्रत्येक अध्यापक और मैनेजमेंट के बीच में एग्रीमेंट लिखा जाता है और फिर भी लिखा जाता रहेगा। उसमें एक बात खासतौर से आपत्तिजनक है। वह दंड के विषय में है। दंड के विषय में उन्होंने लिख दिया है कि मैनेजमेंट सस्पेंड नहीं कर सकेगा, डिस्चार्ज नहीं कर सकेगा, डिसमिस नहीं कर सकेगा। यह तो हो सकता है कि उसको डिसमिस न कर सके। परन्तु आप सोचिये कि बड़े से बड़ा अपराध करने पर भी, भीषण से भीषण अपराध के ऊपर भी मैनेजमेंट यदि सस्पेंड नहीं कर सकता तो उस संस्था के अन्दर क्या अनुशासन रह सकता है, किस प्रकार से उस संस्था का अनुशासन चल सकता है।

जहां तक इस बात का प्रश्न है कि निरीक्षक से जल्दी स्वीकृति ले ली जाय, अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं, मैं आपके सामने उदाहरण रख सकता हूं कि जिसमें मैनेजमेंट ने किसी अध्यापक को अलग किया और जिला निरीक्षक ने उसकी पुष्टि भी कर दी, इसके बाद भी अगर वहां का कोई क्लर्क उसमें दिलचस्पी रखता है, तो वह कम से कम एक साल तक तो परेशान कर ही सकता है। कभी कुछ लिख दिया, कभी कुछ लिख दिया। इससे अनुशासन खराब होगा। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में जो कठिनाई है वह इन बातों की नहीं है। वास्तव में कठिनाई यह है कि हमारी शिक्षा संस्थाओं में धन की कमी है और यदि उनमें किसी प्रकार से स्तर नीचा रहता है तो उसका विशेष कारण यही है। माननीय मंत्री जी स्वयं देखें यह निर्विवाद सिद्ध है कि जितना सरकारी संस्थाओं पर व्यय होता है एक प्राइवेट संस्था पर उससे कहीं कम व्यय होता है और तब भी यह दशा है कि उनकी पढ़ाई का स्तर किसी तरह से सरकारी संस्थाओं से कम नहीं है। हम देखें १०५८ मान्यता प्राप्त

[श्री जगदीशप्रसाद]

संस्थायें हैं। जो सिद्धान्त बने हुए हैं उन्हें सहायता प्रदान करने के, क्या उन सिद्धान्तों के अनुसार उन संस्थाओं को सहायता प्राप्त होती है। हाफ आफ दी एप्रूव्ड एक्सपेंडीचर आर डिफरेंस बिटवीन दी अप्रूव्ड एक्सपेंडीचर ऐंड अप्रूव्ड इनकम। क्या इस सिद्धान्त के अनुसार उन संस्थाओं को सहायता प्राप्त होती है। मैं कहता हूं कि नहीं होती है। मैं यह मानता हूं कि हमारी दिक्कतें हैं। लेकिन जब हमारे सामने इस प्रकार की दिक्कतें हैं तो हमारा उस मैनेजमेंट के ऊपर अविश्वास करना उचित नहीं होगा और यदि हमें शिक्षा को सही ढंग से चलाना है तो उनका सहयोग लेना होगा। मैंने कल विकेन्द्रीकरण के विषय में कहा था मेरा सुझाव है कि बोर्ड को विकेन्द्रित कर दिया जाय। रीजनल बोर्ड स्थापित कर दिये जायं। मान्यता देने का, ग्रान्ट देने का, परीक्षा, यह सब विषय उनके सिपुर्द कर दिये जायं। आप ऊपर से कन्ट्रोल कर लिया करें। मैं आशा करूंगा कि माननीय मन्त्री जी इस बात के ऊपर विचार करेंगे। मैंने कल आपके समक्ष यह भी निवेदन किया था कि मान्यता के लिए सौ सौ, सवा-सवा सौ आदमी बार-बार इलाहाबाद जाते हैं और उस समिति के सभापति ने मुझसे स्वयं कहा कि तुम आ जाओ। तो मैं चाहूंगा कि इस बात का उत्तर मिले कि क्या इसके बिना नहीं चल सकता? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लोग वहां न जायं और उनका काम लिखा पढ़ी से हो जाया करे?

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)---आन ए प्वाइन्ट आफ इन्फार्मेशन। आपने अभी पूछा है कि मान्यता समिति में जो लोग बुलाये जाते हैं वे अगर न बुलाये जायं, तो क्या लिखापढ़ी से काम नहीं चल सकता? तो क्या मैं इसका उत्तर दे दूं।

श्री अध्यक्ष---आप से प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। किसी मन्त्री से प्रश्न इस तरह से पूछने की बात हो सकती है, पर किसी सदस्य से नहीं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---मैं उसकी सफाई देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---परसनल एक्सप्लेनेशन हो तो उसके लिए मैं बाद में वक्त दे दूंगा।

श्री जगदीशप्रसाद---अध्यक्ष महोदय, मुझे तो उत्तर मिलना चाहिए। माननीय मन्त्री जी दें या समिति के सभापति दे दें। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, यदि वही उत्तर दे दें।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---अध्यक्ष महोदय, आपको (श्री जगदीश प्रसाद को) आपत्ति नहीं है तो मैं बता दूं।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, मुझे आपत्ति है। मैं ऐसी प्रथा नहीं कायम कर सकता हूं।

श्री जगदीशप्रसाद---बोर्ड के विषय में अध्यक्ष महोदय, एक दो बातें और कहनी हैं। मेरा एक यह भी सुझाव है कि मन्त्री जी इस बात के ऊपर भी सोचें कि यह जो इतनी संस्थायें हैं इनके मैनेजरों को बोर्ड में कुछ प्रतिनिधित्व दिया जाय। १०५८ ऐसी संस्थाएं हैं जिनको आप सहायता देते हैं और काफी ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट ने मान्यता दी है और वे ये संस्थाएं बढ़ेंगी ही। हमारी आर्थिक अवस्था ऐसी नहीं है कि सेकेन्डरी एजूकेशन के लिए इन संस्थाओं को स्वयं चला सकें। तो क्या ऐसा हो सकता है और मैं समझता हूं कि ऐसा होना चाहिए कि बोर्ड में इन मैनेजर्स का भी कुछ प्रतिनिधित्व हो। उनकी कोई एसोसिएशन हो और उनका सहयोग लिया जाय तो उससे वातावरण ठीक हो सकेगा। बोर्ड के विषय में जहां टीचर्स और प्रिंसिपल के सलेक्शन का सवाल है, उनका चुनाव क्षेत्र बड़ा है, उसके विषय में भी आप सोचें।

श्री अध्यक्ष---आप संक्षेप में कहें, क्योंकि आम बहस सवा बजे खत्म होनी है।

श्री जगदीशप्रसाद---इतना कहने के पश्चात्, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पालीवाल जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं, परन्तु माननीय मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि वह इस विधेयक को एक सेलेक्ट कमेटी को भेजने के प्रस्ताव को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री नेकराम शर्मा---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :---

"यह सदन निश्चित करता है कि इन्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५६, को एक संयुक्त प्रवर समिति के विचारार्थ भेजा जाय।"

अध्यक्ष महोदय, कल दिन भर की बहस होने के पश्चात् मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से, दोनों तरफ से स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन, आथराइज्ड कन्ट्रोलर और सेलेक्शन कमेटी आफ टीचर्स के ऊपर काफी टीका टिप्पणी हुई। श्रीमन्, यह आलोचना होना स्वाभाविक बात है। मैं तो माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। श्रीमन्, यह पालीवाल जी का या जो नारायणदत्त जी का संशोधन है उस पर एक अमेन्डमेंट की तरह से ही आ सकता है, क्योंकि नया प्रस्ताव तो आयेगा नहीं, और अगर अमेंडमेंट करना है तो वह आपको सूचना दे दें। वह उनको स्वीकार है या नहीं। उस पर इतने लम्बे लेक्चर देने की जरूरत क्या है ?

श्री अध्यक्ष---यह उन्होंने भी एक संशोधन की ही तरह रखा है, चूंकि पहले नारायणदत्त जी ने भी इसी तरह का संशोधन दिया था। पर बाद में उसको उन्होंने बदल कर उपस्थित कर दिया है। इस कारण उसे नेकराम शर्मा जी चाहते हैं कि ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के पास यह विधेयक भेजा जाय। ऐसा संशोधन भी सदन के सामने आ जाय। इसीलिए मैंने उन्हें इजाजत दी है। वह संशोधन के ही रूप में है।

श्री नेकराम शर्मा---श्रीमन्, मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई दे रहा हूं था कि उन्होंने इतना अच्छा बिल सदन के समक्ष उपस्थित किया। इसकी बहुत दिनों से मांग थी। हमारे सदन के माननीय सदस्य यह जानते हैं कि आज जो प्राइवेटली मैनेज्ड संस्था हैं उनकी क्या दशा है। वहां के अध्यापकों को दो-दो, तीन-तीन महीने तक वेतन नहीं मिलता है और कुछ अध्यापकों से अधिक तनख्वाह लिखा ली जाती है और कम दी जाती है। इनको इन्क्रीमेंट्स भी नहीं मिलते। उनको मुस्तकिल नहीं किया जाता और ग्रीष्म की छुट्टियों के पूर्व नोटिस दे दिया जाता है, नौकरी से पृथकता का। इस अव्यवस्था को रोकने के लिए आवश्यक था कि सरकार ऐसी पावर अपने हाथ में ले और सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया।

श्रीमन्, यह आप स्वयं जानते हैं कि इस विधेयक से, जो एक डी० डी० टी० सोल्यूशन के मानिन्द है, जो खराब संस्थाएं हैं, उन्हीं को हानि पहुंचने वाली है यानी उनको भय हो सकता है और जो अच्छी हैं उन पर कोई खास असर होने वाला नहीं है।

जहां तक सेलेक्शन आफ टीचर्स की बात है, उसमें कुछ ऐसी शिकायतें इस सरकार के पास आयीं, और आती रहती हैं कि वहां के मैनेजमेंट अपने रिश्तेदारों, अयोग्य और खास लोगों को रख लेते हैं। तो आवश्यक हुआ कि डिप्टी डायरेक्टर या इन्स्पेक्टर से एप्रूवल लिया जाय। जो स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन के सुधार की बात की गयी है या अन्य बातें जो विधेयक में रक्खी गयी हैं, वे तो आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है,

[श्री नेकराम शर्मा]

जिस कमेटी में कि आचार्य नरेन्द्र देव और डी० पी० मुकर्जी जैसे विद्वान लोग थे, वे भी, इससे कवर हो जाती है। उदाहरण के लिए मैं आपका ध्यान उस कमेटी की रिपोर्ट के पेज ८४ की तरफ दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है--

"The management of institutions against which there may be persistent complaints of mismanagement should be superseded and an Administrator with or without a small Administrative Committee be appointed for such time as Government may deem fit in public interest and in the interest of the institution itself."

अतः जिस संस्था का प्रबन्ध ठीक न हो, कमेटी ने भी यही सिफारिश की है, उसके प्रबन्ध को सरकार अपने हाथों में ले ले।

मैं यह भी कहूंगा कि जहां पर मिस मैनेजमेंट हो वहां पर ऐडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की जानी चाहिए। श्री नारायणदत्त जी तिवारी ने भी कल अपने भाषण में कहा था कि जो ऐडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति हो, डिप्टी डायरेक्टर की हैसियत का वह व्यक्ति हो। लेकिन आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी की भी सिफारिश यही है कि गैरसरकारी व्यक्ति हो तो अच्छा है। और उसी के साथ-साथ जब १९३७ में हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट आयी, तो इसने प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स के बेटर मैनेजमेंट के लिए एक कमेटी की नियुक्ति की। उस कमेटी ने तीन चार बातों पर बहुत जोर दिया है एक तो यह कि मैनेजिंग कमेटी का कांस्टीटयूशन हो, दूसरे टीचर्स के सेलेक्शन के लिए एक कमेटी होनी चाहिए और आर्बिट्रेशन बोर्डस तथा ट्रांसफर बोर्ड होने चाहिए। इस तरह से तीन-चार बातों पर इस कमेटी ने जोर दिया है और आचार्य कमेटी भी सहमत है इन सिफारिशों से।

स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन की आलोचना की गयी है। उसकी आवश्यकता इसलिए है कि हमारे यहां कई प्रकार के एजूकेशनल इन्स्टीटयूशन्स हैं। एक तो वह जो केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित होते हैं, दूसरे वह जो प्रदेशीय सरकार द्वारा संचालित होते हैं और तीसरे वह जो, प्राइवेट हैं जिनमें मिशनरी स्कूल्स आते हैं। जिनमें उनका ही मैनेजमेंट होता है और उनके अलग रूल्स ऐन्ड रेगुलेशन्स होते हैं। जैसे अभी आई० टी० कालेज में कुछ अध्यापिकाओं को जिनकी शादी हो गयी थी, निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप केवल ५ मिनट ही बोलें, क्योंकि सवा बजे तक सदन के निर्णय के हिसाब से इस पर आम बहस खत्म होना है। मन्त्री जी को जवाब देना है, इसके अलावा एक-दो साहब बोलना भी चाहें, मैं चाहता हूं कि उनको भी ५--१० मिनट दे सकूं तो अच्छा होगा।

श्री नेकराम शर्मा--श्रीमन्, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मान्यवर, मिशनरी स्कूलों के बारे में अर्ज कर रहा था। मिशनरी स्कूलों के बारे में यह रिपोर्ट है कि :--

"Religious Organizations—A number of religious organizations also conduct schools in the different states. These organizations have contributed to the expansion of educational facilities and many of them have, on the whole, maintained a reasonable level of efficiency in their schools. Some of them, however, suffer from the various defects pointed out elsewhere such as over-crowding and ill-qualified staff. In some cases the recruitment of staff is influenced by religious or sectarian considerations. These trends are also noticeable in schools run by other educational associations."

ऐसे आर्गेनाइजेशन के लिए हम एक माडल कांस्टीट्यूशन तैयार करें। यदि एक तरह की हम व्यवस्था करेंगे, तो कोई हानि की बात नहीं होगी, बल्कि यह उचित है और अच्छा है। हमारे यहां सब स्कूलों के लिए एक यूनीफार्मिटी की पालिसी होनी चाहिए, एक कांस्टीट्यूशन होना चाहिए। जिससे हमारे सब स्कूल ठीक से एक ही लाइन पर चल सकें।

एक शिकायत यह की गयी है कि सरकार अपने हाथ में पावर्स लेकर केन्द्रीयकरण की ओर जा रही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जहां पर अव्यवस्था है, वहां पहले वार्निंग दी जायगी और अगर वह नहीं मानेंगे तब अथोराइज्ड कन्ट्रोलर की नियुक्ति होगी। इस विधेयक में केन्द्रीयकरण करने की सरकार की नीति नहीं प्रतीत होती।

श्रीमन्, सेलेक्शन आफ टीचर्स के लिए यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि कोई न कोई ऐसी बाडी बनायी जाय जहां पर कि टीचर्स का सेलेक्शन ठीक तरह से हो सके। इसके लिए मैं समझता हूं कि एक सबार्डिनेट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाय और ऐसे आदमियों का सलेक्शन वहीं से हो न कि किसी कमेटी के द्वारा।

श्रीमन्, जब मैं यह कहता हूं कि इसको संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने सोशलिस्ट समाज की स्थापना की बात तय की है हम उस समय तक सोशलिस्ट समाज की स्थापना नहीं कर सकते हैं जब तक कि प्राइमरी स्कूलों में तथा सेकेंडरी स्कूलों में समाजवादी सिद्धान्तों के पढ़ाने की व्यवस्था न हो। श्रीमन् इस विधेयक में इसकी कोई गुंजायश नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यदि हमें अपने यहां समाजवादी समाज की स्थापना करना है, हम बच्चों को समाजवाद की ओर ले जाना चाहते हैं तो पहले हमें इस चीज को देखना चाहिये कि किस तरह के टीचर्स हों। आजकल के जो टीचर्स हैं उनको समाजवाद की कोई नालिज नहीं है। इसलिए आवश्यक हो जाता है अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहां समाजवादी समाज की स्थापना हो, जिसकी घोषणा कांग्रेस कमेटी ने की है तो निश्चित है कि हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो समाजवाद की ओर ले जाने वाली हो। वह तभी सम्भव है जब अध्यापक भी इसमें ट्रेन्ड हों। एक दफा रूस में स्टालिन एक मौंटेसरी स्कूल में गये। वहां उन्होंने छोटे-छोटे बच्चों को ईंट का घर बनाते हुए देखा। एक बच्चे से पूछा कि यह तुम क्या कर रहे हो। तो उसने जवाब दिया कि मैं अपना घर बना रहा हूं। मास्टो जाकर उन्होंने यह आदेश दिया कि इतनी बड़ी ईंटें बनाई जायं जिसे चार पांच बच्चे मिलकर उठा सकें और जब चार पांच बच्चे मिल कर ईंट उठायेंगे तब वह कहेंगे कि हम अपना घर बना रहे हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि हमारे टीचर्स ट्रेण्ड हों और समाजवाद के सिद्धान्तों पर हमारे बच्चों की शिक्षा दे सकें।

अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें और जो खामियां इसमें रह गई हैं उन पर सिलेक्ट कमेटी में विचार हो सके।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही एक प्रश्न आपसे पूछना चाहा था लेकिन आपने यह कहा कि अनुमति तब आपको दी जायगी जब यह विधेयक पेश हो जायगा। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक तो है ही इसको आप स्वयं कल से अनुभव कर रहे होंगे और इस सदन के माननीय सदस्य इसमें बहुत गहरी दिलचस्पी रखते हैं। तो मेरा यह निवेदन था आपके द्वारा सरकार से और आप से भी कि आज पूरे का पूरा दिन जनरल डिस्कशन के लिये रख दिया जाय। आप अगर आज्ञा दें तो मैं इसका प्रस्ताव सदन के सामने रख दूं या आप स्वयं इसका निर्णय करने की कृपा करें तो मैं और सदन बहुत ही अनुगृहीत होंगे।

श्री अध्यक्ष--मैं आपको इसका उत्तर दिये देता हूं। सरकार की तरफ से भी मेरे पास यह इच्छा प्रकट की गयी थी कि सामान्य विवाद आज शाम तक चले। लेकिन मैंने कहा कि इसमें एक वैधानिक अड़चन यह है कि यह सदन कार्य-परामर्शदात्री

[श्री अध्यक्ष]

समिति के प्रस्ताव को स्वीकार चुका है कि आज सवा बजे तक इस पर सामान्यवाद-विवाद समाप्त हो जाय। उसका संशोधन केवल एक ही तरह होता है कि यह प्रश्न कार्य परामर्शदात्री समिति के पास पुनर्विचार के लिये वापस भेज दिया जाय। सदन में उसका निश्चित समय घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता। अब अगर आमतौर पर यह इच्छा है कि सवा बजे बाद भी आम बहस चले तो अगर माननीय मंत्री जी यह स्वीकार करेंगे कि यह ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी या सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय तो इसको फिर कार्य परामर्शदात्री समिति के पास भेज दिया जायगा और वह थोड़ा सा समय और दे दे तो वह प्रस्ताव सदन के द्वारा स्वीकार हो जाय, इस तरह की कोई चीज हो सकती है। अगर सदन की यह इच्छा हो कि इसके ऊपर बाद में भी आम बहस हो तो वह पुनर्विचार के लिये भेज कर उसका समय बढ़ा सकती है, यही एक रास्ता है। तो अगर आपकी पुनर्विचार के लिये भेजने की इच्छा हो और किसी को आपत्ति न हो तो बाद में भेजा जा सकता है। यह चीज अगर सबको पसन्द हो तो आप इसका सुझाव दे सकते हैं।

श्री तेजप्रतापसिंह--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसमें थोड़ी सी आपत्ति है। आपने जो सुझाव और निर्णय दिया वह तो मान्य है ही, लेकिन ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ जाने के बाद फिर जो बहस होती है उसका वह महत्व नहीं रह जाता है जब कि यह ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी को जाता है। तो जो विचार आज प्रकट हो जायंगे उनसे कुछ न कुछ फायदा उस कमेटी के मेम्बरों को भी हो जायगा। अब मेरा नम्र सुझाव यह है कि अभी एक ऐसा रेजोल्यूशन आ जाय, जिस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी उदारतापूर्वक विचार कर लें और जो बिजिनेस ऐडवाइजरी कमेटी है उसके पास यह अभी भेज दिया जाय कि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव भी सामने है इसको दृष्टि में रखते हुए इसके सामान्य विवाद का समय बढ़ा देने की कृपा करें। इसके लिये समय की थोड़ी सी कमी जरूर है लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष-- माननीय शिक्षा मंत्री, आपको इसमें कोई आपत्ति है?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी बशर्ते कि जो तीन दिन के लिये यह निश्चित है कि इसमें यह बिल पास हो जाना चाहिये उसमें डेढ़ दिन तो हो गया, तो जो डेढ़ दिन बाकी है उसी में यह बिल समाप्त हो जाय अगर वहां से आने के बाद फिर सामान्य विवाद इस पर हो।

श्री अध्यक्ष--तो मैं समझता हूं कि मैंने जो निर्णय दिया है वही लागू रहेगा। माननीय राजनारायण जी दस मिनट का भाषण दें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--माननीय शिक्षा मंत्री जी के मानने के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकल पाया, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष--वह जरा शर्तिया बात थी और वह शर्त अन्य कठिनाइयां पैदा कर देंगी। अब आप दस मिनट के लिये अपना भाषण दें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह दस मिनट का नियम केवल मेरे लिये लागू हो पायेगा।

श्री अध्यक्ष--मैंने तो खासतौर पर आपके ख्याल से ही यह किया था। मैं जानता था कि आप बोल नहीं सके हैं और आपने रिक्वेस्ट भी की थी। वैसे यह होता कि मैं मंत्री जी को बुला लेता इस वक्त और मुझे बतलाया गया था कि शिक्षा मंत्री जी करीब आध घंटे बोलेंगे। लेकिन आप भी बोल लें इसलिए मैंने यह निश्चय किया कि आप १० मिनट बोल लें, क्योंकि मैं आप दोनों को ही समय देना उचित समझता था।

श्री राजनारायण---श्रीमन् इसके सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि आपकी यह कृपा मेरे साथ हो रही है या शिक्षा मंत्री के साथ, यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें मैं अपना अपमान ही समझता हूं। खैर, मैं यह चाहता हूं कि जो रेसस का समय है उसको आप मिला लें तो उसमें आपको या किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, जो निर्णय मैंने दे दिया है उसी पर आप चलिये। आप केवल १० मिनट भाषण दे लें।

श्री राजनारायण---तो श्रीमन्, अब जो सीमा आपने मेरे लिये बांधी है मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उसके भीतर कहां तक अपने कर्तव्य का पालन कर पाऊंगा मगर जो यह महत्वपूर्ण विधेयक है, इस पर इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर गम्भीरता के साथ विचार होना चाहिये था। इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक आज इस सभा में प्रस्तुत है। मैं जानता नहीं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी सभा का क्या अर्थ करते हैं। बहुत से सम्मानित सदस्य इस समय यहां पर नहीं हैं मगर सभा का जो अर्थ मैं समझ पाया हूं वह मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं। "सभा" शब्द दो अक्षरों "स" और "भा" के जोड़ से बना है। "स" का अर्थ है "सहित" और "भा" का अर्थ है "प्रकाश" अर्थात् जहां सत्य का प्रकाश हो, जहां न्याय का प्रकाश हो और जहां विद्या का प्रकाश हो। अगर सत्य का, विद्या का और न्याय का प्रकाश नहीं होगा तो यह समझना चाहिये कि सभासद् लोग सभा के सच्चे अर्थों को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं और बहुत मेहनत करने के बाद मैंने, अपने यहां प्राचीन लोगों ने सभासदों के कर्तव्यों के बारे में क्या कहा है, निकालने की कोशिश की है। सभा वह है जहां अधर्म छोड़ कर धर्म का बोध होता है और असत्य को छोड़कर सत्य का बोध होता है। वह श्लोक मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं :-

"यत्र धर्मो अधर्मेण, सत्यं यत्रानृतेन च।
हन्यते प्रेक्षमाणानां हताः तत्र सभासदः॥"

श्री अध्यक्ष---यह आप जरा असंगत हो रहे हैं, बिल पर आइये।

श्री राजनारायण---जी, उसी पर आ रहा हूं। अब यह कर्तव्य सभासदों का सम्मुख रखते हुए यह निवेदन करूंगा कि जो सत्य हो उसको ही सदन में कहना चाहिये। मुझे एक बात की प्रसन्नता हुई श्रीमन्, मैं कल यहां पर नहीं था, जब माननीय परिपूर्णानन्द जी का भाषण हुआ। माननीय मदन मोहन जी उपाध्याय ने उनके भाषण पर कुछ टीका भी की थी। लेकिन मेरे सुनने में आया कि माननीय परिपूर्णानन्द जी ने किसी के लिये "निकम्मे" शब्द का प्रयोग किया था। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल उनका हक था। अगर वे समझते हैं कि कोई निकम्मा है तो निर्विघ्न और अबाधभाव से उनको कहना चाहिये और स्वतंत्र रूप से अगर इस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है तो उसके लिये मैं उनकी तारीफ करूंगा।

श्रीमन्, आज हमारे सामने जो यह विधेयक है अगर इसको देखा जाय तो यह संशोधन विधेयक ऐसा है जिसके जरिये से यह सरकार व्यापक अधिकार बोर्ड के मेम्बरों को हटाने का अपने हाथ में लेना चाहती है। उसके साथ साथ मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं आपसे साफ बता दूं। क्योंकि अगर पुराना ऐक्ट देखा जाय तो पुराने ऐक्ट में भी यह पावर्स आफ दि बोर्ड और पावर्स आफ दि स्टेट गवर्नमेंट में दिया हुआ है:

"The State Government shall have the right to address the Board with reference to any of the work conducted or done by the Board and to communicate the Board its views on any matter with which the Board is concerned.

If the Board does not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the State Government

[श्री राजनारायण]

may, after considering any explanation furnished or representation made by the Board, issue such directions consistent with this Act, as it may think fit, and the Board shall comply with such directions."

मैं ऐसा समझता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट को पुराने ऐक्ट में भी इतना अधिकार था कि अगर वह कोई गलत काम कर रहा है तो उस पर प्रतिबन्ध लगाये, उसको वह रोके। तो यहां पर जितनी छोछालेदर बोर्ड की की गई मैं समझता हूं कि सरकार उस छोछालेदर में शामिल है। सरकार के पास वे हक थे, वह शक्ति थी कि सरकार बोर्ड को अनियंत्रित ढंग पर काम करने से रोकती। मगर सरकार ने ऐसा न करके अपने कर्त्तव्य का दुरुपयोग किया है।

जहां मैं यह कहता हूं कि माननीय परिपूर्णानन्द जी ने उस शब्द का प्रयोग किया, मैं उनके साथ हूं, उनसे सहमत हूं वहीं मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों से भी कहना चाहता हूं कि मैं उनके मत का नहीं हूं। उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया वह ठीक है किन्तु उसका जो भाव है मैं उसके विपरीत हूं। मेरी ऐसी समझ और जानकारी है कि डाइरेक्टर ने बहुत जगह सही कदम उठाने का प्रयत्न किया है, मगर बोर्ड ने मनमाने ढंग से, अपने ढंग से कार्य करने और हठवादिता पर चलने की ही चेष्टा की और यदि इस विधेयक पर विचार करने वाले माननीय सदस्य किसी ऐसे अवसर पर उस बोर्ड की कार्यवाही को देखें होंगे जहां पर कि मान्यता प्राप्त कब होती है, कैसे होती है, मान्यता प्राप्त कराने के लिये कैसे व्याकुल लोग वहां पर आते रहते हैं, तब वह अच्छी तरह से उसकी धूर्तता और बदमाशी को समझ सकते हैं और समझ सकते हैं कि बोर्ड ने कैसा हैवक क्रिएट किया है और कितनी मनमानी की है। मगर एक गलती को दूर करने के लिये दूसरी गलती कर दी जाय, सरकार के हाथ में ज्यादा पावर दे दी जाय, यह मैं समझता हूं कि जनतांत्रिक प्रणाली का उपहास होगा। जनतांत्रिक प्रणाली को हमारे मत से न समझने का द्योतक होगा। श्रीमन्, मैं निहायत अदब से आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि बोर्ड की कार्य प्रणाली से मैं बहुत ही असंतुष्ट हूं। मेरे पास पेज के पेज आंकड़े रखे हुए हैं। समय नहीं है, नहीं तो मैं उनको आपके द्वारा सदन के सामने रखता कि किस तरह की धांधली और पक्षपात बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। अब जो होना चाहिये वह हो कैसे? यह सवाल है। बोर्ड के पक्षपात और सरकार के नियंत्रण से, कौन सी ऐसी पद्धति और प्रणाली अपनाई जाय, चलाई जाय कि जिससे हम लोगों को बचा पायें, यह हमें सोचना है। इस बात को पहले अच्छी तरह से समझना चाहिये था।

मैं आपके द्वारा बतलाना चाहता हूं कि स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन आखिर क्या है? डाइरेक्टर के द्वारा जिस तरह से यह चलाई गई है उसमें सारी सत्ता अंत में सरकार के हाथ में पूर्णरूप से आ जायगी और सारा नियंत्रण सरकार के किसी एक अफसर के हाथ में ही जायगा और हर मान्यता प्राप्त संस्था को स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन देनी होगी। मान्यता-प्राप्त संस्थाओं की संख्या प्रायः दो हजार के करीब है। आप सोचें कि डाइरेक्टर पर कितना हैवी बरडन पड़ेगा। छोड़िये इसको। आप आगे अगर देंगे तो स्वयं पायेंगे कि सरकार ऐसी संस्थाओं द्वारा एक ऐसी व्यवस्था को परिचालित करने जा रही है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में मनमानापन, धांधली और तानाशाही तरीका चलायेगी। उसके साथ-साथ इंस्पेक्शन आफ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन्स के बारे में भी मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जो तरीका अख्तियार किया जा रहा है, वह अनुचित है, जनतान्त्रिक प्रणाली के विरुद्ध है। अथराइज्ड कंट्रोलर के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने इस सदन में अपनी राय जाहिर की है, मैं भी उनके साथ हूं। जिस रूप में अथाराइज्ड कंट्रोलर की नियुक्ति सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है वह नितान्त अनुचित है और शिक्षा के काम में रुकावट पैदा करना

है। आगे आप कहते हैं कि "no order shall be called in question in any court" जो आर्डर दिया जायगा उसको किसी कोर्ट में क्वैश्चन नहीं किया जा सकता। मैं आपके द्वारा सरकार को बताना चाहता हूं कि सरकार कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बांध नहीं सकती, किसी कानून के द्वारा। संविधान के द्वारा कोर्ट के अधिकारों की सीमा निर्धारित की गयी है उनको कोई कानून कम नहीं कर सकता है इसलिये सरकार को ऐसी बातें इस विधेयक में नहीं रखनी चाहिये, जो वैधता की कसौटी पर सही न उतरती हों।

टीचरों के एप्वाइन्टमेन्ट के बारे में रेगुलेशन्स प्रेसक्राइब किये जायेंगे और उनके आधार पर ही नियुक्तियां हुआ करेंगी। लेकिन रीजिनल डाइरेक्टर और डाइरेक्टर के हाथ में जिस प्रकार से यह ताकत दी जा रही है उससे पक्षपात और कुनबापरस्ती को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा संस्थाओं में अनुशासनहीनता बढ़ेगी, अनुशासन नहीं बढ़ेगा। अब लाल बत्ती जल गयी है और जितनी बातें मुझे सदन के सामने रखनी थीं उनको नहीं रख सकूंगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि जितने मेरे पास नोट हैं उनको तो पढ़ने का मौका दिया जायगा।

सेलेक्शन कमेटी भी रेगुलेशन के द्वारा तय की जायगी। यह रेगुलेशन कब बनाये जायेंगे, कैसे बनेंगे और कौन बनायेगा, सेलेक्शन कमेटी कैसे बनेगी और सेलेक्शन कमेटी ऐसी तो नहीं हो जायगी कि जिसकी इमानदारी में किसी को शक पैदा होने की गुंजाइश हो। इस प्रकार की बातों की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इसी के साथ-साथ कहा गया है कि डाइरेक्टर का आर्डर स्थायी होगा। मैं समझता हूं कि कहीं वैधता की कसौटी पर कसने पर यह निम्नकोटि का आदेश तो नहीं समझा जायगा, जो मर्यादाविहीन हो। आप समाज को मर्यादायुक्त करना चाहते हैं या उनको मर्यादाविहीन बनाना चाहता हैं, इस पर भी सरकार को ध्यान से विचार करने की आवश्यकता है। की सर्विस कंडीशन के लिये भी रेगूलेशन्स बनाये जायंगे, जो डाइरेक्टर की मन्शा के मुताबिक ही होंगे। इससे आगे और मैं आपको बताऊं कि सरकार बिलकुल पालिटिक्स खेल रही है जहां पर वह कहती है कि "The minimum hours of work including extra curricular duties and restrictions on acceptance of work not connected with the institutions."

सरकार अध्यापकों की गतिविधि पर, हेड मास्टरों की गतिविधि पर और प्रिन्सिपल की गतिविधि पर कंट्रोल रखना चाहती है और इस प्रकार के नियम उनके लिये बनाना चाहती है कि उनसे एक्सट्रा करीकुलम के काम के लिये भी उनको बांध दे। इस सदन की राय में जो काम उनके लिये न हो उसको भी सरकार उनसे लेना चाहती है और सरकार अपनी इच्छा-शक्ति पर यह बात रखना चाहती है कि जिस बात को चाहे उनसे कराये और जिसको न चाहे वह न कराये। अपने प्रदेश में एक तो पहले से ही शिक्षा संस्थाओं का स्तर नीचे गिरा हुआ है.....

श्री अध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया।

श्री राजनारायण--मैं केवल एक यह श्लोक पढ़ देना चाहता हूं। यह श्लोक केवल इस सरकार के लिये, तमाम लोगों के लिये यह लाभदायक हो सकता है। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं और जितने भी अन्य लोग हैं अगर वह जनतान्त्रिक प्रणाली चलाना चाहते हैं तो जनतान्त्रिक स्वतंत्रता के युग में भाषण स्वतन्त्रता पर रुकावट नहीं लगानी होगी। उसी पर यह श्लोक प्रकाश डालता है:--

"वाक् स्वातन्त्र्यम् कर्म नियन्त्रणम् इति जनतान्त्रिकम् अनुशासनम्,
विपरीतम् कर्मस्वातन्त्र्यम् वाक्नियन्त्रणम् भारते प्रचलित पंथः।

श्री अध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया है । आपको ५ मिनट और ज्यादा दिये जा चुके हैं ।

श्री राजनारायण--इससे तो अच्छा है कि मैं सदन के बाहर चला जाऊं । तो मैं फस्ट हाफ के लिये बाहर जाता हूं ।

(श्री राजनारायण बाहर चले गये ।)

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--श्रीमन्, इसमें सन्देह नहीं है कि इस दृष्टि से यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसका सम्बन्ध सेकिन्डरी एजूकेशन से है । शिक्षा की जंजीर में सेन्केडरी एजूकेशन बीच की एक ऐसी कड़ी है कि यदि यह मजबूत न रहे तो कम से कम मैं इतना तो अवश्य कह सकता हूं कि आपके विश्वविद्यालयों से जो उपज होगी वह ठीक नहीं होगी । इस कारण भी यह विधेयक बड़ा महत्वपूर्ण है कि अधिक से अधिक संख्या विद्यार्थियों की हमारे ही प्रान्त की नहीं, बल्कि अन्य प्रान्तों की भी ऐसे स्कूलों में पढ़ती है जो सरकारी नहीं कहे जाते सकते हैं । आपके प्रान्त में एक जिले में एक माध्यमिक पाठशाला सरकारी होती है और वह भी सब जिलों में नहीं है । तो हमारे विद्यार्थी अधिक से अधिक संख्या में उन स्कूलों से निकलते हैं और उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है । जहां थोड़े दिन पहले हमारे प्रान्त में स्कूलों की संख्या ४००, ५०० थी वहां आज वह १४००, १५०० हो गई है । उनमें विद्यार्थियों की संख्या में भी बहुत बढ़ गई है । यदि हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षा से जो हमारी आशायें और आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति हो तो यह जरूरी हो जाता है कि जहां अधिक से अधिक संख्या में हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं उस ओर भी, उन संस्थाओं की ओर भी, हमारा विशेष ध्यान जाना चाहिये । आप पुराने ऐक्ट को देखिये जो ३४, ३५ वर्ष पुराना है, उसमें प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं के लिये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और शायद इस कारण कि उस समय इसकी आवश्यकता भी नहीं थी । लेकिन आज उसका ठीक उल्टा हो गया है । आज चाहे हम सरकारी स्कूलों के बारे में कुछ करें या न करें लेकिन प्राइवेट संस्थाओं के लिये, जहां हम विद्यार्थियों का निर्माण करके देश के कार्यों में लगाना चाहते हैं, यह आवश्यक है कि वह ठीक होनी चाहिये । इस पृष्टि भूमि में मैं २ दिन से यहां वाद विवाद सुन रहा हूं और यह भी देख रहा हूं कि एक प्रकार से अध्यापक समुदाय और मैनेजमेंट के बीच में ही मतभेद नहीं है बल्कि बहुत सी बातों में मतभेद है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जबकि मेरे पास टीचरों की शिकायतें न आवें, मैनेजमेंट की शिकायत न आवे । तो इस वातावरण में आप किस प्रकार से अपनी माध्यमिक शिक्षा को चला सकते हैं । यह एक ऐसी समस्या है जिसके लिये कम से कम मैं अपने को टैकिल करने में असमर्थ पाता हूं ।

यह भी कहा गया कि अनुशासन नहीं होगा । लेकिन आज की अवस्था ही ऐसी है । मुझे अपनी जगह पर यह विश्वास है कि शायद ही कोई ऐसा स्कूल हो जहां शान्ति का वातावरण हो । जहां मैनेजमेंट, अध्यापक या विद्यार्थियों के झगड़े न हों । ऐसी दशा में जो बात आप कह रहे हैं कि इस विधेयक के द्वारा इस प्रकार की चीजें उत्पन्न हो जायंगी इस बारे में मैं आपसे यह अनुरोध कर रहा हूं कि क्या आप यह नहीं देख रहे हैं कि वास्तव में आज भी स्थिति वही है । उस स्थिति का सुधार नियमों से नहीं हो सकेगा, कानून से नहीं हो सकेगा, उस स्थिति का सुधार केवल इस तरह से हो सकेगा कि तीनों में आपस में प्रेम हो । विद्यार्थी इच्छुक हो शिक्षा ग्रहण करने का, अध्यापक इच्छुक हो शिक्षा देने का और मैनेजमेंट भी इस बात का इच्छुक हो कि वह इन दोनों को मिला कर शिक्षा को चलाये । तब तो आप सुधार अवश्य कर सकते हैं और शांति हो सकती है । लेकिन अगर हर एक स्कूल में कैम्प बने रहे, एक ओर टीचर्स और एक ओर मैनेजमेंट रहा तो, मैं समझता हूं कि हम ऐसा वातावरण पैदा नहीं कर सकते, जिसमें शिक्षा और दीक्षा ठीक प्रकार से हो सके । ऐसी दशा में हमें और आपको संकुचित दायरे से निकल कर देखना चाहिये । मैं इस बात से अनिभिज्ञ नहीं हूं कि हमारे ऐसे

बहुत से कार्यकर्त्ता हैं जो इसको एक पुण्य का कार्य समझते हैं और है भी ऐसा ही। किसी स्कूल की स्थापना करना, उसका संचालन करना, उसको सज्जा और सामग्री से परिपूर्ण करना, यह धर्म का कार्य है। यह बात तो है, लेकिन दूसरी ओर हमारा जो टीचर समुदाय है, उसकी दशा भी बहुत शोचनीय है। यदि आपके इस कार्य में उसका सहयोग है तो आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन अगर उसका सहयोग नहीं है तो आपको सफलता नहीं मिल सकती। मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं लेकिन उनको मैं यहां रखना नहीं चाहता; लेकिन इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि आज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स में २५ हजार के करीब टीचर्स हैं जिनमें ७–८ टीचर्स ऐसे हैं जो टेंपरेरी हैं। ये बहुत दिनों के हैं, हर साल उनको नोटिस दे दिया जाता है और हर साल वे रख लिये जाते हैं। अब आप ही बतलाइये कि इन ८ हजार अध्यापकों से आप क्या आशा कर सकते हैं? क्या आप उनसे उस आशय की पूर्ती की कामना कर सकते हैं? जिसके लिये आपने दर दर घूम कर पैसा इकट्ठा किया, स्कूल कायम किया और शिक्षा देनी चाही?

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—और सरकारी स्कूलों में क्या होता है?

श्री हरगोविन्दसिंह—सरकारी स्कूलों में कोई टीचर टेंम्परेरी नहीं होता। वह साल ६ महीने तक ही टेम्पोरेरी रहता है जब तक कि वह पब्लिक सर्विस कमीशन से चुन नहीं लिया जाता। यह बात आपने बड़े जोर में पूछी, मान लिया सरकारी स्कूलों में भी यही होता है तो भी क्या आपकी यही शिक्षा की प्रणाली होगी? यही आपका आदर्श होगा शिक्षा का? यह बात ठीक है कि वह जल्दी स्थायी नहीं हो सकता है लेकिन यह नहीं कि आठ-आठ, दस-दस वर्ष तक हर साल निकाला जायगा। और जो टेंम्परेरी होते भी हैं, पहले चाहे जो कुछ भी होता रहा हो लेकिन अब कोई भी टेम्पोरेरी ऐसा नहीं होगा जो साल भर के बाद निकाला जा सके। जब कि ८ हजार टीचर्स टेम्पोरेरी हैं, तो ऐसी अवस्था में आप उनसे यह आशा नहीं रख सकते कि वे आपके बच्चों को कोई शिक्षा दे सकते हैं। तो अब आपके सामने यह प्रश्न है कि क्या आप यह चाहते हैं कि उनको कोई संरक्षण न दिया जाय? अगर यह चाहते हैं तो एडेड इंस्टीट्यूशंस में करीब-करीब ५० फी सदी लोग ऐसे हैं जो कन्फर्म नहीं हैं और कभी कंन्फर्म भी नहीं किये जाते। जब कभी उनका मसला आता है तो कह दिया जाता है कि ये तो टेम्पोरेरी हैं, ये कन्फर्म हैं भी नहीं, तो ऐसी अवस्था में इस वक्त हमको और आपको सोचना चाहिये कि उनके लिये क्या किया जाय।

मैं आपसे पूछता हूं कि एक आदमी ने स्कूल खोल लिया, आप में से भी बहुत से लोग मैनेजर होंगे, कितने मैनेजमेंट हैं प्रांत में जो स्कूलों को अपनी तरफ से चलाते हैं। मुझसे तो पचासों दफा लोग कहते हैं कि इस जगह स्कूल खोल दिया जाय और कई स्कूलों के बारे में तो यहां तक है कि हरिजन सहायक वाली मुफ्त फीस की जो ग्रांट है उसको लेने के लिये गलत नम्बर दिखला देते हैं। इस संबंध में दो तीन को तो मैं प्रोसिक्यूट भी कर रहा हूं। जब ऐसी अवस्था है तो फिर क्या किया जाय, इस पर हमको और आपको सोचना है। आप जिस चीज को अच्छा समझते हैं उसको मैं बुरा समझता हूं, हममे और आप में इतना ही अन्तर है लेकिन हमारी सरकारी सोचती है कि अगर इस दशा में संस्थायें रहती हैं तो हमारे लड़के खराबी की ओर बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारी भावी संतानें खराब होंगी और हो रही हैं। उनको आप निरक्षर नहीं रख कर साक्षर भले ही बनाते हैं लेकिन उनको शिक्षित नहीं बनाते। इस वातावरण और इस पृष्ठ भूमि में देखें कि न तो बोर्ड उसमें कुछ कर सकता है और न सरकार ही कुछ कर सकती है। यह तो ठीक ही है कि इन संस्थाओं के सुपुर्द ही यह काम किया जा सकता है जो कि इस समय शिक्षा का कार्य कर रही है। आज जो स्वतंत्रता मांगी जा ही है, मांगी जानी चाहिये, ठीक है, फिर इतनी बड़ी सरकार की क्या जरूरत है? अगर समाज इतना नियंत्रित हो तो क्या जरूरत है कि हम इतना बड़ा आडम्बर रखें और हम लोग यहां एकत्रित होकर अपने समय का उपयोग भला या बुरा करें। जरूरत तो तभी होती है, बल्कि इसीलिये कम्युनिज्म का सिद्धांत है कि जब कम्युनिज्म बड़े ऊंचे शिखर पर हो जायगा तब स्टेट विदर

[श्री हरगोविंद सिंह]

अबे हो जायगा। कोई स्टेट रहेगा ही नहीं। इसलिये कि हर आदमी खुद स्टेट की तरफ से अपने आप राजा होगा। लेकिन जब तक स्टेट की जरूरत है तब तक तो नियंत्रण की भी जरूरत है और तब तक यह नहीं कहना चाहिये कि कोई नियंत्रण न होना चाहिये और इस तरह की चीजें चलनी चाहिये। यह चीज मेरी समझ में पालीवाल जी के लिये ही है क्योंकि वे जरा कम नियंत्रण मानते हैं हर चीज का। जब मैंने हर चीज कहा तो बहुत समझ कर ही कहा कि यह उनके लिये ही है। लेकिन मैं तो उनसे अनुरोध करूंगा और मैं चाहता हूं कि उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, गवर्नमेंट का कोई स्वार्थ नहीं है। आप सब लोग एकत्रित होइये ज्वाइन्ट सिलेक्ट कमेटी में, मैं इसको मंजूर करता हूं। उस कमेटी में इस बिल को देख लिया जायगा और जिस प्रकार से आप समझें इसमें सुधार हो सकता हो, कीजिये। यह तो हमारा ही काम नहीं है, बल्कि यह तो हमारा, आपका सब का काम है। तो इसलिये मैं ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप उसको पास करेंगे।

श्री अध्यक्ष--मैं पहले श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल जी का संशोधन लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि इण्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५६ को ३१ दिसम्बर, १९५६ तक जनमत संग्रहार्थ प्रसारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--दूसरा संशोधन श्री नारायण दत्त तिवारी का है।

प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि इण्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५६ को एक प्रवर समिति के विचारार्थ भेजा जाय जो ७ दिन के भीतर अपनी आख्या दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अब तीसरा संशोधन यह है--

प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चित करता है कि इण्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५६ को एक संयुक्त प्रवर समिति को विचारार्थ भेजा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*कोआपरेटिव सोसाइटीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५६

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार किया जाय।

कार्य-क्रम में परिवर्तन किये जाने पर आपत्ति

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर-सर। श्रीमन्, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि जब सदन की कार्यवाही इस बार प्रारम्भ हुई थी तो इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक के लिये तीन दिन का समय रक्खा गया था। पहले यह था कि आज सवा बजे तक सामान्य विवाद होगा और उसके बाद अमेंडमेंट्स पर विचार होगा। आज एकायक सरकार ने उस प्रोग्राम में परिवर्तन इस दृष्टिकोण से कर दिया कि

*२० अक्तूबर, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

सेलेक्ट कमेटी में आने का प्रस्ताव उसने मान लिया और जो तीन दिन उसके लिये एलाटेड थे उन तीन दिनों से पहले ही उस पर विवाद समाप्त हो गया। सदन ने निश्चय कर लिया था कि ता० २१,२२ और २३ इन तीन दिनों में उस पर विचार होगा। अब एक नया विधेयक माननीय वित्त मंत्री जी प्रस्तुत कर रहे हैं कोआपरेटिव से संबंधित। मैं समझता हूं कि इस विधेयक से संबंधित जितने कागजात हैं और जितनी कमेटियों की चर्चा इसके उद्देश्य और कारण में है, वे सारे के सारे कागजात किसी सम्मानित सदस्य के पास नहीं होंगे। तो दो दृष्टिकोणों से हमारी वैधानिक आपत्ति है। पहली आपत्ति यह है कि आज सदन की कार्यवाही आगे नहीं चलनी चाहिये क्योंकि जो दिन एलाटेड किसी खास विधेयक के लिये थे उस दिन कोई दूसरा विधेयक नहीं लाया जाना चाहिये। दूसरी बात यह है कि अगर यह मेरा प्वाइन्ट गिरता है तो इसमें जितनी कमेटियों की रिपोर्ट के बारे में चर्चा है उद्देश्य और कारण में, और जो कानून के बारे में चर्चा है उसकी रिपोर्ट सम्मानित सदस्यों के पास नहीं है। सम्मानित सदयों ने उसके बारे में कोई तैयारी नहीं की है और न इस पर कोई अमेंडमेंट आ पाया है। इसको भी आप ध्यान में रक्खेंगे। अतः इन दो वैधानिक आपत्तियों की रोशनी में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज इस पर विवाद स्थगित होना चाहिये। सदन के लिये कोई कार्यक्रम नहीं रह गया है; यह सरकार का निकम्मापन और सरकार की नालायकी है कि इस तरह से सदन के पास कोई कार्यक्रम न रहे। तो आप इस पर व्यवस्था दें।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि आज कल जब हमारे विरोधी दल की तरफ से यह प्रस्ताव आया था कि यह इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय तो यह तो मानी हुई बात थी कि सेलेक्ट कमेटी के पास जाने के बाद तो सदन के पास वही कार्य होगा जिसकी सूचना पहले से भेजी जा चुकी है और जो बिल सदन के सम्मुख रखा जा चुका है और जिसे कार्यवाही में दर्ज किया जा चुका है।

दूसरे जब सबेरे माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछा गया कि सदन का कार्यक्रम क्या होगा तो उन्होंने यह घोषणा की थी कि यह विधेयक, इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन)-विधेयक, अगर्चे जल्दी समाप्त हो गया ५ बजे के पहले ही तो तुरन्त यह कोआपरेटिव बिल ले लिया जायगा। उस वक्त जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी, जिन्होंने इसका अब विरोध किया है वह भी बैठे थे. किसी ने उस घोषणा पर आपत्ति नहीं की। जब कार्यक्रम पर एक विधेयक आ जाता है तो उसके बाद यह आपत्ति उठाना कि इसके लिये हम तैयार नहीं हैं, मैं समझता हूं कि यह एक गलत बात होगी। इससे सदन के कार्य में बाधा पड़ेगी। जितनी जल्दी कार्य समाप्त हो जाय वह हमारे हित में होगा।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि सदन के समय की सब को कद्र करनी ही चाहिए। जैसा कि अभी बतलाया गया है आज प्रातःकाल माननीय मुख्य मंत्री ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि यह कार्य समाप्त होने पर दूसरा कार्य जो कार्यक्रम पर मौजूद है वह ले लिया जायगा। उस पर किसी ने आपत्ति भी नहीं की। सदन ने यह निश्चय किया कि जो कार्यक्रम उनके सामने था वह प्रवर समिति को भेज दिया जाय। तो सदन के फैसले के अनुसार ही वह समय से पूर्व समाप्त हो गया। उसमें किसी को आपत्ति है नहीं। ऐसी हालत में मैं तो समझता हूं कि कार्यक्रम में जो चीज रखी गयी है उसको लिया जाना नियमानुकूल है। मैं समझता हूं कि आपत्ति वैधानिक नहीं है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, दूसरी वैधानिक आपत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष—आप आपत्ति कर चुके हैं।

श्री राजनारायण—हमने दो तीर मारे और दोनों तीर आपकी कृपा से खाली गये।

श्री उपाध्यक्ष—मैं तो समझता हूं कि आप आपत्ति कर चुके।

श्री राजनारायण--दो आपत्तियां कर चुका। तीसरी यह है कि परामर्शदात्री समिति ने इस पर कतई कोई फैसला नहीं किया कि इस विधेयक के बाद कौन सा विधेयक लिया जायगा। आज ग्यारह बजे जब सदन के सम्मानित सदस्य...

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर।

उपाध्यक्ष महोदय, जब आपने यह निर्णय दे दिया कि यह अजेंडा में मौजूद है और माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा कर चुके हैं कि यह लिया जायगा, उसकी रूलिंग हो जाने पर, उसी पर दूसरा प्वाइंट आफ आर्डर नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह आपत्ति बिल्कुल ठीक है। मैं फैसला दे चुका हूं। माननीय सदस्य को मान ही लेना चाहिए। रहा यह कि जो आपने इसकी बाबत कहा कि कनेक्टेड पेपर्स वगैरह के लिए, उसके लिए नियम बिल्कुल साफ हैं। अगर किसी कागज की खास जरूरत पड़ जायगी तो माननीय सदस्य मांग सकते हैं। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि यह वैधानिक आपत्ति ठीक नहीं है।

श्री राजनारायण--मैं आपकी आज्ञा को मानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--तो अब कार्यवाही चलेगी।

श्री राजनारायण--जब तक कागज नहीं आयंगे कार्यवाही कैसे चलेगी?

कोआपरेटिव सोसाइटीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५६ (क्रमागत)

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने जो विधेयक इस वक्त विचार के लिए आप की इजाजत से इस सदन के सामने रखा है वह संशोधन है एक कानून का जो हमारी इस स्टेट में ही नहीं बल्कि हमारे देश भर में केन्द्रीय सरकार का बनाया हुआ सन् १९१२ से लागू है। यह सरकार का कोआपरेशन का आन्दोलन जब शुरू हुआ जो गालिबन १९१२ से भी दो चार वर्ष पहले शुरू हुआ था। उस वक्त एक कानून की आवश्यकता महसूस की गयी और उसकी जरूरतों के लिहाज से जब से कानून बना लिया गया जो अब तक अपनी उस हालत में कुछ वक्तन फवक्तन संशोधन होने के बाद एक बदली हुई हालत में हम पर लागू रहा है। सहकारिता के काम के द्वारा जो हमारे देश में हुआ बहुत सी सहकारी समितियां कायम हुईं और उनके जरिये मुख्तलिफ काम हमारी स्टेट्स में किये गये। मसलन यह कि हमारे इस सूबे में जो लोग कि काश्तकारी का काम करते हैं उनकी कोआपरेटिव सोसाइटियां इसलिये बनाई गईं कि सोसाइटियां उनको वह कर्जा दें जिस कर्जे की उनको अपना काम करने के लिये जरूरत होती है। यह एक काम था जो मिनजुमला और दूसरे कामों में अख्तयार किया गया। जहां तक इस काम का सम्बन्ध है मैं समझता हूं मेम्बरान के इल्म में यह बात है कि हमारे इस सूबे में सोसाइटियां कर्जा देती रही हैं और वह कर्जे का रुपया उन सोसाइटियों के फंड से आता रहा है। मैं यह समझता हूं कि गालिबन इस वक्त जो हालत है उसको कोई शख्स भी उतना काबिले इत्मीनान समझता नहीं है, जितना कि सहकारिता के काम को किसी राज्य के अन्दर काबिले इत्मीनान होना चाहिये। उसमें कमियां हैं। यह सही है उसमें उन्नति और तरक्की करने की जरूरत है, और उसको एक असल किस्म का सहकारिता मूवमट बनाने की जरूरत है, यह भी सही है। और उसमें जिस किस्म की खराबियां पायी जाती हैं उन खराबियों को निकाल कर उसको एक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अच्छा और साफ सुथरा आन्दोलन बनानेकी बहुत आवश्यकता है और विशेष कर अब जब कि हमारे देश ने अपने सामने एक आइडियल यह रखा है कि हमारे यहां समाज में जो सोसाइटियां बनायी गई हैं वह सोशलिस्ट सोसायटी हों। तो जहां तक सोशलिस्ट सोसायटी के होने का सम्बन्ध है उसका बहुत बड़ा लाजिमी जुज़ यह है कि उस सोसायटी के आदमियों में एक किस्म की कोआपरेशन ऐसी हो कि जिसके जरिये से वह एक दूसरे की मदद करते हुए अपनी हालत को अच्छाई की तरफ ले जायं और अपनी सोसाइटी को ऊंचा उठायें। और दो लफ्जों में उसी बात को इस तरीके से कहा जा सकता है कि यह सहकारिता अंग होना चाहिये। ऐसे-ऐसे समाज का जिस समाज का एक नमूना हमने अपने सामने रखा है। तो इस वजह से इसकी जरूरत है कि हम उसको बढ़ाये और उसके अन्दर जो इस वक्त तक खराबियां रही हैं उनको निकालें और उसकोबेहतर और साफ करने की कोशिश करें।

मेम्बरान को मैं याद दिलाऊंगा, उनके इल्म में यह बात आयी होगी कि यू० पी० की सरकार ने सन् १९४८ में एक कमेटी कोआपरेटिव मूवमेंट की जांच पड़ताल के लिये और उनके इस्लाह के वास्ते कुछ सिफारिशें देने के वास्ते बनाई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट हुई। उसके बाद एक रिपोर्ट उस कमेटी की हुई जो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कोआपरेटिव प्लानिंग कमेटी के नाम से बैठायी थी, उसकी भी रिपोर्ट हुई। और एक बहुत मशहूर डाक्यूमेंट हमारे सामने आया है जिसकी कि बहुत ज्यादा चर्चा रही है वह रिजर्व बैंक की रूरल क्रेडिट सोसाइटी की रिपोर्ट है। ये तीन चीजें इस वक्त हमारे जमाने में ऐसी हो चुकी हैं कि उनके जरिये से उन साहबान ने जिन्होंने इस काम को किया कुछ बातें इस मूवमेंट के मुताल्लिक रखीं कि उनके जरिये से इसकी इस्लाह की जाय। तो मौजूदा सरकार ने इन सब चीजों पर गौर किया और सोचा और इस बात को भी सोचा कि कोआपरेशन को हमारी सोसायटी का एक अंग बनना है और उसको काफी तौर पर तरक्की देनी है। इसलिये इस स्टेट की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गई उसमें जैसा कि मेम्बरान को इल्म है और उन्होंने किताबों में मुलाहिजा फरमाया होगा चन्द किस्म के काम कोआपरेशन के मुताल्लिक करने के वास्ते रखे गये हैं। उन्हीं में से एक काम यह भी है कि ज्यादा रुपया कर्ज के तौर पर सोसाइटियों की तरफ से लोगों को दिया जा सके, वह जितना अब दिया जाता है अगले पांच साल में उससे दस गुना दिया जाने लगे और उसी के साथ यह भी कि सूद की जो रकम इस वक्त तक रही है जितना सूद लिया जाता रहा है उतना सूद उसके ऊपर न रहे ताकि लोगों को लेने में आसानी हो, कर्जा आसानी के साथ उस वक्त मिले जिस वक्त कि उसके मिलने की किसी आदमी को जरूरत हो। तो इस किस्म का रिफार्म, इस्लाह या सुधार करने के लिए जो एक टार्गेट अपने सामने रखा गया, लक्ष्य रखा गया उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत से संशोधन करने की इस कानून के अन्दर आवश्यकता महसूस हुई। चुनांचे एक बिल गवर्नमेन्ट ने तैयार किया जिसमें मुख्तलिफ खिदमतों को पूरा करने के वास्ते यह बहुत सी दफायें रखीं और उन दफाओं के जरिये से इस बात की ख्वाहिश की कि वह हमारे इस स्टेट में एक कानून के तरीके की बात हो जाय। मगर वह एक इतना बड़ा बिल है कि उसको इस वक्त में जो कि हमारे पास है जिसमें हमको बहुत से और काम करने की जरूरत है उस वक्त हम उस बिल को लाकर के उसे पास कर सकें यह मुश्किल था। इसलिए चन्द जरूरी बातें उसमें से निकाल कर के इस संशोधन विधेयक में रख दी गई हैं और इसको हाउस के सामने रख दिया गया है। इस वक्त इसलिए कि जो जरूरी बातें समझते हैं और जिनके जरिये से जल्दी से जल्दी काम लेना है उन बातों को करके अपना काम ठीक रास्ते से शुरू कर दें। तो इसलिए यह संशोधन विधेयक लाया गया और मैं उम्मीद करता हूं कि मेम्बरान इसको इसी तवज्जह की नजर से देखेंगे और इसकी जरूरत को महसूस करेंगे कि इस बिल को वाकई मानों में इस हाउस से

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

जल्दी से जल्दी पास हो जाना चाहिए। अगर मुझको अफसोस है कि मैं आज नहीं चाहता कि यह आज ही पास हो जाय बल्कि मैं यह चाहता हूं कि मुनासिब तौर पर जितना वक्त इस पर लगना चाहिए उतना वक्त लगे और मेम्बरान उसको अच्छे तरीके से परखें और समझें और उसके बाद राय देकर के जो कुछ उसके मुताल्लिक मशविरा देना हो गवर्नमेंट को वह मशविरा दें।

अब मैं इतनी बात और बतला देना चाहूंगा कि यह जो संशोधन इसमें है यह संशोधन खुद क्या हैं, जो इसमें लिखे हुए हैं, इस बिल के अन्दर, हर एक को तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन उनमें से ऐसे-ऐसे जो इस काबिल हैं कि जिनकी चर्चा मुझे इस वक्त कर देनी चाहिए उनकी चर्चा मैं कर दूंगा और इसलिए कर दूंगा कि मेम्बरान की समझ में पूरी तौर पर यह आ जाय कि यह संशोधन किस गरज से किया जा रहा है और उनसे यहां के कोआपरेशन के मूवमेंट को क्या फायदा पहुंचने वाला है। मगर इससे पहले कि मैं यह अर्ज करूं एक बात और बताना चाहता हूं और वह यह कि जिस रिपोर्ट का मैंने जिक्र किया रूरल क्रेडिट सर्वे की उस रिपोर्ट को देते हुए उन्होंने यह इरादा जाहिर किया कि रिजर्व बैंक खुद अपनी तरफ से क्रेडिट दे स्टेट्स को, कोआपरेटिव सोसाइटीज को क्रेडिट दे उस काम को चलाने के लिए जो उनका है ताकि अब से ज्यादा क्रेडिट लोगों को सोसाइटियों के जरिये से मिल सके। तो यह तो काम रिजर्व बैंक ने जारी किया। उसने यह बात और भी कही कि कोई ऐसा इन्तजाम होना चाहिये कि रिजर्व बैंक को यह इत्मीनान हो कि जो रुपया उनकी तरफ से मिलेगा वह रुपया वसूल हो सकेगा यकीनी तौर पर। रिजर्व बैंक से आपके सूबे की गवर्नमेंट ने एक कर्जा लिया, थोड़े दिन हुये, हमारे यहां सोसाइटीज के लिये। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इसकी गारंटी करे कि यह कर्जा सोसाइटीज से वसूल न होने की हालत में गवर्नमेंट की खुद की जिम्मेदारी होगी देने की, तो यह जो ५५ लाख लाख रुपये की रकम रिजर्व बैंक से गवर्नमेंट ने सोसाइटीज के लिये ली उसके लिये गवर्नमेंट ने गारंटी भी की कि हम जिम्मेदार बनते हैं कि यह रुपया आपको अदा होगा, लेकिन उसके साथ इसकी भी जरूरत है कि हमारा जो कानून हो उसके अन्दर काफी इन्तजाम इस बात का मौजूद हो कि जो रुपया सोसाइटियां देंगी अपने मेम्बरों को तो उन मेम्बरों से वह रुपया वाकई मानों में ठीक तौर पर वसूल हो सके। उस जरूरत की वजह से भी जो इसके अन्दर अमेंडमेंट रखा गया है उसकी निस्बत जिस वक्त मैं कहूंगा, मैं बतलाऊंगा कि क्यों वह रखे गये हैं और उनका नतीजा क्या होगा। लेकिन इस वक्त यह कहना जरूरी है कि रिजर्व बैंक एक बहुत बड़े फायदे का काम इन सोसाइटीज के लिये करने वाला है और उसने शुरू किया है और कदम बढ़ाया है और इसलिये गवर्नमेंट को भी अपनी जगह डटकर कदम बढ़ाना था। जैसा कि मैंने अर्ज किया, हमने गारेंटी दी है और इसी की वजह से इस कानून के अन्दर कुछ तब्दीलियां करने की जरुरत है।

अब इसमें जो अमेंडमेंट्स हैं उनकी निस्बत मैं आपको बतलाऊं कि मसलन एक बात की जरूरत होती है कि एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी को मौजूदा कानून की रू से कोई अपने बाईलाज बनाने का अख्तियार है। अब ऐसी सोसाइटीज ने अपने बाईलाज बनाये और वह कंडीशंस के चेंज होने की वजह से ठीक तौर पर काबिल काम करने के न रहे, या यह कि उनके अन्दर किसी और वजह से इस किस्म की बातें पैदा हो गयीं कि जिनकी वजह से उन बाईलाज को तबदील करने की जरूरत महसूस हो। अब वह सोसाइटी उन बाईलाज को तब्दील न करे, वह नहीं करती है, इसलिये कि जो आदमी बाहर हैं इस सदन के उनकी निस्बत एक बात हम यह अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि वह मेम्बर उतने काबिल और उतने पढ़े लिखे और उतने दिमाग के नहीं थे जितने कि तालीम पा करके आदमी हो जाते हैं और जिनके सामने कि वह जरूरतें अपने तौर पर आ जाती हैं, उनके सामने नहीं होतीं और उनके अन्दर आपस में हर किस्म के ताल्लुकात में नाखुशगवारियां भी रहती हैं, जिससे उनके

अन्दर तमाम किस्म के इख्तलाफात रहते हैं और इतफाक नहीं हो पाता है, इसलिये बाईलाज वैसे ही पड़े रहते हैं। इसलिये बहुत सी सोसाइटियों के बाईलाज ऐसे हैं जो ३० बरस से पहले के बने हुये हैं और उनमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं हुई है। तो अगर सोसाइटी नहीं बनाती तो इसमें एक अमेंडमेंट है यहां पर कि रजिस्ट्रार को उस वक्त अख्तियार होगा कि वह उन बाईलाज को बनाकर के उसको रजिस्टर कर दे सोसाइटी की तरफ से और जो उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं तो अमल करादे उनके ऊपर। गोया उस बाईलाज की कमी को पूरा करने और तब्दील करने का अख्तियार रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज को होगा और उसके जरिये से उस काम को कराया जा सकेगा। तो जो अमेंडमेंट है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि उसमें अगर जरूरत हो तो गवर्नमेंट तक भी बात आ सकती है और अपील की शक्ल में, अगर किसी के खिलाफ वह इस्तेमाल किया गया हो तो, वह आ सकता है।

दूसरी बात और थी। हर सोसाइटी की एक लाइबिलिटी है। एक लिमिटेड लाइबिलिटी कहलाती है और एक अनलिमिटेड कहलाती है। अगर किसी सोसाइटी की जिन्दगी में इस बात की जरूरत महसूस करते हैं, सोसाइटी की जो लाइबिलिटी पहले से कायम है उसको तब्दील कर लिया जाय। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी हों तो अनलिमिटिड लाइबिलिटी कर दी जाय या अनलिमिटेड लाइबिलिटीज हैं तो लिमिटेड लाइबिलिटीज कर दी जायं। लेकिन इस वक्त तक कानून में हमको यह अख्तियार नहीं था। लिहाजा यह संशोधन इस तरीके का रखा गया है जिससे इस किस्म की तरमीम करने का मौका पैदा हो जायगा।

इसकी जरूरत पैदा होती है कि सोसाइटी बहुत बड़ी है और उसके आदमियों को एक जगह इकट्ठा होकर, बैठकर काम करना मुश्किल होता है उसके लिये एक तरीका डेलीगेट्स का बनाने के लिये प्रावीजन रखा गया है डेलीगेट्स बनाये जायं, तो इसके माने यह हो जायेंगे कि वह डेलीगेट्स उन लोगों की तरफ से काम करेंगे और सारे काम उनके जरिये हो जायेंगे। अब एक सोसाइटी इतनी छोटी है, और वह दूसरी सोसाइटी में मर्ज होकर बड़ी बनाई जाय तो सोसाइटीज का तोड़ना, बड़ी बनाना वगैरह सब चीजें इस बिल रखी में गई हैं। इस किस्म की तीन चार दफात हैं जिनकी वजह से उन जरूरतों को जो मैंने अर्ज की हैं, पूरी की जा सकती हैं और वह पूरी हो सकती हैं।

तीसरी बात एक और है जो मैं अर्ज कर रहा था कि जब कर्जा सोसाइटी किसी को दे तो इस बात की जरूरत है कि कर्जा उस आदमी से वसूल हो तो वह उस आदमी की जायदाद या बिलोंगिंग्स से वसूल किया जा सकता है। हमारे यहां जो सीरदार हैं, उनकी होल्डिंग्स ट्रांसफरेबुल नहीं हैं। इसके माने यह हो जायेंगे कि जो सीरदार हैं उनको सोसाइटी से कर्जा देने में इस लिये रुकावट होगी कि अगर उनको कर्जा दिया गया और वह अदा नहीं हुआ तो किसी किस्म की वसूल करने की कार्यवाही में दिक्कत है। जो बात मैं कह रहा था वह यह कि रिजर्व बैंक के रिप्रेजेंटेटिव आये थे और मुझसे उनकी काफी गुफ्तगू हुई थी और उन्होंने फरमाया कि हमने हिन्दुस्तान में अपना रुपया इस तरीके से फैलाने का इरादा किया है उसके लिये इस बात की जरूरत है कि हमारे लिये काफी इत्मीनान होना चाहिये कि वह रुपया वसूल हो जायगा। हमारे यहां रेवेन्यू ला है, उसके जरिये सीरदारों के होल्डिंग्स ट्रांसफरेबिल नहीं हैं, इसलिये उन लोगों से सोसाइटी का रुपया वसूल नहीं होगा। यह उनको शुबहा था, इसलिये इस बात की जरूरत थी कि जो रुपया सीरदार को दिया जायगा वह वसूल हो सके। इसी के लिये कानून के अन्दर यह कर रहे हैं कि जो सीरदार हैं, उनसे रुपया जो उनको सोसायटी से दिया गया है, वह कर्जा इस तरीके से वसूल हो सकेगा जिस तरीके से कि सरकारी मालगुजारी वसूल होती है। सरकारी मालगुजारी वसूल करने का जो तरीका है, वह सबको मालूम है, इसलिये उसके तफसील से बयान करने की जरूरत नहीं है? इसलिये इस तरीके को मंजूर कर दिया जाय और यह कर दिया जाय कि जो रुपया सोसायटी का है और कर्ज दिया गया है वह रुपया मालगुजारी

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

की तरह से वसूल हो सके तो इत्मीनान हो जायगा देने वाले को और वसूली में कोई रुकावट नहीं होगी। इसलिये एक सेक्शन इस बात के लिये रखा गया है कि इस रुपये को इस तरीके से वसूल किया जा सके।

एक दफा यह भी लाई गई है कि जो सोसायटी का कर्जा है किसी शख्स के ऊपर, यह तो आपने सुना ही होगा कि गवर्नमेंट का रुपया फर्स्ट चार्ज है किसी चीज के ऊपर। इसके बाद दर्जा इसको दिया गया है। सोसाइटी का रुपया इसके बाद समझा जायगा और इसकी लाइबिलिटी बमुकाबिले दूसरे कर्जों के पहले वसूल होगा। यह दो नई चीजें इस बिल में रखी गई हैं और इसलिये रखी गई हैं जो मैंने पहले ही अर्ज कर दिया है, वह एक बड़ी जरूरत है। हमको अपनी सोसाइटीज का काम ही नहीं चलाना है बल्कि उनकी हालत को दुरुस्त करना है। उनकी हालत को दुरुस्त करने के माने क्या हैं? इसके माने यही है कि उनकी माली हालत अच्छी हो, उनके पास काफी पैसा हो और उनका रुपया वसूल होने का काफी इन्तजाम हो और वह इस काम को अपना काम समझें बजाय इसके कि सरकारी नौकरों का काम समझा जाय और उनके जरिये से उनको किया जाय तो जितनी फैसिलिटीज उनके लिये हो सकती हैं वे उनके लिये पैदा की जायं। मिनजुमला इन बातों के जिनको कि मैंने आपके सामने कहा, एक दूसरा बड़ा बिल इस हाउस के सामने लाया जायगा जिसमें कि और तमाम बातें उनके फायदे की होंगी ताकि हमारा सहकारिता का काम अच्छी तरह से चलने लगे। मैं समझता हूं कि मेम्बरान इस बिल को बहुत जरूरी, मुनासिब और मुफीद समझेंगे जिसको जल्द से जल्द पास हो जाना चाहिये ताकि उसके ऊपर हम अमल करें और उस वक्त तक उस पर अमल होता रहे जबतक कि कोई बड़ा कानून इस स्टेट के अन्दर बन कर पास न हो। इन लफ्जों के साथ मैं इस बिल को इस हाउस के सुपुर्द करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेम्बरान इस को मंजूर फरमायेंगे।

(श्री उपाध्यक्ष ने श्री नारायणदत्त तिवारी का नाम पुकारा।)

श्री राजनारायण--श्रीमन्, इसके बाद हमारा संशोधन आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष--उनका संशोधन भी आ रहा है।

श्री राजनारायण--उनका तो आ रहा है लेकिन हमारा पहले आ चुका है।

श्री उपाध्यक्ष--उनका संशोधन पहले आ गया है। मैंने उनको बुला लिया है। आपको भी मौका मिलेगा।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, प्वाइन्ट आफ आर्डर। मौका मिलने का सवाल नहीं है, क्लेम का सवाल है। हमने अपना संशोधन पहले भेजा है।

श्री उपाध्यक्ष--नहीं, पहले उनका आया है।

श्री राजनारायण--कहां है उनका संशोधन, दिखाइये।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आपका यह तरीका तो बहुत अच्छा नहीं है। अगर चेयर कोई बात आपको कहती है तो उसको मानना चाहिये।

श्री राजनारायण--आपने श्रीमन् यह नहीं कहा कि उनका संशोधन आ गया, आपने कहा कि उनका संशोधन भी आ रहा है। यह आपने पहले कहा था।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५६ को एक प्रवर समिति के विचारार्थ भेज दिया जाय। इसके संबंध में सदस्यों की नामावली, श्रीमन्, बाद को दूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है यह इस प्रदेश में कोआपरेटिव आन्दोलन के महत्व को देखते हुये एक महत्वपूर्ण विधेयक है। मुझे तो कुछ ऐसा भय लगता है कि जितना महत्वपूर्ण यह विधेयक है और जितना महत्वपूर्ण यह विषय है उसके साथ शायद हम इतनी जल्दी में अधिक न्याय न कर सकें। कोआपरेटिव सोसाइटीज के संगठन के संबंध में सन् १९१२ से एक केंद्रीय ऐक्ट चल रहा है और उसके आधार पर कोआपरेटिव सोसाइटीज का संगठन इस प्रदेश में भी हुआ है। जैसा कि इस बिल के उद्देश्य और कारण में लिखा है इस बिल का मतलब यह है कि रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट के आधार पर खेतिहरों को सस्ते और अधिक संख्या में कर्ज की सहूलियतें दी जायं और जो मार्केटिंग फैसिलिटीज देहाती जनता को हैं उनका अधिक उचित संगठन किया जाय। इसके संबंध में जो रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट है उसके अधिक महत्वपूर्ण संशोधनों को लागू करने के लिये यह विधेयक लाया जा रहा है। उसमें लिखा है:—

"The present Bill seeks to make in the Co-operative Societies Act provision for the implementation of the more important of these recommendations."

अर्थात् रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट ने जो सिफारिशें की हैं उनमें से अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों को इस विधेयक द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। आगे लिखा है:—

"It may be necessary to bring a more exhaustive measure later."

यानी आगे चल कर अधिक व्यापक कानून लाने की आवश्यकता हो सकती है। तो मैंने जब इस विधेयक का अध्ययन किया तो जो इसके उद्देश्य और कारण में बात लिखी गई है कि अधिक महत्व की सिफारिशों को हम इसमें कार्यान्वित कर रहे हैं ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि रूरल क्रेडिट सर्वे की रिपोर्ट जो मुख्य सिफारिशें थीं उनको कार्यान्वित करने का कोई प्रयत्न ही नहीं किया गया सिर्फ एक उस सिफारिश को छोड़ कर जिसमें सीरदार भूमि मार्गेज करके कर्जा ले सकता है। उस रिपोर्ट की कौन सी सिफारिशें हैं और जिनको इस विधेयक में स्थान मिलना चाहिये था। मैं तो सरकार को दोषी ठहराऊंगा स्पष्टतः कि सरकार ने उस रिपोर्ट को जिसको द्वितीय पंच वर्षीय योजना में प्रमुख स्थान दिया गया है इस योजना के प्रथम वर्ष में कोई महत्व का कार्य नहीं किया है जिसमें हम यह मान सकें कि सरकार गम्भीरतापूर्वक उस रिपोर्ट को इस प्रदेश में लागू करना चाहती है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब केन्द्र में वेयरहाउसिंग कारपोरेशन बनाया गया है और जब कि पार्लियामेंट ने वेयरहाउसिंग कारपोरेशन बनाने के बाद उसकी और एजेंसियां निर्माण करने के सम्बन्ध में ऐक्ट पास कर दिया है तो इस प्रदेश में रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार स्टेट वेयरहाउसिंग कम्पनियां अभी तक क्यों नहीं बनाई गईं ?

सबसे पहला कार्य जो क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कोआपरेटिव आन्दोलन को बढ़ाने के लिये राज्य सरकार को करना था वह स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन बनाने का था।

दूसरी महत्वपूर्ण सिफारिश सरकार को यह माननी चाहिये थी और मैं समझता हूं कि उसके मानने के लिये यही वर्ष और यही विधेयक था कि उसको दो प्रकार के फंड्स बनाने चाहिये थे। रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट के पेज ३१ पर पैराग्राफ ३ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य सरकार को दो प्रकार के फंड्स बनाने होंगे। एक तो स्टेट एग्रीकल्चर रिलीफ ऐंड गारन्टी फंड और दूसरा स्टेट कोआपरेटिव डेवलपमेंट फंड और इसके सम्बन्ध में लेजिस्लेशन करना होगा। इस विधेयक में जब यह दावा किया जाता है कि हम इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों को मान रहे हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या कारण है कि इन दो फंड्स को निर्मित करने की कोई चेष्टा नहीं की गई। यह दोनों फंड्स अगर एक साथ नहीं बन सकते थे तो कम से कम एक तो बनाया ही जा सकता था।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

दूसरी बात जो इस विधेयक के सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य है वह यह है कि इसमें राज्य सरकार को तीन प्रकार की नई शक्तियां दी जा रही हैं। एक तो रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज के बाईलाज को बदलने की शक्ति अपने हाथ में लेंगे। अगर कोई सोसाइटी उनके सुझाव के अनुसार बाई ला को नहीं बदलती है तो उनको इस बात का अधिकार होगा कि वह नोटिस दे कर उस सोसाइटी को और एक मौका देकर रजिस्ट्रार खुद उसका बाईलाज बना देंगे। और इस प्रकार बनाया गया बाईलाज सोसाइटी के बाईलाज होंगे, तो पहली ताकत तो रजिस्ट्रार को इस प्रकार की दी जा रही है कि बिना सोसाइटी की मंजूरी के भी रजिस्ट्रार स्वयं किसी भी सोसाइटी के बाईलाज बना सकते हैं। यह ताकत अब इस विधेयक द्वारा दी जा रही है। नम्बर दो, इस बात का भी अधिकार दिया जा रहा है कि रजिस्ट्रार एप्रूवल दें कि सोसाइटीज की जो लायबिलिटीज हैं या असेट्स हैं उनकी अदलाबदली हो सके। वह ट्रांसफर हो सकें। इस संबंध में भी रजिस्ट्रार साहब का एप्रूवल फाइनल होगा।

तीसरी ताकत जो रजिस्ट्रार साहब की बढ़ाई जा रही है वह सोसाइटियों के विभाजन के सम्बन्ध में है कि अगर कोई सोसाइटी अपने तीन हिस्से करना चाहती है तो रजिस्ट्रार साहब उस सम्बन्ध में भी एप्रूवल देंगे और इस तरह से सोसाइटियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। एक सोसाइटी अपने को विभाजित करके अनेक सोसाइटियों में परिणत कर सकती है और इसके साथ-साथ अगर बहुत सी सोसाइटियां मिल कर एक सोसाइटी होना चाहती है तो उसके सम्बन्ध में भी इस विधेयक में रजिस्ट्रार महोदय को अधिकार दिया जा रहा है।

चौथा अधिकार जो रजिस्ट्रार महोदय को दिया जा रहा है वह यह है कि अगर किसी सोसाइटी के मेम्बर ने किसी प्रकार का कर्जा लिया है खेती के लिये तो वह जमीन से वसूल किया जा सकता है। अगर सिंचाई के संबंध में कर्जा लिया है तो सिंचाई से जो माल उत्पादित किया गया उससे भी कर्जा वसूल किया जा सकता है। यह एक चौथा अधिकार उसे दिया जा रहा है जो कि राज्य सरकार के लिये भी है और सोसाइटीज के लिये भी है और जो कि सोसाइटीज के सदस्यों के ऊपर एक प्रकार के कर्जे के भार के रूप में होगा और एक लैंड रेवेन्यू के एरियर्स के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

पांचवी बात यह कि किसी भी सोसाइटी के किसी भी अधिकार के प्रति कार्यवाही करने की उसकी शक्ति है। अगर उस सोसाइटी के अधिकारी ने या सदस्य ने किसी नियम या बाईलाज के विरुद्ध रुपया दिया है या रुपया एडवांस कराया है या हिसाब-किताब में गड़बड़ी की है तो रजिस्ट्रार को उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार है। यह पांच किस्म की ताकतें रजिस्ट्रार महोदय को दी जा रही हैं।

अगर हम पुराने ऐक्ट को देखें तो उसमें भी पायेंगे कि रजिस्ट्रार महोदय को कुछ ताकतें हैं। जिस धारा १९ को हम संशोधित कर रहे हैं, जिस धारा ४४ को हम संशोधित कर रहे हैं, जिस धारा ११ को हम नये रूप में रख रहे हैं ११ ए, बी, सी, डी के रूप में, इसी प्रकार की कुछ शक्ति, इससे थोड़ी कम श्रेणी की रजिस्ट्रार महोदय को पहले से भी है। हमें यह देखना है कि पुराने ऐक्ट के अनुसार रजिस्ट्रार महोदय को जो शक्ति थी क्या उन्होंने उसका सदुपयोग किया है? उसका सदुपयोग किया है अथवा दुरुपयोग किया है? यह हमें देखना है। अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो हमें यह दिखलाई पड़ता है कि हमारे प्रदेश में ४०,००० के लगभग कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं और इनमें से अधिकांश इस समय ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पा रही हैं। अपने बाईलाज के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रही हैं। बहुत सी सोसाइटियां एक प्रकार से कार्यरूद्धता, डेडलाक के फंदे में फंसी हुई हैं। कोआपरेटिव ऐक्ट मौजूद है, रजिस्ट्रार साहब को शक्ति मिली हुई है, रूल्स भी हैं, रेगुलेशन्स भी हैं, स्टाफ भी है, लेकिन फिर भी हमारी कोआपरेटिव सोसाइटियां अपने को

एक दलदल में पाती हैं। अब यह दलदल वैधानिक दलदल नहीं है। यह दलदल एक ऐसी दलदल है जिसमें एक तरफ तो विधान का ठीक प्रकार से सदुपयोग भी नहीं हुआ है, नियमों की मर्यादा भी पालन नहीं की गई है, प्रशासकीय दृष्टिकोण से भी प्रशासन ढीला रहा है। तो जब हम देखते हैं कि पुराने ऐक्ट के अनुसार और उसकी धाराओं के अनुसार काम नहीं किया जा रहा है तो यह नये अधिकार देने की रजिस्ट्रार महोदय को क्या आवश्यकता है? रजिस्ट्रार महोदय तो अपने पुराने दिये गये अधिकारों का भी सदुपयोग नहीं कर पाये हैं। और उनको स्वयं पूरा करने में असमर्थ रहे हैं। स्वयं भूतपूर्व मुख्य-मंत्री माननीय पन्त जी ने बख्शी तालाब में कहा था कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट एक खोखला विभाग है। श्रद्धेय पन्त जी के मुख से इस प्रकार के शब्द निकलना कोई महत्व रखता है। तो जब कोआपरेटिव विभाग और रजिस्ट्रार महोदय जैसे कि पहले ऐक्ट में अधिकार थे और उनका सदुपयोग नहीं कर पाये हैं और इस कोआपरेटिव आन्दोलन को आगे नहीं बढ़ा पाये हैं तो कम से कम मुझे विश्वास नहीं होता है कि रजिस्ट्रार महोदय को ऐसे अधिकार और दिये जायं तो उससे और कोई आगे लाभ होगा। मेरे विचार से इससे कोई विशेष स्थिति में सुधार नहीं होने वाला है। हम भी चाहते हैं कि स्थिति में सुधार हो और यह कोआपरेटिव आन्दोलन प्रदेश में तरक्की करे और कोआपरेटिव मूवमेंट का विस्तार रूरल मार्केटिंग के द्वारा हो और सहकारी आन्दोलन आगे तरक्की करे लेकिन यह केवल विधान में रजिस्ट्रार को अधिकार बढ़ा देने से सम्भव नहीं होगा। यह कह देना कि सीरदार को जमीन पर कर्ज दिया जा सकता है पर्याप्त नहीं होगा।

कहा गया है कि सरकार ने रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है उचित नहीं है। मैं समझता हूं सरकार ने उस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। सरकार ने उसको नामन्जूर किया है। सरकार को इस बिल के उद्देश्य और कारणों में यह नहीं लिखना चाहिये कि रूरल क्रेडिट सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर यह विधेयक लाया गया है। मैं समझता हूं उसके आधार पर यह नहीं लाया गया है नहीं तो बिल की यह शक्ल नहीं होती जो कि आज सदन के सामने रखी गयी है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति के सन्मुख जाय और उसमें हम यह देखें कि रजिस्ट्रार महोदय को जितने पहले अधिकार मिले हुये थे उस सन् १२ के ऐक्ट के अनुसार वह पर्याप्त हैं या नहीं। अगर वह पर्याप्त हैं तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि इस प्रकार की शक्ति उसको दें। मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं कि हम यह चाहते हैं कि कभी आवश्यकता पड़ने पर कोआपरेटिव विभाग को इस बात का अधिकार मिलना चाहिये कि आवश्यकता पड़ने पर वह अमलगमेशन कर सके और सोसाइटीज का डिवीजन कर सके। एक सोसाइटी अगर २, ३ सोसाइटियों का स्वरूप लेना चाहती है तो ऐसा अधिकार विधान में उनको होना चाहिये; लेकिन जहां तक रजिस्ट्रार महोदय के अधिकार बढ़ाने की बात है उससे सोसाइटी का आन्दोलन आगे नहीं बढ़ेगा। इस तरह की शक्ति बढ़ाने का मतलब केवल यह है कि गबन को रोका जाय। अगर विगत वर्ष को देखा जाय तो गबन के मामले हर साल आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो भी मुझे लेटेस्ट रिपोर्ट लाइब्रेरी में मिली है उसके अनुसार पहले एक साल में १४० शिकायत इस गबन की आयीं जिसमें ३,३८,६८४ रुपये का गबन हुआ। दूसरे साल यह शिकायत बढ़ कर ३२६ हो गयी जिसमें ६,२७,४८४ रुपया गबन हुआ। तो इस तरह से गबन की शिकायत बराबर बढ़ रही हैं। उसको रोकने की और शक्ति देना कहां उचित है जब कि पहले विधान में यह मौजूद है। हमने देखा विधान में ताकत देने से यह काम चलनेवाला नहीं है। इसको प्रवर समिति में आने की आवश्यकता है और वहां पर जाकर आधार भूत कारणों पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्यों यह कोआपरेटिव आन्दोलन आगे नहीं बढ़ रहा है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि प्रवर समिति में इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि रजिस्ट्रार महोदय को और अधिकार देने की आवश्यकता है या नहीं।

दूसरी बात इस विधेयक में यह कही जा रही है कि जो सीरदार हैं उसको भूमि गिरवी रख कर कर्जा लेने की सुविधा दी जा रही है। कोआपरेटिव आन्दोलन को आगे बढ़ाने के

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

लिये सीरदार को भी एक शक्ति दी जा रही है। यह बात सही है और होनी चाहिये और हमें सीरदार को अधिकार दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। सीरदारों को इम्मूवेबिल प्रापर्टी पर मार्गेज के रूप में कर्जा मिलना चाहिये। लेकिन इस प्रदेश का नक्शा ही दूसरा है। रूरल सर्वे रिपोर्ट बतलाती है कि एग्रीकल्चरल क्रैडिट सोसाइटीज के द्वारा सबसे कम कर्जा, उड़ीसा को छोड़कर यू० पी० में दिया गया है। हैदराबाद में ८८ प्रतिशत, बिहार में ७८, मध्य भारत में ७७, बम्बई में ७६, मध्य प्रदेश में ७२, वैस्ट बंगाल में ६८, ट्रावंकोर कोचीन में ६२, आसाम में ५३, मैसूर में ४३, मद्रास में ३६, पैप्सू में ३० और यू० पी० में केवल ३ प्रतिशत एग्रीकल्चरल क्रैडिट सोसाइटी ने दिया। उड़ीसा में २ प्रतिशत दिया। पेज २३३ में यह दिया है। तो जाहिर है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ही हुये। पैप्सू जैसा राज्य ३० प्रतिशत एडवांस देता है और यू० पी० उसका १० वां हिस्सा। आप बिल में प्रावीजन रख लें, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपने एक अधिकार ले लिया है, तो यह केवल दिखावे की बात होगी। इसमें सरकार को अपनी नीति साफ करनी चाहिये।

एक दूसरी विशेष बात की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं। सन् ५४ की रिपोर्ट में स्वयं विभाग अंतिम रिमार्क में कहता है कि--

"It is true that the Co-operative structure in the State has been designed on a multi-purpose basis. But it may be stated that the activities of most of the Co-operatives have generally been one-sided."

आगे यह है कि --

"Co-operatives have also suffered on account of lack of precise programme and expert guidance which is so necessary for the success of any economic activity."

आश्चर्य की बात है कि एक्सपर्ट गाइडेन्स और ठीक प्रोग्राम की कमी विभाग स्वयं कहता है, इसलिये उनका कार्य नहीं हो पाता है।

"During a period of planning and control, particularly Co-operatives need a very clear enunciation of the State policy regarding their working and programme and more particularly of the part they are required to play therein."

मैं इसका अनुवाद किये देता हूं। नियोजन और नियंत्रण के युग में कोआपरेटिव के सम्बन्ध में राजकीय नीति को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये ताकि उनका आर्थिक कार्यक्रम स्पष्ट हो सके और विशेष रूप से यह कि कोआपरेटिव को उसमें क्या करना होगा। यानी खुद कोआपरेटिव डिपार्टमेंट यह समझता है कि राज्य की नीति यानी कांग्रेस सरकार की नीति कोआपरेटिव के सम्बन्ध में, उसके आर्थिक रोल के सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं है। यह आपकी विभागीय रिपोर्ट है। इससे अच्छा सेंसर सरकारी पालिसी के ऊपर और इस विधेयक की निःसारिता के ऊपर नहीं हो सकता। अपोजीशन अथवा ट्रेजरी बेंचेज के लोग नहीं, स्वयं आपका विभाग ही कहता है कि आपकी पालिसी प्रेसाइज नहीं है। इस पृष्ठ भूमि में आप इस विधेयक को देखें।

इस विधेयक में यहभी कहा गया है कि हम कोआपरेटिव के सम्बन्ध में एक विधेयक भविष्य में लायेंगे। वह भविष्य कब होगा यह सरकार को भी मालूम नहीं है। स्पष्ट है कि वह भविष्य सन् ५७ के आम चुनावों के बाद ही होगा यानी सन् ५७ के अन्त में, उसके पतझड़-काल में जब नयी सरकार बनेगी तब कोआपरेटिव की व्यवस्था करने के लिये एक नया ऐक्ट लाया जायगा और उस समय एक द्वितीय पंचवर्षीय योजना के २ वर्ष बीत

चुके होंगे--५६ और ५७, केवल, तीन साल बाकी रह जायेंगे। तो क्या तीन साल में ५ साल का काम होगा? आपने मोरगेज फंड नहीं बनाया, कोआपरेटिव फंड नहीं बनाया और स्टेट वेअर हाउसिंग कम्पनी नहीं बनायी। इस प्रकार बुनियादी रूप से आपने कोई काम नहीं किया। कुछ छोटे-मोटे काम हुए हैं, सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन होने लगा है लेकिन इस रिपोर्ट के आधार पर कोई मुख्य काम नहीं हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना और रूरल क्रेडिट रिपोर्ट के टारगेट को आप कैसे पूरा करेंगे? अगर करने वाले नहीं हैं तो यह बिल केवल एक नेमसेक बिल होगा। इसलिये हम चाहते हैं कि इस बिल को प्रवर समिति में ले जाया जाय। उसमें इसको गम्भीरता पूर्वक देखा जाय कि रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट की कौन कौन सी रिकमेंडेशन्स को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। उनके आधार पर ही हम कार्य करें। रिपोर्ट में यह साफतौर पर कहा गया है कि कोआपरेटिव सर्विस होनी चाहिये। उसमें यह लिखा हुआ है कि--

"The State Government's Co-operative Service may be reorganized in two broad divisions : (*a*) Administrative, and (*b*) Technical. There would thus be a State Co-operative Administrative Service (Class I and Class II).

यह सर्विस पहले बननी चाहिये। फिर इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण सिफारिश जो आयी वह यह थी कि सोसाइटीज के सुपरविजन का काम डिपार्टमेंट का नहीं होना चाहिये, कोआपरेटिव डिपार्टमेंट का काम नहीं होना चाहिये बल्कि---

"Supervision of societies should be a function of the apex and central Banks, audit along with office inspection of co-operative organization, should continue to be the responsibility of the State Government."

यानी अलहैदा-अलहैदा काम बैंकों और कोआपरेटिव विभाग के हो जाने चाहिये। यानी यह कि राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी होगी और सेंट्रल बैंक की क्या जिम्मेदारी होगी? यानी सोसाइटीज के सुपरविजन का काम केन्द्रीय बैंक, राज्य बैंक और रीजनल बैंक करेंगे तथा आडिट और दफ्तर के निरीक्षण का काम राज्य सरकार की तरफ से होगा। अब यह जो विधेयक हमारे सामने है उसमें इस महत्वपूर्ण नीति के संबंध में कोई घोषणा अथवा स्पष्ट उक्ति नहीं दी गयी है। सरकार का मंशा रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट में दी हुई महत्वपूर्ण सिफारिशों के सम्बन्ध में क्या है? क्या सरकार कोआपरेटिव सोसाइटीज का सुपरविजन अपने हाथ में लेना चाहती है? डिपार्टमेंटल सुपरविजन अपने हाथ में लेना चाहती है या स्टेट और रीजिनल बैंक के मातहत उसे रखना चाहती है यह स्पष्ट नहीं होता है। साथ ही साथ जब हम सीरदारों के अधिकार बढ़ाने जा रहे हैं कर्ज देने के तो जो लैण्ड मार्गेज बैंक खोलने की बात थी कि प्रत्येक राज्य को लैण्ड मार्गेज बैंक खोलना आवश्यक होगा उसके सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध हुआ? सीरियल नं० ७१ चैप्टर ३६ में लिखा है कि "ईच स्टेट शुड हैव ए सेपरेट लैंड मार्गेज बैंक।" लेकिन इस संशोधन विधेयक में इस तरह की कोई बात नहीं कही गयी है। मैं यह नहीं कहता कि रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट की जितनी सारी सिफारिशें हैं उन सबको एक साथ ही मान लें, मैं यह नहीं कहता कि जितने फंड या बैंक बनाने हैं सबको पहले ही वर्ष में बना लें लेकिन कोई इंटेग्रेटेड स्कीम होनी चाहिये, कोई फिक्सिड प्रोग्राम होना चाहिये कि आपका कार्यक्रम क्या है। पहले साल आप वेयर हाउसिंग कम्पनी बनाइये, दूसरे वर्ष सोसाइटी फंड बनाइये, तीसरे वर्ष लैंड मार्गेज बैंक बनाइये।

मैं चाहता था कि माननीय मंत्री जी सदन को बतलाते कि उनकी पूरी स्कीम क्या है जिस बिना पर वे इस विधेयक को यहां ला रहे हैं। अगर वे रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट की कुछ

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

सिफारिशों को भी मानें तो मैं समझता कि यह विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है उसके एक अंश की पूर्ति हो गयी है।

अन्त में मैं बहुत नम्रतापूर्वक लेकिन अत्यन्त आग्रहपूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी से कि वे अवश्य इस प्रस्ताव पर विचार करें कि इसको एक प्रवर समिति में भेजा जाय ताकि हम वहां उसका विश्लेषण कर सकें। हम सभी सदस्य, चाहे विरोधी पक्ष के हों, चाहे ट्रेजरी बेंच के हों, चाहते हैं कि कोआपरेटिव आन्दोलन बढ़े समाजवादी व्यवस्था की स्थापना में सहयोगी आन्दोलन का, कोआपरेटिव सोसाइटीज आन्दोलन का बहुत बड़ा महत्व है, बल्कि समाजवाद की उत्तरोत्तर प्रगति में सहयोग समितियों का कार्य ही मुख्य आधार होता है और कोआपरेटिव आन्दोलन ही समाजवादी गवर्नमेंट का आधार स्तम्भ होता है। इसलिये हमको देखना है कि इस आन्दोलन में क्या कमियां हैं और किस तरह से हम इसको एक सुन्दरतम रूप दे सकते हैं। इसलिये इसको प्रवर समिति में ले जाना अत्यन्त आवश्यक है, यही मेरा आपसे नम्र निवेदन है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, आज जो यह विधेयक माननीय वित्त मंत्री ने सदन में प्रस्तुत किया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। इसलिये मैंने अपना संशोधन आपकी सेवा में प्रेषित किया था और मेरा संशोधन इस विधेयक पर जनमत प्राप्त करने के लिये प्रसारित करने का था और है और चूंकि एक महीने की अवधि भी अपने संशोधन में मैंने रख दी है कि यह विधेयक जनमत प्राप्त करने के लिये एक महीने के लिये प्रसारित कर दिया जाय। जब इस विधेयक पर जनमत प्राप्त करने के लिये इसे प्रसारित करने का संशोधन मैं प्रस्तुत करता हूं तो उसके औचित्य पर प्रकाश डालना भी मेरे लिये आवश्यक हो जाता है।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि हमारे प्रदेश की ७ करोड़ की आबादी है। ६ करोड़ ३२ लाख के तो उधर के आंकड़े प्राप्त होते हैं और इधर ७२ लाख की आबादी और बढ़ी है। इस तरह से ७ करोड़ के ऊपर आबादी है। इस समय सन् १९५४ के जो आंकड़े सरकार के पास प्राप्त हैं ये कहते हैं कि इस समय सहयोगी समितियों के सदस्यों की संख्या ३४,१७,२७७ है, और सहकारी समितियों की संख्या ४२,२३२ है और इन सहकारी समितियों की जो चालू पूंजी है वह ३२३६.८३ लाख रुपया है। इस प्रांत में जो सहकारी समितियां हैं और उन में जो बैंक सिस्टम है, उसकी शाखाओं को भी देखा जाय तो वह १० हैं और उनके सदस्य भी १,५०० के करीब हैं। तो अभी इन तमाम बातों को मैंने सदन के सामने इसलिये रखा कि माननीय सदस्य देखें कि यह प्रदेश के सामान्य नागरिकों के जीवन से संबंधित विधेयक है और १९१२ के ऐक्ट के मुताबिक जो कोआपरेटिव संस्थायें हमारे प्रदेश में चल रही हैं अभी तक उन्होंने जनता का कोआपरेशन या सहयोग कहीं प्राप्त किया है? कहीं नहीं किया है।

श्रीमन्, जब मैं सहकारिता के आन्दोलन पर आता हूं तो मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक अर्थ में हमारे इस प्रदेश में सहकारिता का आन्दोलन है ही नहीं, यह आन्दोलन जनता पर ऊपर से थोपा नहीं जा सकता, वह तो नीचे ही से आयेगा, जनता से आयेगा, जनता के अन्दर अगर वह प्रेरणा होगी, जनता के अन्दर अगर सहकारी प्रवृत्ति पैदा होगी तभी ऐसे आन्दोलन की वृद्धि हो सकती है और तभी उसकी व्यापकता हो सकती है; मगर इतने प्राचीन-काल से प्रदेश में इस आन्दोलन के चलने के बाद भी जो मूल रूप में सहकारिता के आन्दोलन का अर्थ होता है वह हमारे प्रदेश की जनता द्वारा नहीं अपनाया गया। इसका सारा दोष इसकी गतिविधि को चलाने वाली और उसका नियंत्रण करने वाली सरकार के ऊपर देना चाहिये। जनता के अन्दर एक अभिलाषा थी, एक प्रेरणा थी और जनता समझती थी कि जब साम्राज्यशाही अंग्रेजी हुकूमत यहां से समाप्त होगी और इस प्रदेश में और देश में यहीं

के रहने वालों की हुकूमत कायम होगी तो सहकारिता का आन्दोलन अच्छी तरह से विकसित होगा मगर जिस तरीके से और जिस ढंग से, जिस नीति को अख्तियार कर के आज यह सरकार इस प्रदेश में इस आन्दोलन को चलाना चाहती है उसके लिये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वह उचित नहीं है। वह ठीक नहीं है और उससे सहकारिता का आन्दोलन विकसित न होगा और उसमें बाधा पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपना दृष्टिकोण सहकारिता आन्दोलन के संबंध में प्रस्तुत करना चाहता हूं। सहकारिता आन्दोलन हो क्यों ? सहकारिता आन्दोलन का सार क्या है। उस समय जब कि सहकारिता आन्दोलन की कल्पना लोगों के मस्तिष्क में आई तब पूंजीवादी व्यवस्था दुनिया के विभिन्न मुल्कों में फैली हुई थी और मत्स्य न्याय के आधार पर, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है और पचा जाती है, उसी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था में बड़े पूंजीपति, सम्पन्न पूंजीपति छोटे-छोटे पूंजीपतियों को खा जाते हैं और पचा जाते हैं और सारी शक्ति और धन उन्हीं के पास केंद्रित हो जाता है और चन्द व्यक्तियों के हाथ में मानोपोलिस्ट सिस्टम की तरह एकाधिपत्य हो जाता है, व्यापार और अधिकार सब एक जगह आ जाते हैं। इस चीज का खत्म होना आवश्यक है कि चन्द व्यक्तियों के हाथ में सारे समाज की जीवन सामग्रियां और साधन चले जायं और यह किसी को अभीष्ट न होगा। फिर भी जो जनतांत्रिक प्रणाली पर चलने वाले हैं, जो जनतंत्र को सत्ता के विकेंद्रीयकरण के रूप में मानने वाले हैं उनके लिए तो कभी भी यह बात स्वीकार नहीं हो सकती कि एकाधिपत्य तमाम व्यवस्थाओं और तमाम साधनों में हो जाय। आप देखेंगे कि इसीलिये जब पूंजीवादी व्यवस्था चारों तरफ से अपना खूनी पंजा गड़ाने लगी और गतिरोध उत्पन्न हुआ, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था पूर्णरूप से सर्वदा के लिये मान्य नहीं हो सकती और जब व्यापार में एकाधिपत्य हो जाता है, कामर्शियल और इंडस्ट्रियल स्टेज आया, आगे मानोपोलिस्टिक स्टेज आया जब सारे रोजगार और सारे साधनों को चन्द पूंजीपति अपने हाथ में करने लगे और लोगों के हाथ में कोई सहारा नहीं रह गया कि इसका प्रतिकार कैसे हो, इसकी जगह लेने वाली कौन सी व्यवस्था हो, पूर्ण रूपेण समाजवादी व्यवस्था आने तक बीच की भी कोई व्यवस्था हो सकती है उस समय लोगों के मस्तिष्क में कल्पना आई : क्या ही अच्छा होता अगर एक व्यक्ति की जगह अनेक व्यक्ति, जिनके पास थोड़े भी साधन हों, वे जुट कर एकत्रित हो कर उद्योग धंधों को अपने हाथ में लें।

आज एक व्यक्ति जो तमाम रोजगारों में एकाधिपत्य स्थापित कर, मूल्यों पर नियंत्रण स्थापित करके जीवन की तमाम आवश्यक सामग्रियों को जनता के हाथ से वंचित करता चला जा रहा है उसके स्थान पर सहयोगी उद्योग धंधों का, कोआपरेटिव्स का विकास हो और कई लोग जिनके पास थोड़े-थोड़े साधन हों वे सहयोगी आधार पर मिल करके उद्योग धंधों को अपने हाथ में लें, कारोबार को अपने हाथ में लें, जीवन की आवश्यक सामग्रियों के उद्योगों को अपने हाथ में लें और इस मनोवृत्ति से प्रभावित होकर सहकारिता का आन्दोलन चलाया गया। श्रीमन्, अगर सहकारिता का आन्दोलन इस मनोवृत्ति से अलग होकर चलता है तो एक मत से निश्चित रूप से यह बात मानी जानी चाहिये कि वह सहकारिता का आन्दोलन नहीं होगा। इस दृष्टिकोण को सदन के सामने प्रस्तुत करते हुये मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आज सरकार ने ऐसी कौन सी व्यवस्था की, आज इस प्रदेश में ऐसी कौन सी सहकारी संस्थायें हैं जिन्होंने कपड़े के उद्योग धंधे को अपने हाथ में लिया हो, जिन्होंने चीनी के उद्योग धंधे को अपने हाथ में लिया हो, जिन्होंने जूट के उद्योग धंधे को अपने हाथ में लिया हो, जिन्होंने अन्न उत्पादन को अपने हाथ में लिया हो, आखिर उत्पादन के साधन क्या हैं ? उत्पादन का साधन खेत है, उत्पादन के साधन कल-कारखाने हैं, उत्पादन के साधन खानें हैं। लोहा सोना, चांदी और अबरक की। ये किसके हाथ में हैं ? क्या इन उत्पादन के साधनों पर सहकारी आधार पर संचालित संस्थाओं का अधिपत्य जमा हुआ है या चन्द एकांगी, एक व्यक्ति के हाथ में इन जीवन की आवश्यक सामग्रियों के उत्पादन करने के साधन सन्निहित हैं ? जब

[श्री राजनारायण]

इस दृष्टिकोण को सामने रखते हैं तो मैं पाता हूं कि आज हमारे प्रदेश में एक भी सहकारी संस्था ऐसी नहीं है जो जीवन के लिये उत्पन्न करने वाली इन आवश्यक सामग्रियों के साधनों पर अपना आधिपत्य जमाये हुये हो। इस मानी में हमें देखना चाहिये कि जो प्रदेश में सहकारी विकास की योजनायें अबाध्य रूप से, निर्विवाद रूप से, गलत आधार पर आधारित हैं, गलत बुनियाद पर खड़ी हैं अगर इस गलत आधार पर और गलत बुनियाद पर सरकार उनको ले चलना चाहेगी तो सारे प्रदेश में जनता इस सहयोगी आन्दोलन पर आंसू गिरायेगी। इस सहयोगी आन्दोलन की तरफ से जनता विमुख होगी और विमुख होकर जनता के सामने दूसरा ही रास्ता आयेगा। श्रीमन्, जब मैं सहयोगी आन्दोलन के विकास, सहयोगी आन्दोलन की मूल पृष्ठ भूमि पर प्रकाश डालता हूं तो उसी के साथ-साथ समाजवादी समाज की कल्पना भी प्रस्तुत होती है। समाजवादी समाज के मानी क्या हैं ?

श्री व्रजभूषण मिश्र--प्वाइन्ट आफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि यह जो अमेंडमेंट आया है वह कुछ सेक्शंस पर अमेंडमेंट है। यह कोआपरेशन के साधारण उसूलों पर या उसके सारे ढांचे पर बातचीत करने के संबंध में गुंजाइश नहीं देता है। और माननीय वक्ता जो भाषण दे रहे हैं उसमें वे कोआपरेटिव आन्दोलन के व्यापक दायरे पर विचार कर रहे हैं। मेरी आपत्ति यह है कि जो सेक्शंस इसमें आये हैं उनके सिद्धांत पर ही बहस होनी चाहिये। अतः उनका भाषण इर्रेलेवेंट है और उनको रोका जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को यों विधेयक पर ही विशेष तौर पर बातचीत करनी चाहिये। हां, सिद्धांतों का जिक्र वह कर सकते हैं, मगर इस विस्तार के साथ नहीं।

श्री राजनारायण--मैं आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस तरह के विवाद पर भी प्वाइंन्ट आफ आर्डर उठायेंगे और आप उसको ऐक्सेप्ट करेंगे तो मेरे लिये इस सदन को छोड़ कर बाहर जाने के अतिरिक्त कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति न पैदा हो और अगर ऐसी परिस्थिति पैदा करने के लिये इस सदन के सम्मानित सदस्य उद्यत होंगे तो मैं अपनी साधुता को अख्तियार करते हुए उनका समुचित उत्तर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री शिवनारायण--आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य धमकी दे रहे हैं ? मान्यवर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री राजनारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता आन्दोलन पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं, मैंने इसके उद्देश्य और कारण को अच्छी प्रकार देखा है, मैंने इसके उद्देश्य और कारणों को अच्छी प्रकार पढ़ा और मनन किया है। इसको पचाया भी है। श्रीमन्, अगर सदन के सम्मानित सदस्य चाहेंगे और आपकी कृपा होगी तो ऐसा लगता है कि उद्देश्य और कारणों को पढ़ना मेरे लिये आवश्यक हो जायगा। उद्देश्य और कारणों को बिना पढ़े हुए सदन के सम्मानित सदस्य प्वाइंट आफ आर्डर उठाने से शायद बाज न आयें इसलिए मैं उनको बताऊंगा आवश्यक समझता हूं कि इतना व्यापक उद्देश्य और कारण है। अगर उन तमाम उद्देश्य और कारणों को ले कर सदन में विचार व्यक्त किया जाय तो आज का समय ना काफी होगा। मैं उद्देश्य और कारण को पढ़ कर आपके द्वारा अपने पुराने मित्र श्री ग्रामवासी जी की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं, "आर्थिक कार्यकलापों के विभिन्न

क्षेत्रों में सहकारिता के प्रसार एवं जमींदारी प्रथा के विनाश के फलस्वरूप कृषि अर्थ व्यवस्था में क्रांति आ जाने के कारण कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ में संशोधन करना नितान्त आवश्यक हो गया है ।"

माननीय ग्रामवासी जी या दूसरे सदन के सम्मानित सदस्य अगर ध्यान देंगे तो उन्हें मालूम होगा कि जमींदारी प्रथा या वास्तविक क्या कारण आये, जिससे आर्थिक कार्य कलापों के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता का क्या स्वरूप विद्यमान है क्या इस पर यदि विचार व्यक्ति किया जाय तो अनुपयुक्त और अनधिकार चेष्टा होगी ? अगर इस पर विचार नहीं किया जायगा तो वह अपनी कर्त्तव्यहीनता का द्योतक है, अपने कर्त्तव्यपालन से अलग चलना होगा । इसलिए जब मैं अपने कर्त्तव्यपालन हेतु इस सदन में आया हुआ हूं विघ्न बाधा के बावजूद, निर्भीकता से, दुर्बलता को बिना अपने पास फटकाये हुए, हर समय अपनी आवाज को बुलन्द करने के लिए तत्पर रहता हूं और रहूंगा । श्रीमन्, जब आप देख रहे हैं कि मानव जीवन सरिता का स्रोत सूख रहा है, आप देख रहे हैं कि जीवन का चिराग बुझ रहा है, ५ वर्ष के हमारे प्रयत्न करने के बावजूद भी जब आज प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन का यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ, मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं, माननीय मंगलाप्रसाद जी नहीं हैं, मैं उन्हें उनके वादों की याद दिलाना चाहता हूं । जब-जब आम वाद-विवाद में साधारण बजट के अवसर पर समय आया था उन्होंने बराबर इस सदन को आश्वासन दिया था कि वे एक सर्वाङ्गीण बातों का समावेश करते हुए कोआपरेटिव ऐक्ट में संशोधन करने का विधेयक ला रहे हैं । आज कोआपरेटिव में जो गड़बड़ियां हैं, माननीय नारायणदत्त जी ने जो बताया कि आज जो गबन के तमाम केसेज पाये जाते हैं, यह केसेज दूर होंगे ? अगर इसको दो वाक्यों में कहा जाय तो यह चन्द धनशील व्यक्तियों की एक कमेटी बन गई है । पूंजीवाद लोगों की कमेटी के रूप में है । भूल रहे हैं हमारे मित्र ।

आप देखेंगे बनारस में कोआपरेटिव आन्दोलन क्या है ? वह चन्द सत्ताधारी गुट के लोगों की कमेटी मात्र है । आज वहां कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, एक व्यक्ति उसका सदर बन करके ३ लाख रुपये की पूंजी को बिल्कुल मनमाने ढंग से खर्च कर रहा है । कोआपरेटिव की गाड़ियां मनमाने तरीके से अपने कामों में लायी जा रही हैं । मैं एक कोआपरेटिव का सदस्य हूं, मैं भी चुना हुआ जिला कमेटी का प्रतिनिधि हूं, मैं इसकी खामियों और बुराइयों को जानता हूं, मैं भुक्तभोगी हूं ।

श्रीमन्, मैंने एक पेटीशन दाखिल की थी अवैध और गलत चुनाव के सम्बन्ध में । कहां हैं हमारे रजिस्ट्रार महोदय साल भर तक उस पेटीशन को लटकाया गया और कभी कहा गया बस्ती के सब रजिस्ट्रार आर्बिट्रेशन करेंगे, कभी कहा गया गोंडा के करेंगे और इस मामले को इसलिये लटकाया गया कि हमारी पेटीशन एक कांग्रेसी नेता के विरुद्ध थी, जो गलत तरीके से चुनाव में आ गया था, कोआपरेटिव के बाई लाज की अवहेलना करके बिल्कुल मनमाने ढंग से चुना गया था और मैं चुनौती देना चाहता हूं हमारा एतराज बनारस के पेपर में प्रकाशित हुआ होगा । वहां सारी की सारी कमेटी अवैधानिक रूप में काम कर रही है । मैं इन सब बातों का जिक्र नहीं करना चाहता था, मगर कितने मुकदमे लड़ूं आज प्रदेश में भी सरकार की ओर से ४, ६ मुकदमे चलते रहते हैं, कुछ सदस्यों की विशेष अनुकम्पा हो जाया करती है, वे भी कभी-कभी वैयक्तिक मुकदमा दायर कर दिया करते हैं यद्यपि उसका स्वरूप भी राजनीतिक होता है, मैं मुकदमा लड़ते-लड़ते परेशान हूं । इसके बाद मैं हाईकोर्ट में गया होता क्योंकि वह सारा का सारा तीन वर्ष का खर्चा नाजायज था, बिना डायरेक्टर हुए उसका सभापति एक व्यक्ति को बना दिया गया था और बराबर यह चीज रजिस्ट्रार महोदय की नोटिस में लायी गयी तो कोई उसकी सुनवाई नहीं । इस पर भी हमसे कहा जाता है कि हम इसके मुताल्लिक और सैद्धान्तिक अर्थ पर नहीं जा रहे हैं । मैं इन उदाहरणों को नहीं पेश करना चाहता था अगर माननीय ग्रामवासी जी प्वाइंट आफ आर्डर न लाये होते । मैं तो सिद्धान्त पर जा रहा था, लक्ष्य कोआपरेटिव का क्या होता है उस पर जा रहा था और उसी को प्रस्तुत करना चाहता था । मैं फिर चाहूंगा

[श्री राजनारायण]

माननीय सदस्य अगर इस तरह के प्वाइंट आफ आर्डर उठाते रहेंगे तो विभिन्न जिलों की घटनायें आपको मालूम होंगी। श्रीमन्, बस्ती है, गोंडा है, आजमगढ़ है, देवरिया है। पश्चिमी जिलों में भी होगा। हमारे पास एक आदमी १५ दिन से आया हुआ है, करीब ९ महीने हो रहे हैं, वह सुपरवाइजर है कोआपरेटिव का, निकाल दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। बराबर वह बेचारा अपनी पेटीशन लगाता रहा है कि हमने कौन सा दोष किया है कि हम बाहर किये गये हैं? उसको कहा जाता है कि तुम दफ्तर में हाजिरी दो। काम करता था कहीं लखीमपुर खीरी की तरफ। दफ्तर में हाजिरी देता है बनारस में जा जा करके और न तो उसको तनख्वाह मिलती है और न उसकी सुनवाई होती है। जब सब-रजिस्ट्रार से मिला, उनसे जानकारी हमने हासिल की कि ऐसी धांधली क्यों हो रही है तो वे भी बेचारे लाचार, कहते हैं कि क्या करें, यहां की पार्टी पालिटिक्स परेशान किये हुए है। कोई अगर साधु है, सच्चाई से काम करना चाहता है तो उसके रास्ते में बाधायें पड़ रही हैं और वह बाधायें सत्ताधारी पार्टी की ओर से पड़ रही हैं। फिर जब इस तरह से बाधायें डाली जायं, इस तरह की समस्या प्रस्तुत होती हो तब भी माननीय सदस्य कहते हैं कि यह तो आउट आफ प्वाइंट जा रहे हैं। आउट आफ प्वाइंट नहीं है, श्रीमन्। मैं अपने सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जरा गम्भीर होकर विचार करें, गम्भीर होकर सोचें, वह क्या चाहते हैं? वह चाहते हैं कि हम सरकार की स्तुति करें? यही विरोधी पक्ष का कर्तव्य है?

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि वह चाहते हैं कि आप विधेयक पर ही बोलें।

श्री राजनारायण--वही कर रहा हूं श्रीमन्, कोआपरेशन आन्दोलन में जो त्रुटियां, दोष और खामियां हैं, उन दोषों को न बताऊं इस सदन में? अगर उन दोषों को नहीं बताऊंगा और केवल स्तुतिवाद में सारा समय नष्ट कर दूं तो मैं समझता हूं कि यह हमारा कर्तव्य नहीं है। हमने तो पहले ही, आज सुबह ही आपको बताया था श्रीमन्, कि सभा का अर्थ क्या है? सभा का अर्थ है जहां न्याय का प्रकाश हो। स माने सहित, भा माने प्रकाश।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुनः आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि बहुत अप्रासंगिक भाषण हो रहा है। इसको आप रोकिए।

श्री उपाध्यक्ष--(श्री राजनारायण से) आप बैठ जायं।

श्री राजनारायण--आपने ऐक्सेप्ट कर लिया श्रीमन्, तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

श्री व्रजभूषण मिश्र--उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं आपसे और आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि आपने अभी रूलिंग दी कि मुख्य-मुख्य बातें कह सकते हैं लेकिन वह बहुत व्यापक रूप से भाषण दे रहे हैं और दृष्टान्त दे रहे हैं। बहुत सी अप्रासंगिक बातें कह रहे हैं, बहुत सी घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं जिनसे कि इसकी धाराओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रासंगिक भाषण आप कराइए और इनको मना करिए।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, यह हमारा सौभाग्य है कि आप ऐसे सज्जन अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं। अगर कभी बदकिस्मती से ग्रामवासी जी अध्यक्ष होंगे तो वह अवश्य ऐसा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--विधेयक पर ही आप बोलने की कृपा करें।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--मैं प्वाइंट आफ आर्डर पर प्वाइंट आफ आर्डर रेज कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--वह तो खत्म हो चुका । आप कृपा करके बैठिए । माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, आप जरा मेरी मुसीबत पर ख्याल करें, गौर करें । यह सारा प्रयत्न इसलिए होता है कि हमारा क्रम टूट जाय । जो क्रम हम बनाते हैं उसको तोड़ने का प्रयास है ।

श्री उपाध्यक्ष--मगर आपका क्रम तो बड़ा विस्तारपूर्वक है, फैला हुआ है ।

श्री राजनारायण--यह विषय ही बड़ा फैला हुआ है, गहन है, श्रीमन् । तो मैं यह कह रहा था कि एक ही उसका संशोधन इस समय मैं आपके द्वारा सदन की सेवा में रखना चाहता हूं । सरकार अगर देखेगी तो सरकार इस बात को पायेगी कि जो यह संशोधन विधेयक का छठा पेज है उस छठे पेज में सीरदारों का हक यह सरकार लेना चाहती है । और कहते भी हैं, जरा ख्याल कीजिए श्रीमन्, जब जमींदारी उन्मूलन विधेयक यहां प्रस्तुत हो संशोधन के रूप में या जिस रूप में भी हो, तो उस समय तर्क दिया जायगा और उसका बड़ा व्यापक प्रचार होगा सूचना विभाग के द्वारा और दूसरे साधनों के द्वारा भी कि यह सरकार ऐसा व्यवस्था कर रही है कि किसी की जमीन नीलाम नहीं की जा सकती, बेची नहीं जा सकती । मगर अब क्या कर रहे हैं ? जमींदारी उन्मूलन व्यवस्था में सीरदारों के हकों की सुरक्षा की गयी है, मगर आज इस विधेयक के द्वारा जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट में जो सीरदारों के हक की सुरक्षा हुई उसी को यह सरकार लेना चाहती है और यह कैसे ले रही है ? इसको अगर देखा जायगा, मैं धाराओं पर ज्यादा जाना पसन्द नहीं करता, वह तो जब संशोधनों का समय आयेगा उसी वक्त उन पर विचार होना चाहिये । मैं इस वक्त मौलिक और सिद्धान्त रूप पर ही आना चाहता हूं । मगर इसमें जो सारी व्यवस्था की गयी है वह यह है कि अगर कोई भी किसान चाहे वह सीरदार हो, अगर वह लगान देने के लिए कर्ज लेता है, बैल खरीदने के लिए कर्ज लेता है, किसी दूसरे काम के लिए कर्ज लेता है तो इन तमाम कर्जों के एवज में उसकी जमीन, उसका मालिकाना हक छीना जा सकता है, लिया जा सकता है । यह क्या है ? कौन सा विधेयक सही माना जायगा ?

माननीय माल मंत्री जी श्री चरण सिंह जी इस समय प्रस्तुत होते तो मैं समझता हूं उनको इस पर एतराज करना ही पड़ता । एक तरफ जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के द्वारा वह खेती के करने वालों के हकों की हिफाजत करना चाहते हैं और दूसरी तरफ कोआपरेटिव विभाग के द्वारा उस अधिकार को छीनने की नापाक कोशिश इस विधेयक से की जा रही है । तो फिर कौन सा सही है और कौन सा गलत है मैं नहीं जान सकता । एक ही सरकार के मातहत काम करने वाले दो विभाग हैं । एक कहता है कि हम किसान के हक की हिफाजत करते हैं, दूसरा कहता है कि तुम कौन होते हो हकूक की हिफाजत करने वाले तुमसे बड़े हम हैं, हम छीनेंगे । ऐक्ट देखा जाय । जिस समय रजिस्ट्रार को असीम अधिकार देने का विधेयक प्रस्तुत हो उस समय किसी एक रजिस्ट्रार की, उसके व्यक्तित्व की चर्चा नहीं करना चाहता । हो सकता है इस समय के जो रजिस्ट्रार हों वह अपने ढंग पर अच्छे और लायक हों, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है, मगर एक कोआपरेटिव विभाग के रजिस्ट्रार को, वह चाहे कोई भी हो "अ", "ब", "स", उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं ।

एक तरफ तो यह सरकार कहती है कि यह समाजवादी समाज की रचना करेगी । एक तरफ इस सरकार के सबसे बड़े विधाता, पं० जवाहरलाल नेहरू का बयान आया कि समाज-

[श्री राजनारायण]

वादी मंदिर, समाजवादी व्यवस्था का पहला कदम पूरा हो चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि समाजवाद के माने क्या हैं? कौन सा समाजवाद का स्वरूप है जिसको सरकार प्रमाण-स्वरूप रखना चाहती है? क्या वह समाजवाद प्रजा समाजवाद का स्वरूप है? क्या वह व्यक्तिगत हाथों में असीम सत्ता सौंपने का षडयन्त्र नहीं है? क्या वह उस ओर नहीं बढ़ रहा है जिसको तानाशाही कहते हैं? जिस कानून के अन्तर्गत इस सहयोगी विभाग, में जिसको सहकारिता का विभाग कहा जाता है, रजिस्ट्रार के हाथ में इतने असीम अधिकार दिये जाते हैं वह कभी समाजवादी कानून नहीं हो सकता। जो व्यक्ति उसको समाजवाद कहता है वह समाजवाद का "अ", "ब", "स" पर चलने वाला भी नहीं हो सकता। वह समाजवादी व्यवस्था की पहली शर्त भी पूरा करने वाला नहीं हो सकता। नामों को लेकर आज अनर्थ किया जा रहा है। इसलिए मैं आज पहले ही सम्मानित सदस्यों से निवेदन कर चुका हूं कि आज केवल शब्दों से ही कर्तव्य का पालन नहीं हो सकता बल्कि शब्दों में कुछ अर्थ भी पहिनाइये। इसीलिए मैंने वह श्लोक पढ़ा था। विभिन्न राजनीतिक विरोधी पार्टियां आज भी कर्म को स्वतन्त्रता देती हैं, वाणी पर अंकुश रखती हैं। मेरा कहना यह है कि कर्म नियंत्रित हो, वाणी मुक्त हो। इसलिए हमने उस श्लोक को पढ़ दिया, उसको पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता। आज सब समाजवाद चाहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी भी चाहती है, कांग्रेस पार्टी भी समाजवाद चाहती है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी समाजवाद चाहती है। जनसंघ भी भारतीय समाजवाद की रचना करना चाहता है। दूसरे दल भी समाजवादी के नाम से अपने को रखते हैं। रामराज्य परिषद् के एक नेता से मेरी भेंट हुई। उन्होंने हमको बतलाया कि हमने तो बहुत से प्वाइंट तुम्हारे ले लिए हैं। तो कैसे इस समाजवाद की रचना करोगे? कैसे इसकी कल्पना को साकार स्वरूप प्रदान करोगे? है कोई कार्यक्रम? रजिस्ट्रार के हाथ में जो असीम सत्ता सौंपी जा रही है, जरा उस पर विचार किया जाय। रजिस्ट्रार महोदय की ओपीनियन में जो भी बाईलाज सही हों उनको मानना पड़ेगा। बाईलाज जो चल रहे हैं या बने हुये हैं उनमें भी परिवर्तन करने का अधिकार माननीय रजिस्ट्रार महोदय को दिया जा रहा है और ऐसा परिवर्तन जिस पर रजिस्ट्रार सही की अपनी मुहर लगा दे वही माना जायगा। श्रीमन्, मैं तो इसको कबूल करने के लिये तैयार नहीं हूं और जो लोग इसको कबूल करते हैं उनसे मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि वह समाजवाद को समझें। इसीलिये श्रीमन्, सीताराम जी शुक्ल आपकी तरफ पीठ किये हुये बैठे हैं, यह विधान सभा की मर्यादा के विरुद्ध है, मगर वह सुन भी नहीं रहे हैं। श्रीमन्, मैं तो जिम्मेदारी लेना चाहता भी नहीं हूं और विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को मानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--आपने संशोधन के समर्थन में अभी कुछ भी नहीं कहा है।

श्री राजनारायण---इसीलिये कह रहा हूं श्रीमन्, पालीवाल जी ने एक शब्द कह दिया था। मैं निहायत अदब के साथ उनके कथनानुसार एक श्लोक सुना देना चाहता हूं--

"वाक् स्वातंत्र्यम् कर्म नियंत्रणम्, इति जनतांत्रिकं अनुशासनम्।
विपरीत कर्म स्वातंत्र्यम्, वाक् नियंत्रणम् भारते प्रचलित पंथः॥

श्रीमन्, इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाला है तो वह वाणी की स्वतंत्रता को मानेगा। उसके बिना कभी भी समाजवाद तथा जनतंत्रवाद की स्थापना नहीं हो सकती है। लेकिन नियंत्रण किस पर होगा, कर्म पर होगा। लेकिन हमारे यहां प्रचलित है कि कर्म झूठा है, मीठी बात कहो, चाटुकारिता की बात कहो, सुशोभित और सुन्दर बात कहो, वाणी पर नियंत्रण करो, लेकिन कर्म स्वतन्त्र हो। गला काट दो, कानूनी डकैती डाल दो, भ्रष्टाचार चारो तरफ फैला दो।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)--प्वाइंट आफ आर्डर सर। हमारे सामने कोआपरेटिव सोसाइटीज के बिल का विषय है। राजनारायण जी बोल रहे हैं, इस बिल से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। आपने भी रूलिंग दी है कि इससे कोई सम्बन्ध नहीं रहा तो जो कुछ वह बोल गये हैं क्या वह पार्ट आफ प्रोसीडिंग्स रहेगा और आगे भी वह बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष (श्री राजनारायण से)--आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं आपके आदेश को शिरोधार्य करते हुये निवेदन करता हूं कि जरा मुझे भी सुनने की कृपा करें। यहां बहुत सी बातें कही जाती हैं और सुनी जाती हैं और असंगत बात भी लोग कहते हैं। मैं कभी प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठाता हूं। अगर जनतंत्र में ज्यादा प्वाइंट आफ आर्डर उठाने लगें तो उसके माने हैं कि चित्त की दुर्बलता है। श्रीमन्, मैं माननीय रजिस्ट्रार महोदय के बारे में कह रहा था कि उनको विधेयक में बहुत अधिकार दिये जा रहे हैं और रजिस्ट्रार महोदय किन-किन कर्तव्यों का पालन कर पायेंगे, यह समझना सदन का कार्य है। कहा जा रहा है कि--

"Where the Registrar is of the opinion, whether on the representation of the society or any of its members or otherwise that an amendment of the bye-laws of the society is necessary or desirable in the interest of the society or in public interest, he may, by order in writing to be issued to the society by registered post, require the society to make the amendment within such time as he may specify in such order."

लोग कह रहे हैं श्रीमन्, कि अनुवाद करो। मैं तो समय बचाना चाहता था लेकिन माननीय सदस्य बाध्य कर रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि अगर रजिस्ट्रार महोदय की राय हो या उनको इस प्रकार का रेप्रेजेंटेशन दिया जाय कि जो कायदे कानून, नियम उपनियम किसी सोसाइटी के बने हुये हैं, उनमें संशोधन होना आवश्यक है तो वह उसको करायेंगे, उसको लिख कर नोटिस देंगे और उसके बाद कर देंगे।

(इस समय ३ बजकर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

तो मैं निवेदन कर रहा था कि इसके द्वारा जो अधिकार रजिस्ट्रार महोदय को दिये जा रहे हैं वे जनतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध हैं और कोई जनतांत्रिक प्रणाली में यकीन करने वाला यही कहेगा कि एक रजिस्ट्रार और विशेषकर सहयोगी आन्दोलन के रजिस्ट्रार के हाथ में इतने ज्यादा अधिकार देना जनतांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध होगा।

इतना ही नहीं, इसके आगे चल कर सबसे बड़ी आपत्ति की बात आती है कि "ए डेसीजन आफ दि रजिस्ट्रार शैल बि फायनल।" रजिस्ट्रार का जो फैसला होगा वह अन्तिम होगा, यानी वह सुप्रीम अथारिटी हो गया और सारी परिस्थितियों का भाग्य विधायक हो गया।

रजिस्ट्रार को आगे चल कर चेंजेज आफ लाइबिलिटीज के भी अधिकार दिये गये हैं। इस समय बहुत सी सोसाइटीज के बारे में मेरी निजी जानकारी है। बहुत सी सोसाइटी में हिसाब किताब बहुत गड़बड़ हैं और रुपया लेकर लोग निजी कामों में लगा रहे हैं और कहीं उसका चर्चा नहीं है, कहीं उसका इन्दराज नहीं है और कहीं-कहीं तो ऐसा भी देखने में आया है और अनेकों सबूत मैं आपके द्वारा सदन में प्रस्तुत कर सकता हूं कि रुपया ले लिया और उसको मनमाने ढंग पर खर्च कर दिया और उसको वहां के दूसरे अधिकारियों को मिलाकर दूसरे के नाम पर दर्ज भी करा दिया। श्रीमन्, अभी-अभी हमारे पास एक जिले की चिट्ठी कल ही आयी थी। वह बेचारा गरीब किसान है। वह कहता है कि हमने बीज नहीं लिया लेकिन ५० में पांच मन गेहूं हमारे नाम पर लिख दिया गया है और आज हमारे बैल कुर्क हो रहे हैं और हमारा सामान कुर्क किया जा रहा है, हमें

[श्री राजनारायण]

परेशान किया जा रहा है और दिक्कत में डाला जा रहा है । तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर विधेयक में कौन सी ऐसी धारा है, ऐसा कौन सा रास्ता है जो आज कोआपरेटिव सोसाइटीज के पदाधिकारियों द्वारा होने वाले अन्यायों को रोक सके और उनके द्वारा बरती जाने वाली धांधली को जो रोक सके ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जैसा माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने थोड़े से संकेत किया था और विभिन्न सूबों के आंकड़े इस विषय पर बतलाये थे कि इस समय खेतिहारों को कितना कर्ज दिया गया और कितने फीसदी पर कर्ज दिया गया, तो यही वह प्रदेश है जिसने तमाम बड़े-बड़े सूबों के मुकाबिले में सबसे कम पैसा खेतिहरों को कोआपरेटिव के जरिये से दिया है और आप आगे और भी देखेंगे। विभिन्न सूबों में जो कर्ज दिया गया है उनमें से उत्तर प्रदेश ही सूद लेने में सबसे आगे भी है। मुझे अफसोस है कि माननीय मंगला प्रसाद जी जो बराबर कोआपरेटिव विभाग के ऊपर विवाद के समय यहां उपस्थित रहते थे आज इस सदन में प्रस्तुत नहीं हैं वरना मैं आपके द्वारा उनसे पूछता कि सदन में दिया गया आश्वासन उनका कहां गया ? जो उन्होंने कहा था कि वह संशोधन विधेयक इस कमी को दूर करेगा। श्रीमन्, चाहे मदास को लिया जाय, चाहे बम्बई को लिया जाय, चाहे मध्य प्रदेश को लिया जाय और चाहे उड़ीसा को लिया जाय, तमाम स्थानों पर सूद की दर ६ रुपये से लेकर ८ रुपये तक जाती है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश सूद की दर आज भी १०॥ तक जाती है। कैसे इस संशोधन विधेयक के द्वारा ग्रामीण जनता का विकास होगा और कैसे इस संशोधन विधेयक के द्वारा ग्रामीण जनता को कृषि व्यवस्था को समृद्ध करने के लिये सहायता प्राप्त होगी ? स्वयं सरकार को बताना चाहिये था और इस सदन के सम्मानित सदस्यों को बताना चाहिये था जो यह समझते हैं कि इस विधेयक के द्वारा जनता का कल्याण हो जायगा। इसीलिये श्रीमन्, अगर देखा जाय तो सोसाइटीज को तोड़ने और एकीकरण करने का अधिकार भी अंतिम रूप से रजिस्ट्रार महोदय के हाथ में सन्निहित हो जाता है। आगे चलकर जो इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है वह यह है :—

"The opinion of the Registrar as to whether the changes made in the preliminary resolution are or are not material, shall be final."

हर जगह रजिस्ट्रार महोदय की राय फाइनल होगी चाहे कोई रेजोल्यूशन चेंज करने का हो और किसी प्रकार का निर्णय हो, लेकिन इन सबके विषय में रजिस्ट्रार महोदय की सम्मति अंतिम सम्मति होगी और इस सम्मति के विषय में कोई चीं नहीं कर सकता है। जब श्रीमन्, आप यहां पर विराजमान नहीं थे तो माननीय सदस्यों की सेवा में मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर कोआपरेटिव मूवमेंट को सुदृढ़ आधार पर चलाना है तो कोआपरेटिव को नीचे से ले जाना होगा और जनता के अन्दर ले जाना होगा। जनता के अन्दर ले जाने का एक उदाहरण मैं आपके सम्मुख और सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। मिर्जापुर जिले में एक अदलपुरा गांव है जहां पर हरिजनों की बस्ती अधिक है .....

श्री अध्यक्ष—मैं चाहता हूं अब आप इसके सिद्धांत पर आ जायं।

श्री राजनारायण—मैं केवल संकेत बता रहा हूं। वहां पर कोआपरेटिव का भट्ठा लगने वाला था। उसको ही मैं बता रहा हूं। वे चाहते थे कि उनको सामान दिया जाय लेकिन उनको नहीं दिया जाता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उसने इस विधेयक में सूद को कम करने की व्यवस्था कहां की है ? आज जो बीज गोदाम कोआपरेटिव के जरिये से संचालित किये जा रहे हैं और जो गरीबों को उनसे बीज दिया जाता है उस पर किस तरह से सवाई लिया जाता है ? मैं यह समझता हूं कि बहुत से सदस्य मेरे साथ इस विषय में होंगे और मेरा साथ देंगे कि जब हम अंग्रेजों के राज्य में आन्दोलन कर रहे थे तो उस समय सवाई की वसूलयाबी के विरोध में कितना आन्दोलन किया गया था और उस समय कहा गया था कि यह जो सवाई

वसूल की जाती है, यह सरकार की धांधली है और बड़ी ज्यादती है। क्या आज यह सरकार बता सकती है कि बीज गोदामों के द्वारा जो बीज किसानों को दिया जाता है उसका सवाई नहीं लिया जाता है? अगर कोई समय पर उसको नहीं देता है तो उससे पैनाल्टी वसूल की जाती है और जुरमाना वसूल किया जाता है। यह कहां का न्याय है? चाहे उसका नाम कोआपरेटिव मूवमेंट दिया जाय, चाहे उसका नाम सहकारी आन्दोलन दिया जाय लेकिन जो हालत अब तक चल रही है उसके संबंध में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उनसे सवाई ली जाती है। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हमको बतायें कि आज जो किसानों की यह मुसीबत है, उनकी जो सूद की मुसीबत है, सवाई की और दूसरी मुसीबतें हैं उनका इस संशोधन विधेयक के जरिये से क्या खात्मा हो रहा है? तो फिर इस विधेयक को यहां पर पेश करने से पहले जनमत संग्रह क्यों नहीं करते, क्योंकि सारी जनता के जीवन से संबंधित यह विधेयक है। अगर सारी जनता इस रूप में सहयोगी आन्दोलन को विकसित करना चाहती है, सहयोगी आन्दोलन को सहयोग प्रदान करना चाहती है तो सारी जनता का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सहयोग दे। इसलिये मैंने वह अपना संशोधन रक्खा है कि इसको जनमत संग्रह के लिये प्रसारित किया जाय, क्योंकि इस विधेयक का संबंध सारी जनता से है।

सरकार इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में कहती है कि १९४८ में एक समिति नियुक्त की गयी थी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उस १९४८ की समिति की रिपोर्ट क्या है? मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास उन तमाम कमेटीज की रिपोर्ट्स होनी चाहिये जो अब तक इस संबंध में प्रकाशित की गयी हैं, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है, उसको हमें मंगा कर दिया जाय, अभी तक वह रिपोर्ट नहीं आ पायी है और न हमें यह ही मालूम है कि उस रिपोर्ट में कमेटी ने क्या सिफारिशें की हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय कोआपरेटिव प्लानिंग कमेटी की क्या सिफारिशें हैं? हमें यह भी नहीं बताया गया है कि उन सिफारिशों के मुताबिक कौन-कौन काम किये गये हैं। उन सारी सिफारिशों को सरकार देखे और उन पर विचार करे। अगर सरकार उन पर विचार करेगी तो उसको मानना पड़ेगा कि कमेटीज की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार काम नहीं कर रही है। ऐग्रीकल्चर मैनेजमेंट सब-कमेटी एग्रीकल्चर आर्गेनाईजेशन सब-कमेटी सब की राय है कि किसानों से लंबे अरसे के लिये ४ प्रतिशत और छोटे अरसे के लिये ६ प्रतिशत से ज्यादा सूद न लिया जाय। सरकार के सामने इन रिपोर्टों को प्रस्तुत हुए कई बरस हो गये, लेकिन ५ साल तक हुकूमत करने के बाद भी सहयोग आन्दोलन की गति में कोई बदलाव नहीं आया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन से वे आधारभूत सिद्धांत हैं, कौन सी आपकी ऐसी प्रेरणाएं हैं जिनसे जनता के हृदय में आशा का संचार हो। हर मानी में देखा जाय तो आज भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में केवल आप यह संशोधन विधेयक ला पाये हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसानों की बेहतरी के लिये, जमीनों की उन्नति के लिये, क्या सरकार ने कोई व्यवस्था इस कोआपरेटिव आन्दोलन के द्वारा की है? क्या यह आपकी नाकामयाबी का द्योतक नहीं है?

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं सरकार की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार कोआपरेटिव मूवमेंट में जनता का पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त करके चले। मैं चाहता हूं कि जो चुनाव पद्धति बनी हुई है उसमें पदाधिकारियों का कोई भी अंकुश न हो। हमारे यहां बनारस में एक व्यक्ति ६ साल से सभापति होता चला आ रहा है। मैंने बराबर इस सदन के सामने और मंत्री महोदय से इस संबंध में निवेदन किया कि क्यों नहीं ऐसा प्रतिबन्ध होता, जिससे एक व्यक्ति जो अनधिकारपूर्ण रूप से ७–८ बरस से सभापति पद पर बना है, उसके रास्ते में कोई रुकावट हो। शक्ति केंद्रित न हो, शक्ति का विकेंद्रीयकरण हो। आश्वासन देने के पश्चात् भी इस सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। ७ बरस से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे सहकारिता का आन्दोलन फूले-फले, जिससे इसमें वृद्धि हो और सारी जनता इसमें अच्छी तरह से भाग ले। जब सारे कोआपरेटिव आन्दोलन की भावना को एक रजिस्ट्रार के हाथ में सुपुर्द करने का विधेयक हो . . . . .

श्री अध्यक्ष---आप फिर वही बात दोहरा रहे हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं:--

"The Speaker after having called the attention of the Assembly to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition either of his own arguments or of the arguments used by other members in debate, may direct him to discontinue his speech."

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं इस बात की कि आपसे मैं रजिस्ट्रार के बारे में ५ बार सुन चुका हूं। अगर बार-बार रिपीटीशन होगा तो मुझे आपको कहना होगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं आपका बड़ा आभार मानता हूं कि आपने नियम को पढ़ कर सुना दिया। लेकिन यह मैं आपकी सेवा में निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह सारा का सारा विधेयक सब रजिस्ट्रार के लिये ही आया है। श्रीमन्, इसमें कई जगह रजिस्ट्रार की चर्चा की गयी है।

श्री अध्यक्ष---लेकिन आप पचासों दफा तो एक ही बात नहीं कह सकते।

श्री राजनारायण---मैं विभिन्न तर्क दे करके रजिस्ट्रार का नाम ले रहा हूं। क्योंकि एक जगह व्यवस्था की गयी है कि वे रूल्स चेंज कर सकते हैं, बाईलाज चेंज करने का उनको अधिकार दिया गया है। दूसरी जगह उनको सोसाइटीज के अमालगमेशन करने का अधिकार दिया गया है। एक जगह उनको सोसाइटीज को स्प्लिट (Split) करने का अधिकार दिया गया है और फिर एक जगह सोसाइटी के रूल्स का रिजोल्यूशन फाइनल करने का अधिकार दिया गया है। इसीलिये मैं बार-बार उनका नाम ले रहा था। ऐसे मुझे बार-बार रिपीट करने की कोई इच्छा नहीं है और न मेरे पास इतना समय ही है कि मैं बार-बार कोई चीज रिपीट करूं। इसलिये श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और इस सरकार को बतला देना चाहता हूं कि वह अपने कर्तव्य की उपेक्षा न करे। अगर सरकार इस समय भी जनता का सहयोग सहकारी आन्दोलन में नहीं लेना चाहती है और इस तरह से विधेयक प्रस्तुत करके केवल प्रचारार्थ जनता को दिखलाना चाहती है तो इससे सहकारी आन्दोलन की शक्ति नहीं बढ़ेगी। मैं समझता हूं कि इससे सहकारी आन्दोलन का विकास नहीं होगा, बल्कि उसका ह्रास होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्यों नहीं उसके पदाधिकारियों के बारे में कोई नियम बना दिया जाय कि दो वर्ष से अधिक कोई भी व्यक्ति एक पद पर नहीं रहेगा। श्रीमन्, आखिर इस सदन के जितने सम्मानित सदस्य बैठे हुए हैं वे सभी जनतांत्रिक प्रणाली को मानते हैं और वे जानते हैं कि जहां जनतंत्र होगा वहां शक्ति का भी विकेन्द्रीकरण होगा और जब पावर का विकेन्द्रीकरण होगा तो वहां लीडर शिप में भी विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये। यद्यपि मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज चारों तरफ हर जिले में बड़े-बड़े कुछ लोग जिनको मैं कहता हूं कि वे सत्ता जमाये हुए हैं वे कोआपरेटिव मूवमेंट में हर आदमी का और जनता का सहयोग नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे लोग पदाधिकारी न रह पायें इसके लिए सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। सरकार ने हमको आश्वासन दिया था लेकिन उसके बाद भी माननीय मंगला प्रसाद आज इस असेम्बली में उपस्थित नहीं हैं। और सब समय तो मंत्री लोग रहते थे लेकिन कोआपरेटिव के किसी प्रश्न के समय श्री मंगला प्रसाद जरूर रहते थे। फिर वे आज इस सदन में क्यों नहीं आये जबकि यह विधेयक पेश किया गया है?

श्री अध्यक्ष---वे बीमार हैं।

श्री नेकराम शर्मा---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर । श्रीमन्, जबकि कोआपरेटिव मिनिस्टर साहब सदन में मौजूद हैं तो फिर बार-बार श्री राजनारायण जी का यह रिपीट करना कि श्री मंगलाप्रसाद जी क्यों नहीं आये, यह कहां तक न्याय संगत है, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष---मैंने खुद उनको रोक दिया था यह सूचना देकर कि वे बीमार हैं इसलिये नहीं आये । फिर भी उसी बात को बार-बार जिक्र करना ठीक नहीं है । (श्री राजनारायण से) आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मुझे तो बड़ा दुःख होता है कि बार-बार मुझे छेड़ने का प्रयत्न कर दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष---आप श्री मंगलाप्रसाद का बार-बार नाम न लिया करें ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, चूंकि यहां पर इस सदन में श्री मंगलाप्रसाद जी ने ही आश्वासन दिया था इसलिये मैंने उनका नाम लिया ।

श्री अध्यक्ष---अब फिर आप आरगूमेंट कर रहे हैं ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि जो आश्वासन दिया गया था वह भी सदन के सामने आ जाय लेकिन अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस बुनियाद पर आज सरकार सहकारिता को चला रही है वह बुनियाद ठीक नहीं है । वह बुनियाद न तो जनतंत्र में खप सकती है, न समाजवादी प्रणाली में खप सकती है । वह बुनियाद अगर खप सकती है तो पूंजीवादी और तानाशाही प्रणाली में ही खप सकती है जोकि पूंजीवाद और तानाशाही का एक सम्मिलित स्वरूप सरकार हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है । मैं समझता हूं कि इस तरह का संशोधन विधेयक रखना भारतीय कंस्टिट्यूशन और जनतांत्रिक प्रणाली तथा समाजवादी प्रणाली सबके विपरीत है । इसलिए मैं केवल एक वाक्य कह कर बैठना चाहता हूं कि अगर सरकार को अब भी सद्बुद्धि हो और वह सचेत हो और सहकारिता आन्दोलन को विकसित करने के मार्ग पर अग्रसर हो तो उसको जनता के भीतर जाना होगा और उसके ऊपर वह कोआपरेटिव के अफसरों को न लादे बल्कि वह उसकी सम्मति ले और जनता की गति विधि पर ही और उसके सुझाव पर ही इस आन्दोलन को चलाये । इसके उद्देश्य और कारणों में लिखा है कि जमींदारी प्रथा के विनाश के फलस्वरूप कृषि अर्थ व्यवस्था में क्रान्ति आ जाने के कारण कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ में संशोधन करना नितान्त आवश्यक हो गया है और उसी के लिये यह बिल लाया गया है....

श्री अध्यक्ष---अभी आपका एक वाक्य समाप्त नहीं हुआ ।

श्री राजनारायण---जमींदारी प्रथा के विनाश के फलस्वरूप ही हमारे यहां यह गांव सभायें बनीं, गांव समाज बने, उसमें वहां के लोग सभापति होते हैं और दूसरे पदों पर लोग काम करते हैं और तमाम तरह के मुकदमे तक अब वहां होते हैं परन्तु उनसे कोआपरेटिव अन्दोलन किस तरह से विकसित हो आज तक नहीं पूछा गया । कभी उनके हाथ में भी कोआपरेटिव की कोई व्यवस्था दी जाती है ? मैं फिर आप से निवेदन करूंगा कि सारी सरकार की गतिविधि, व्यापार, कोआपरेटिव आधार पर होना चाहिये, इन मिलों को सरकार को कोआपरेटिव आधार पर चलाना चाहिये, चीनी मिलों में अथराइज्ड कंट्रोलर मुकर्रर किया जाता है, वह भी कोआपरेटिव के द्वारा ही चलवानी चाहिये । जहां तक लैंड आर्मी की बात है उसको भी कोआपरेटिव आधार पर ही चलाना चाहिये, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पाती है । अतः मैं चाहता हूं कि इस बिल को जनमत के लिये प्रसारित करने का जो सुझाव मैंने दिया है उसको सरकार स्वीकार करे और उस संशोधन को मान कर एक ऐसा विधेयक मंत्री जी लायें जो सही मानों में जनतन्त्र की भावनाओं से ओत-प्रोत हो और जो तानाशाही और पूंजीशाही व्यवस्था का स्वरूप चल रहा है जिससे उसका नाश हो ।

†श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो विधेयक इस सदन के सम्मुख उपस्थित किया है मैं आपकी अनुमति से उसका स्वागत करता हूं। इस विधेयक के सम्बन्ध में, इसके पूर्व २ संशोधन पेश हो चुके हैं। प्रथम संशोधन में तो कुछ महत्व की बातें अवश्य कही गईं किन्तु श्रीमन्, इतनी देर तक दूसरा भाषण चला, पर आप की कृपा से, चूंकि आप ने कई बार इशारा किया उससे उनका जो प्रवाह था वह अधिक न चल सका, उस भाषण को सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भवतः कुछ सदस्यों ने इस बिल को देखा भी नहीं था और पढ़ा भी नहीं था, उसकी धाराओं की गहराई में बैठने की कोशिश तो बिल्कुल ही नहीं की गई। मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी तो नहीं हूं और उसका विद्यार्थी न होने के नाते अपने को दार्शनिक कहने की हिम्मत या चेष्टा भी नहीं कर सकता हूं। श्रीमन्, संस्कृत की जानकारी भी मुझको बहुत ज्यादा नहीं है कि संस्कृत के श्लोक पढ़कर, गलत ढंगसे पढ़कर (हंसी) अनावश्यक रूप से पढ़कर सदन का समय नष्ट करूं। मैं तो उसी भाषा का प्रयोग करना चाहता हूं जिसका अर्थ भी मैं समझता होऊं और सदन को समझा भी सकूं। उनकी सी भाषा मुझे नहीं आती, यह मेरी कठिनाई है और मैं श्लोक का जवाब श्लोक से नहीं दे सकता।

श्रीमन्, जहां तक सहकारिता अन्दोलन का सम्बन्ध है, जिस वस्तु को सहकारिता कहते हैं, जिस व्यवस्था का प्रतिपादन करने की माननीय मंत्री जी ने कृपा की है उसका सम्बन्ध साम्राज्यवाद या तानाशाही सिद्धान्तों से जोड़ने का प्रयत्न किया गया वैसी बात कतई नहीं है। मैं इतना विद्वान् तो नहीं हूं कि उधर से एक आवाज जो आ रही है उसका जबाव दूं। लेकिन यह जरूर कहना चाहूंगा कि सहकारिता के विषय में बहुत काफी पुस्तकें हैं, बहुत काफी सामग्री है और उस पढ़ने की सामग्री में एक सबसे ताजी सामग्री जिसका जिक्र माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने किया है—रूरल क्रेडिट सर्वे—जो लोग सहकारिता के विषय में इस सदन के सामने बोलना चाहते हों, या उसकी बारीकियों पर कुछ ध्यान आकर्षित करना चाहते हों वे कृपा कर उस रिपोर्ट को पढ़ें और जब मैं उस रिपोर्ट को पढ़ने की बात कहता हूं तो उन्होंने जिन्होंने उसमें कुछ पढ़ा है—मैं मानता हूं कि माननीय नारायणदत्त जी ने उसे जरूर पढ़ा है क्योंकि उन्होंने उसके कुछ अच्छे उद्धरण इस सदन के सम्मुख रखे—मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि जब कोई रिपोर्ट पढ़ी जाय तो उसका पहला पन्ना, दूसरा तीसरा और चौथा पन्ना छोड़कर न पढ़ा जाय तो बहुत अच्छा होगा। अगर रिपोर्ट के पहले पन्ने छोड़ दिये जायं, बीच के कुछ पन्ने ले लिये जायं तो उन दोनों का मेल जोल एक प्रकार से नहीं हो सकता। मैं इसलिये यह निवेदन करना चाहता हूं श्रीमन्, कि रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट का प्रायः जिक्र किया जाता है और बार-बार इस सदन के सामने उसका जिक्र किया गया है, उसके आंकड़े इस सदन के सामने पेश किये गये हैं और यह साबित करने की चेष्टा की गयी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार सहकारिता के मामले में बहुत पिछड़ी हुई है, उसका कोई रेकार्ड नहीं है, उसका कोई इतिहास नहीं है और बहुत ही धीमी गति से वह प्रगति कर रही है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि रूरल क्रेडिट सर्वे की रिपोर्ट में एक बड़ी भारी कमजोरी है और उस कमजोरी को मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो उस कमेटी के चेयरमैन गोरेवाला थे, रिजर्व बैंक जिसने उस कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित किया या उसकी समरी, उन लोगों के पढ़ने के लिये जिनके पास बहुत कम अवकाश हो और शायद इतना भी अवकाश न हो जितना कि अवकाश हमारे माननीय राजनारायण जैसे नेताओं को है, जिसे रिजर्व बैंक ने २४,२५ पेज में प्रकाशित की है उसमें एक चीज लिखी है और वह चीज यह है कि इस भारतवर्ष में किसानों की कर्जमन्दी का पता लगाने के लिये इतना तो अवकाश नहीं मिला था कि समूचे देश की समूची बातों को समझा जा सके। श्रीमन्, १,२७,३४५ परिवारों के बारे में केवल जांच की गई थी और उन जांचों को करने के लिये सिर्फ ६०० गांव की फेहरिस्त बनाई गई थी और वे ६०० गांव भारतवर्ष के कुल प्रदेशों को मिला कर ७५ जिलों में से चुने गये थे। अब इतना बड़ा देश और उसमें भी इतना बड़ा उत्तर प्रदेश स्वयं जिसमें कि १ लाख १० हजार के निश्चित गांव हैं—अब इतने बड़े प्रदेश के कोआपरेटिव क्रेडिट के बारे में जांच पड़ताल करने के लिये और उसके आंकड़ों को मिलान करने के लिये समूचे देश में केवल ६००

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गांवों की फेहरिस्त लेकर यदि कोई रूपरेखा तैयार हो तो यह मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं उसकी जांच पड़ताल में कोई न कोई भूल जरूर थी।

उत्तर प्रदेश में कोआपरेटिव क्रेडिट मूवमेंट और कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज की रचना के बारे में मैं, श्रीमन् आपकी आज्ञा से एक निवेदन करूंगा। पहले मैं यह बतलाना चाहता था आपकी अनुमति से कि आज सहकारिता का समूचे संसार में एक बड़ा ऊंचा स्थान है और आज सहकारिता के नाम पर बहुत से देश जो अपने को बहुत बड़ा समाजवादी कहते हैं और जो यह समझते हैं कि समाजवाद के लिये सहकारिता एक बहुत बड़ी आवश्यक वस्तु है उन्होंने उसका कितना दुरुपयोग किया है जरा इसकी ओर भी हमको, श्रीमन् आपके द्वारा ध्यान देना होगा। इसलिए यदि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट कोआपरेटिव मूवमेंट को संभल कर चलाना चाहती है और यह विधेयक इस सदन के सम्मुख उपस्थित करती है तो उसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या हो सकता है, माननीय वित्त मंत्री जी ने थोड़े से शब्दों में समझा दिया कि हम क्या करना चाहते हैं और उस करने के बाद हम यदि बिना इस विधेयक को पढ़े यह कह दें कि इन गरीब किसानों को गवर्नमेंट ने जिनको एक हाथ से सीरदारी के अधिकार दिये तो आज दूसरे हाथ से रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये वह उनको छीनने ज रही है तो यह कितनी गलत बात होगी। इसलिए गलत बात होगी कि आज जो लोग वाकई में किसानों में काम करते हैं और सिर्फ नारों की बुलन्दी के द्वारा उनकी सेवा नहीं करना चाहते, उनको मालूम होगा कि आज बहुत से किसान, देहात के किसान कोआपरेटिव सोसाइटीज से इस वास्ते फायदा नहीं उठा सकते कि सीरदारी का कानून इतना डिफेक्टिव है कि उनकी जमीन की सीक्योरिटी के ऊपर उनको कर्जा कोआपरेटिव सोसाइटी से नहीं मिल सकता है। कोआपरेटिव सोसाइटियों का उद्देश्य है कर्जा देना। जिन सदस्य ने हमारे उत्तर प्रदेश की तुलना के साथ और प्रदेशों के आंकड़े पेश किये उनको याद होगा कि उसी रिपोर्ट ने यह अनालिसिस की है कि यह समूचे भारतवर्ष के ७० फीसदी आदमी किसानी करते हैं। लेकिन उन किसानी करने वालों के आश्रित लोगों की पूरी तालिका बनाने के बाद उसी रिपोर्ट ने फैसला किया कि ८० फीसदी आदमी ऐसे हैं जो कि केवल खेती पर आश्रित हैं। २० फीसदी आदमी ऐसे हैं जो कि खेती पर आश्रित नहीं हैं। किन्तु उनका दो तिहाई प्रतिशत ऐसा है जो कि किसी न किसी प्रकार से एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है। तो फिर जिस देश की यह इकोनामी हो, जिस देश के लिए यह वाक्य कहा गया हो, "इंडिया मीन्स रूरल इंडिया।" भारतवर्ष का अर्थ देहाती भारतवर्ष है। जिस देश में रूरल इकोनामी सब से महान् वस्तु हो, जिस देश का लक्ष्य इस रूरल इकोनामी द्वारा प्राप्त करना हो, उस देश के लिए यह देखना पड़ेगा कि कोआपरेटिव क्रेडिट की कितनी जरूरत है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह अनुमान लगाया गया कि हिन्दुस्तान की समूची गल्ले की उत्पत्ति ७० मिलियन टन है। यों मान लेना चाहिए कि सात करोड़ टन गल्ला हम पैदा करते हैं और १९६१ तक ८१ मिलियन टन यानी ८ करोड़ दस लाख टन गल्ला पैदा करलें तब हमारा कुछ काम चल सकता है। लेकिन आठ करोड़ टन गल्ला पैदा करने के लिए रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट यह कहती है कि अपने खेती के दायरे को कम से कम ६० से १०० लाख एकड़ तक बढ़ा देना होगा। अगर हमको १०० लाख एकड़ अपनी खेती का दायरा बढ़ा देना है तो उसके लिए रुपया कहां से आये, किसान खेती कैसे करेगा? गल्ला पैदा कैसे होगा? सौ लाख एकड़ के लिए बीज कहां से आयेगा? पानी का इन्तजाम इर्रीगेशन से होगा, नहर आ जायगी। लेकिन बीज को प्राप्त करने के लिए तो कोआपरेटिव क्रेडिट की आवश्यकता होगी। यदि हमको कोआपरेटिव क्रेडिट की आवश्यकता होगी उसके लिए आज परिस्थिति यह है कि किसान के तीन टुकड़े हैं। एक मीडियम होल्डिंग वाले, एक बहुत छोटी होल्डिंग वाले और तीसरे वह किसान जिनके पास कुछ बड़ी होल्डिंग्स हैं। लेकिन यह सबको मालूम है कि ७०

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

फीसदी किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं और इन ७० फीसदी छोटी होल्डिंग वाले किसान समूची पैदावार का ४२ फीसदी पैदा करते हैं। तो ४२ फीसदी को ५० फीसदी भी करने के लिये...

श्री अध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि इसके सिद्धान्तों पर आ जायं। बहुत लम्बा विस्तार हो रहा है अन्य बातों का.

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---तो मैं यह निवेदन कर रहा था श्रीमन् कि यदि हमको क्रेडिट की जरूरत है, यदि इतने रुपये की हमको जरूरत पड़ेगी तो रुपया बिना कोआपरेटिव क्रेडिट के कैसे प्राप्त हो सकता है। यदि रुपया प्राप्त करना है तो इसमें शिकायत यह की जाती है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम रूपया मिलता है। उत्तर प्रदेश को जिसे रुपये के सबसे कम मिलने की शिकायत की गई है आज उसका औसत क्या है? माननीय तिवारी जी ने यह शिकायत की कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने पैदावार बढ़ाने के लिये कोआपरेटिव के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया है वह तीन फीसदी से ज्यादा नहीं होता, लेकिन तीन फीसदी की रकम जो उत्तर प्रदेश की सरकार से मिलती है वह समूचे भारतवर्ष के औसत से कम है या ज्यादा. रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट जिसका हवाला दिया गया उसी रपोर्ट में यह लिखा है कि समूचे देश में रूरल क्रेडिट का जो परसेंटेज है उसमें समूचे देश में करीब ७५० करोड़ रुपया किसानों को मिलता है। उनको कर्जा दिया जाता है उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए और उस ७५० करोड़ रुपये में गवर्नमेंट का कांट्रीब्यूशन केवल ३·३ है और कोआपरेटिव सोसाइटी का परसेंटेज केवल ३·१ प्रतिशत होता है। तो जितने प्रतिशत कि गवर्नमेंट आफ इंडिया का समूचे भारतवर्ष का औसत है उत्तर प्रदेश का भी उतना ही औसत है। उससे बल्कि ·२ ज्यादा होगा, एक बात।

दूसरी समस्या श्रीमन्, यह है कि आज १४·१ प्रतिशत तो देता है किसान का रिश्तेदार। ४४·८ देता है मनीलेंडर और करीब २४ परसेंट देता है वह आदमी जो कि प्रोफेशनल मनीलेंडर नहीं है। तो ऐसे प्रदेश में कोआपरेटिव क्रेडिट ऐक्ट को बढ़ाने के लिये आज हमको यह देखना पड़ेगा कि इस विधेयक की आवश्यकता क्या है? इस विधेयक की सबसे बड़ी आवश्यकता जो उत्तर प्रदेश को पड़ी वह इसलिए पड़ी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार रूरल क्रेडिट सर्वे के अनुसार हमारे प्रदेश में छोटी छोटी सोसाइटीज बहुत ज्यादा हैं। छोटी सोसाइटियों की संख्या इतनी अधिक है कि जब तक कि छोटी सोसाइटीज को बड़ी सोसाइटीज न बनाया जाय तब तक कोआपरेटिव सोसाइटीज का विस्तार नहीं हो सकता। जब तक कि छोटी सोसाइटी को बड़ी में न मिला दिया जाय तब तक कोआपरेटिव क्रेडिट का निस्तार नहीं हो सकता और छोटी से बड़ी बनाने के लिए कुछ कानूनी दिक्कतें हैं, कुछ कानूनी अड़चनें हैं। अगर कोई छोटी सोसाइटी चाहे कि वह अपने को बड़ी बना ले तो कैसे बना लेगी, उसके बनाने में लेजिस्लेटिव पावर क्या होगी, हाई कोर्ट में वह बचेगी कैसे? और जब तक छोटी सोसाइटी को बड़ी नहीं बना लिया जायगा तब तक कोआपरेटिव मूवमेंट सफल नहीं हो सकता। यह एक प्रश्न था, पंचवर्षीय योजना का यह एक प्रश्न था, उसको कैसे कार्यान्वित किया जाय।

उत्तर प्रदेश के बारे में यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश की कोआपरेटिव सोसाइटीज की संख्या बहुत कम है। श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की और प्रदेशों से तुलना करने के पहले यह देखना होगा कि कितने साल में उत्तर प्रदेश ने सहकारी संस्थाओं में वृद्धि की है। सन् ४९ के करीब इसी उत्तर प्रदेश में करीब २७ हजार कोआपरेटिव सोसाइटीज थीं और आज सन् ५६ में इनकी संख्या ४५ हजार हो गई। तो क्या यह तारीफ की बात नहीं है? यदि इनकी संख्या ४५ हजार आज हो गई तो यह मानना पड़ेगा

कि उत्तर प्रदेश की सहकारी संस्थाओं में काफी वृद्धि हुई है और बहुत जरूरी काम हम उनके जरिये से कर रहे हैं। हमें यह भी देखना होगा कि यू० पी० की सोसाइटीज ने कितना रुपया किसानों को कर्जा दिया। किसानों को कर्जा देने के बारे में एक बड़ी परेशानी जो होती है वह यह कि किसानों को कर्जा छोटे समय के लिए या थोड़े समय के लिए दिया जाय। किसान को यदि कर्जा छोटे समय के लिए देना है तो उसका परिणाम यह होगा कि किसान उस कर्जे की अदायगी कैसे करेगा। अगर उसकी अदायगी की बात को देखना है तो वही पंचवर्षीय योजना, रूरल क्रेडिट सर्वे की रिपोर्ट है कि किसान को यदि कर्जा देना है तो उससे पहले टर्म का निश्चय कर लेना चाहिए कि कितने दिन के लिए कर्जा देना है और यदि कर्जा देना है तो यह याद रखना चाहिए कि लांग टर्म लोन नहीं होना चाहिए। यदि लोन देना है तो १५ महीने से ज्यादा की मियाद नहीं होनी चाहिए और पन्द्रह महीने की मियाद रखनी चाहिए। यदि इस कर्जा देने की फैसिलिटी को बढ़ाना है, कर्जे की रकम को बढ़ाना है तो वह रकम कैसे बढ़ेगी? एक बड़ी भारी शिकायत की गई कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने तय किया, रूरल क्रेडिट सर्वे ने तय किया कि वेयर हाउस कारपोरेशन क्यों न खोल दिए जायं? लेकिन यह वेयर हाउस कौन खोलेगा? इनकी रचना कौन करेगा? गवर्नमेंट आफ इंडिया ने तय किया है कि जो वेयर हाउस खोले जायं उन वेयर हाउसेज की पूंजी दो करोड़ रुपये की हो। उसमें से ५० लाख रुपया पेडअप कैपिटल हो और दो करोड़ रुपये का आधा शेयर गवर्नमेंट आफ इंडिया का होगा। तो जब गवर्नमेंट आफ इंडिया का आधा शेयर होगा तो गवर्नमेंट आफ इंडिया का वह कारपोरेशन तो बन जाना चाहिए। वह गवर्नमेंट आफ इंडिया का कारपोरेशन बने बिना उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे खोल देती? और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इसी पहली सितम्बर को अपनी कारपोरेशन की रचना के प्रस्ताव को पास किया है। तो उस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार से शिकायत करना कि तुमने अपना वेयर हाउस क्यों खोल दिया? मैं समझता हूं कि यह गैर जानकारी के अलावा और कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन श्रीमन्, मैं यह भी निवेदन कर दूं कि इस वक्त कोआपरेटिव क्रेडिट इस का बदलता जा रहा है। रिजर्व बैंक ने फैसला किया कि हम दो प्रकार के फंड्स बनायेंगे एक तो नेशनल एस्टेबिलाइजेशन फंड.....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि सदन में शांति रहनी चाहिये।

श्री राजनारायण--यह श्रीमन्, इसलिये है कि वह बार बार रेपेटीशन कर रहे हैं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--यह रेपीटीशन नहीं है, विधेयक के ही क्लाजेज हैं। उन्होंने देखा नहीं, इसलिये कह रहे हैं। अगर पढ़ा होता तो समझ में आ जाता। तो जो फंड होगा उसमें उन्होंने ऐसा किया कि ५ करोड़ रुपया वह देंगे और ५ करोड़ रुपया नान-रेकरिंग देंगे। यह रुपया हमारे पास आवेगा। इस रुपये को कौन खर्च करेगा? इस रुपये का आज दुरुपयोग होता है यदि उसके ऊपर रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज का और डिपार्टमेंट का नियंत्रण नहीं रहता। तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर रहेगी? अगर किसी के ऊपर लादनी है तो आपको रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज को ताकत देनी होगी। वह देखेगा कि कौन आदमी कोआपरेटिव सोसाइटीज में रह कर रुपये का दुरुपयोग करते हैं। जब हम यह देखते हैं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह भी फैसला किया कि नेशनल एस्टेबिलाइजेशन फंड के अलावा एस्टेबिलाइजेशन फंड भी देना चाहिये और उसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया एक करोड़ रुपया देने वाली है, उसका कुछ अंश प्रदेश में आवेगा तो आखिर उस रुपये का दुरुपयोग कैसे रोका जाय? इसीलिये धारा १९ और धारा २१ में इस प्रकार का प्रबन्ध किया गया कि आखिर रुपया दे दिया गया तो वह वसूल कैसे हो और उसकी गारंटी क्या हो? इसीलिये मेरे ख्याल से यह अच्छा विधेयक है कि इसमें यह प्रबन्ध कर दिया गया है कि जमीन की जिम्मेदारी हो सकती है। यह प्रबन्ध कर दिया गया कि जो आदमी रुपया लेता है तो नये कानून के मातहत उसके ऊपर पहला क्लेम सोसाइटी का होता है, लेकिन पहले क्लेम से तो

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

रुपया वसूल नहीं हुआ करता। रुपया तब वसूल होता है जब कोर्ट में यह कहा जा सके कि यह पहला क्लेम ही नहीं बल्कि पहला चार्ज है, पहली जिम्मेदारी है कि सोसाइटी को रुपया दो। आज यह होता है कि पहला क्लेम सोसाइटी ने मान लिया और उस पर मुकदमा जारी हो जाता है। लेकिन उस पर कोई दूसरी डिग्री हो चुकी है, अदालत में मुकदमा हो चुका है तो कतई सोसाइटी का रुपया वसूल नहीं होता। लाखों कोआपरेटिव सोसाइटीज इसीलिये तबाह हो रही है कि वह रुपया अदालत से वसूल नहीं किया जा सकता। इसलिए धारा १९ में यह चीज बड़ी साफ कर दी गयी है और जिन सदस्यों ने इसको पढ़ा होगा उनको मालूम होगा कि यह चीज इसीलिये साफ की गयी है कि पहला क्लेम ही नहीं बल्कि पहला चार्ज होगा सोसाइटी का, जोकि उस रुपये को वसूल करेगी।

अब एक तरफ तो श्रीमन्, यह धारा है, दूसरी तरफ मैं नहीं जानता कि आखिर इस विधेयक में आपत्तिजनक चीज क्या है? यह आपको मालूम होगा कि कोआपरेटिव सोसाइटीज के बारे में रूरल गजट सर्वे की रिपोर्ट ने यह बात कही है कि मल्टीपिल परपजेज की जो सोसाइटीज अपने देश में हैं उनसे काम नहीं चल सकता। आज वही बेचने वाले, वही पैदा करने वाले, वही खरीदने वाले हैं। तो इस तरह से इतने काम होने से उसमें खराबी पैदा हो जाती है और सोसाइटीज की प्रगति नहीं होती। जब यह निश्चित है कि मल्टीपिल परपजेज सोसाइटीज नहीं होनी चाहिये उसके साथ ही साथ रूरल गजट सर्वे ने एक बहुत बड़ी सिफारिश की है। उसने यह कहा है कि रूरल एकोनामी और अर्बन एकोनामी में एक लिंक पैदा करना होगा, मेल और जोड़ पैदा करना होगा। देहात के रहने वाले शहर के रहने वालों के संग ऐसा मेलजोल कर लें कि दोनों का काम नियमित रूप से चले और देहात का आदमी सफर न करे, उसकी तरक्की हो, उसकी माली हालत सुधरती चली जाय। इस लिंक को कैसे पैदा करें और यह लिंक इतना आवश्यक है कि इसको पैदा करने के लिये हमें मल्टीपिल परपजेज सोसाइटीज को ब्रेक करना होगा, तोड़ना होगा। उनके तोड़ने का प्रयास करेंगे तो उसके लिये यह जरूरी है कि हमें मल्टीपिल सोसाइटीज के काम को दो संस्थाओं में बांटना पड़ेगा। मार्केटिंग का काम अलग करना होगा और सीड का काम अलग करना होगा। जब ही दोनों का लिंक स्थापित हो जायगा और इसको स्थापित करने के लिये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वह १,५०० सोसाइटीज बनायेगी जो बड़ी हों, तो जो छोटी सोसाइटीज हैं उनको मर्ज करके यह बड़ी सोसाइटीज बनाई जायंगी।

केंद्रीय सरकार ने अपनी द्वितीय पंच वर्षीय योजना में यह तय किया है कि ५ से लेकर १५ गांवों के बीच में एक सोसाइटी रहे, यह उसने अपना टार्गेट बनाया है। यदि इन ५ से लेकर १५ गांवों के बीच में एक सोसाइटी रहने वाली है तो यह जरूरी और लाजमी है कि इन मल्टीपिल सोसाइटीज के कामों को, जैसे मार्केटिंग और सीड के, अलग कर दिया जाय और इनका एक लिंक स्थापित कर दिया जाय।

उत्तर प्रदेश का कोआपरेटिव मूवमेंट बहुत पुराना नहीं है। हिन्दुस्तान में जब यह कोआपरेटिव मूवमेंट चला तो १८९५ में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई और सर क्रीड निकल्सन ने १८९५ में पहली कोआपरेटिव सोसाइटी बनाने का निश्चय किया और ऐग्रीकल्चरल क्रेडिट कमेटी बनी, इसके बाद फाइनेंस कमेटी और फिर प्लानिंग कमेटी बनी। इन तीनों कमेटीज ने १९४५-४६ में अपनी रिपोर्ट दी। इसके बाद १९५३ में रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने एक गोरेवाला कमेटी बनाई और उसने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्लान को बड़ा इन्फ्लुयेंस किया। जब ऐसी परिस्थिति है और हम १,५०० सोसाइटीज अपने यहां बनाने जा रहे हैं तो यह स्पष्ट है कि यह निश्चय होना चाहिये कि उनकी रूपरेखा क्या हो? यह बड़ी तारीफ की बात होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की प्रशंसा की जानी चाहिये कि इस बिल में उसने इंतजाम किया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्लान में रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट में से जो रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने कहा है, उसके अनुसार अपने को अमेंड करके इम्प्रूव करने का प्रयास किया है।

श्रीमन्, यह सही है कि किसानों को कर्जा देने की बहुत बड़ी शानदार बात कही गई है कि "क्रेडिट सपोर्ट्स ए फारमर जस्ट ऐज हैंगमेन सपोर्ट्स दी हैंग्ड" यह चीज कही जाती है कि किसान को कर्ज देने का आधार ऐसा ही है जैसे कि फांसी की सजा वाला आदमी उसको पकड़ लेता है और दोनों का नाश होता है। इसलिये इसके विनाशकारी पहलू से बचाने के लिये कोई न कोई तरीका निकालना ही पड़ेगा।

हमारे यहां श्रीमन्, एक रिपोर्ट निकली थी और इसमें हैमिल्टन ने कहा था "ईविल्स आफ पुअर फाइनेंस" यानी यह जो खराबी है रुपया न देने की इसको दूर करने के लिये कुछ न कुछ इन्तजाम करना ही पड़ेगा और इसके लिये रूरल क्रेडिट सर्वे ने यह कहा था कि ४४.८ प्रतिशत जो रिलेटिव्ज के द्वारा नहीं बल्कि प्रोफेशनल "मनी लैंडर्स" के द्वारा पहुंचती है इसको रोकना होगा। इसलिए इसी का इस बिल में इंतजाम किया गया है और यह रखा गया है कि बहुत सी सोसाइटीज जो ठीक रूप से रुपया नहीं देंगी वह सोसाइटीज जो कुछ थोड़े से आदमियों के हाथ में पड़कर गरीब किसानों को, जो इलिटरेट हैं, रुपया नहीं देती है या जिन सोसाइटीज में यह रूल्स हैं कि एक पर्टीक्युलर पीरियड में ही मुकद्दमा चलाया जाय तो चल सकता है वर्ना नहीं चल सकता है। जिन सोसाइटीज के ऐसे रूल्स हों, उनके संशोधन के लिये ही यह विधेयक लाया गया है; नियम बनाये गये हैं और जहां मुकदमा नहीं चल सकता है और टाइम बार हो गया है तो वहां गवर्नमेंट को अधिकार होगा कि वह इसमें स्टेप्स ले सके और कानूनी कार्यवाही कर सके। तो फिर इस बात की तो प्रशंसा करनी चाहिये। जो समाजवादी हैं कम से कम उनको तो इस चीज की प्रशंसा करनी चाहिये थी कि उसमें मनीलेन्डर्स और उन बड़े बड़े आदमियों को जो रुपया दबाकर बैठ जाते हैं और जो गवर्नमेंट के रुपये का पेमेंट लोगों को नहीं होने देते उनसे बचाने के लिये यह बिल इस विधान सभा के समक्ष उपस्थित किया गया है। श्रीमन्, इस सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दो तीन बातें और हैं जो उल्लेखनीय हैं।

पहली बात तो यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो कोआपरेटिव मूवमेंट है अगर इसकी तुलना और देशों के कोआपरेटिव मूवमेंट से करें तो हमें पता चलेगा कि हम लड़खड़ाते तो चले लेकिन हमने आगे चलकर बहुत बड़ा काम किया और वह बहुत बड़ा काम यह किया कि १९५५-५६ में हमने करीब ५ करोड़ रुपये के तो कर्जे दिये और यह रुपया कहां गया? यह रुपया ४५ हजार सोसाइटियों के द्वारा दिया गया और २ करोड़ रुपया और हिसाब है यानी करीब ७ करोड़ रुपया होता है जो उत्तर प्रदेश में कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से लोगों को दिया गया। हमने उड़ीसा की एक्जाम्पिल सुनी, बाम्बे का एक्जाम्पिल लोगों ने दिया और मद्रास का एक्जाम्पिल दिया और इन टर्म्स आफ मनी जहां रुपया दिया गया और उसके जरिये से फैसला करें कि जो रुपया हमने दिया है वह सही है या गलत। हमने जो दिया वह अपनी हैसियत से, अपनी औकात से जितने हमारे फाइनेंशल रिसोर्सेज थे उनसे आगे बढ़कर हमारी गवर्नमेंट ने रुपया दिया और यदि हमने दिया है तो उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। हम जो कुछ कर सकते थे हमने करने के चेष्टा की लेकिन उसके साथ ही साथ हमें यह भी समझना है कि उत्तर प्रदेश में कोआपरेटिव मूवमेंट के साथ एक बहुत बड़ा ऐब भी है और वह यह है कि हमारा कृषि विभाग जो है, जो हमारा उद्योग धंधा विभाग है और अन्य विभागों के जो काम हैं उनमें कहीं न कहीं ओवरलैपिंग होती है और इसलिये रूरल क्रेडिट सर्वे ने कहा था और उसने इस बात पर जोर दिया था कि आप अपने कोआपरेटिव मूवमेंट को इस तरह से अलग कर लीजिए, इस तरह से उसका अलग दायरा बना दीजिये ताकि एक दूसरे पर कोई ओवरलैपिंग न होने पावे। इस विधेयक में माननीय वित्त मंत्री ने इस सिद्धांत को बरता है।

साथ ही साथ हमने अपने कोआपरेटिव सोसाइटीज के विस्तार को ठीक कर लिया। केंद्रीय सरकार ने फैसला किया कि इस पंचवर्षीय योजना में वह १७ सौ प्राइमरी सोसाइटीज बनायेगी और १२ हजार बड़ी सोसाइटीज बनायेगी और इसका निश्चय कर लिया उसने कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में १५ महीने से ज्यादा की मियाद के लिये कर्जा न दिया जाय।

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

तो फिर अगर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि पिछले पांच सालों के भीतर हम १५ सौ नई सोसाइटियां बना देंगे तो यह क्या हमारे लिये क्रेडिट की बात नहीं है और जो इम्पारटेंस इसकी होनी चाहिये क्या वह उसकी इम्पारटेंस नहीं है ?

आज कोआपरेटिव्ज के जरिये बहुत से देशों में बहुत से काम हो रहे हैं लेकिन श्रीमन् मैं निवेदन करूंगा कि कोआपरेटिव मूवमेंट के साथ जो डेमोक्रेटिक एक्सपेरीमेंट हम कर रहे हैं उतना और देशों में व्यापक रूप में नहीं हो पाया है। मैं उदाहरण दे सकता हूं, मैं पुस्तकें पढ़ सकता हूं उन देशों के बारे में, जैसे चायना के बारे में और चाहे रशा के बारे में, उनके यहां के कोआपरेटिव के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है वह गलत साबित हो गया है। आज यह साबित हो रहा है कि जो कोआपरेटिव मूवमेंट का ऐग्रीकल्चरल एकोनामी पर प्रभाव है वह जार के जमाने से गिरा हुआ है। यह चीज़ ख्रुश्चेव के भाषणों से सिद्ध होती है और बुल्गानिन के स्टेटमेंट से साबित हो जाती है। ऐग्रीकल्चरल एकोनामी उन देशों की बढ़ी नहीं है। मैं एक फार्म का अध्ययन कर रहा था और "वर्ल्ड टु डे" के वाल्यूम ३ को देखें। उसमें उन्होंने लिखा था कि वहां रशा में प्रोडक्शन है लेकिन ९ से १२ घंटे तक कम्पलसरी लेबर पर काम होता है। कोआपरेटिव फार्मिंग में ९ से १२ घंटे तक कम्पलसरी लेबर हो जाती है और छुट्टी के दिनों में १४ से १५ घंटों तक कम्पलसरी लेबर हो जाती है। जिन देशों में कम्पलसरी लेबर पर कोआपरेटिव मूवमेंट को सकसेसफुल बनाया जाता है यदि उनकी तुलना उत्तर प्रदेश और भारत, आज जो ऐग्रीकल्चरल एकोनामी को डेवलप कर रहा है, से करें तो उन्हें पता लगेगा कि हमारे किसान जितने गरीब हैं उतने गरीब आगे नहीं रह सकेंगे। आज बहुत रुपये की जरूरत है। मैंने कहा कि ७५० करोड़ रुपये किसान कर्जा लेकर खाते हैं। लेकिन उस सूरत में सवाल और भी पैदा होता है जब कि किसानों के पास १०० लाख एकड़ जमीन और आने वाली है, वह कैसे आये ? जमीन के लिये उनके पास रुपया कहां से आये ? कौन उनको एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग करेगा ? फाइनेंसिंग के लिए सिवाय कोआपरेटिव के मूवमेंट के और दूसरा कोई मूवमेंट नहीं हो सकता। इस कारण मैं उधर बैठे माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि इस विधेयक में ऐसी कौन सी चीज है जिसमें उनको खराबी ही खराबी मालूम पड़ी और जिसके कारण वे कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने अनायास ही इस विधेयक को इस सदन के ऊपर लाद दिया। मैं अपने मित्रों से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक की खराबियों को जानने के पहले निहायत जरूरी है कि इस विधेयक को पढ़ लिया जाय। केवल विधेयक की आलोचना करने से काम नहीं चलेगा। यदि आंकड़ों को देखने में दिक्कत मालूम होती हो, आंकड़ों को समझने में दिक्कत मालूम होती हो तो मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करूंगा कि मेरी सेवायें उधर बैठने वालों के लिये समर्पित हैं, लकिन अपनी सेवा अर्पित करने के पहले इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट की जो बात कही जाती है उसके तीन वाल्यूम हैं और वह बहुत लम्बी है। उसको पढ़ने में बहुत वक्त लगेगा। जिन लोगों के पास इतनी लम्बी रिपोर्ट को पढ़ने का वक्त न हो उनको अपनी तकरीरों की बुलन्दी और नारों में बहकर इसको पढ़ने की जरूरत नहीं।

श्री राजनारायण--प्वाइन्ट आफ आर्डर। श्रीमन् इस बात को माननीय परिपूर्णानन्द जी ने ३, ४ बार कहा और मैं समझता हूं इसको फिर वह रिपीट कर रहे हैं कि तकरीरों की बुलन्दी और नारों की बुलन्दी में बह कर वह न कहें। मैं समझता हूं कि उनको बार बार यह चीज नहीं कहनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--जब किसी माननीय सदस्य को उसकी ओर संकेत होने पर या आयर निकल शब्द के इस्तेमाल करने पर एतराज है तो माननीय सदस्य को ऐसी बात

नहीं कहनी चाहिये, क्योंकि यहां पर शान्तिपूर्वक ही काम होना चाहिये जिसमें विवाद में गर्मी न उत्पन्न हो।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मैंने अपने प्वाइन्ट को हैमरिंग डाउन करने के लिए यह कहा था। अन्त में केवल इतना निवेदन करूंगा कि जो विधेयक माननीय वित्त मंत्री ने उपस्थित किया है, जिस विधेयक के बारे में माननीय वित्त मंत्री ने संक्षेप में कुछ बातें बतायीं उस विधेयक को यह सदन स्वीकार करे और इसलिये स्वीकार करे कि आज इसको स्वीकार करने के बाद हमको इतना अवसर मिलेगा कि हम अपनी सारी सोसाइटीज का सुधार कर सकेंगे और उत्तर प्रदेश के उन किसानों को, जिनके पास पैसा नहीं है उन किसानों की सहायता कर सकें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गौर से माननीय परिपूर्णानन्द जी का भाषण और माननीय राजनारायण जी का भाषण दोनों को सुनता रहा हूं और दोनों सज्जनों के भाषण उस बिल से परे थे जिसकी चर्चा इस सदन में हुई थी...

श्री अध्यक्ष—इस समय माननीय सदस्य काम करने के मूड में नहीं हैं इसलिये अब आज की कार्यवाही समाप्त कर दी जाय। केवल तीन मिनट ही बाकी रह गये हैं सदन के उठने के लिए।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—जी हां।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२२ अक्तूबर, १९५६।

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २० पर)

प्रश्न संख्या ३७ से संबंधित सूची १

जमानिया तहसील में बाढ़ से प्रभावित गावों की सूची

१—रेवतीपुर
२—बहादुरपुर
३—दुल्हापुर
४—परमानन्दपुर
५—जमालपुर
६—अथहथा
७—हातमपुर
८—साधौपुर
९—हसनचक
१०—अब्दुलहपुर
११—गोपीनाथपुर
१२—हसनपुर पुर
१३—बसन्ता
१४—देवधानपुर
१५—मेहमादपुर
१६—अहिबरनपुर
१७—नौली
१८—नरायनपुर
१९—मधुचक
२०—उतरौली
२१—तिलवा
२२—गोपालपुर
२३—खरगसू चक
२४—धरानी चक
२५—अधी तिलावा
२६—सीतल चक
२७—चक खान मोहम्मद
२८—बारनपुर
२९—गोतामार
३०—गंगाबरार गहामर
३१—बाड़ा
३२—कुतुबपुर
३३—भतौरा खुर्द
३४—भतौरा बुजुर्ग
३५—मगरखाई
३६—कड़हियां
३७—शारपुर
३८—बकेनिया
३९—पृथ्वीपुर
४०—जगबन्धनपुर
४१—पाहमझवा
४२—खुदरा
४३—निजामपुर
४४—सकरहाथ
४५—गदईपुर
४६—पथारा
४७—नासिरपुर
४८—राजमल बंध
४९—साहावल
५०—टांगा
५१—कल्यान चक
५२—दुहाला
५३—नक्सर नवाधौराय
५४—चक परन
५५—अन्ती
५६—नगसर मीरराय
५७—चक सरी बैकुंठपुर
५८—दरीदीह
५९—बेमुआ
६०—सिहौली
६१—असांव
६२—खजुहा
६३—मधुपुर
६४—कलहनिया
६५—बहादुरपुर
६६—बेमुई
६७—कल्लूपुर
६८—जाजूपुर कल्लू
६९—बवाना
७०—जीवी बवान्दरा
७१—सियाजपुर
७२—भिक्खी चौरा
७३—हरचन्दपुर
७४—मेदनीपुर
७५—जीवी मेदनीपुर
७६—पटकनिया
७७—जी० वी० जदीद पटकनियां
७८—जी० वी० दवामी पटकनिया
७९—भादादीह
८०—जाबराजपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

८१—जी० वी० जावराजपुर
८२—गौरा
८३—गोहदा बिशुनपुरा
८४—नूरपुर
८५—रामावाल
८६—सिगौलिया
८७—अंधियारा
८८—सुनावर
८९—ताड़ीघाट
९०—जी वी ताड़ीघाट
९१—बरौरा
९२—शेरपुर कलां
९३—रामपुर
९४—जलालपुर
९५—फिर जपुर
९६—दरगवाह
९७—जागोपुर
९८—भोपति चक
९९—पकरी
१००—उधड़नपुर
१०१—कल्यानपुर
१०२—ताजपुर मंझा
१०३—कलनपुर
१०४—लोदीपुर सनी
१०५—नसरतपुर
१०६—देवराजीपुर
१०७—जियोपुर
१०८—देवरिया
१०९—जी० वी० देवरिया भालनराय
११०—जी० वी० देवरिया गुरदयालराय
१११—चक मिहनी नं० १
११२—पहसीदराजा
११३—जी० वी० पहसीदराजा
११४—सब्बलपुर कलन
११५—सब्बलपुर खुर्द
११६—जी० वी० सब्बलपुर
११७—जी० वी० सब्बलपुर
११८—कल्यान चक
११९—लखीमपुर
१२०—दलपतपुर
१२१—कवला निरंजन
१२२—मऊ खुर्द
१२३—रामपुर पट्टी
१२४—रामपुर पट्टी सरनम खान नं० २
१२५—चवर पट्टी
१२६—धरनी राम बीरराय
१२७—भागीरथपुर
१२८—गरीबा
१२९—मऊ कलां
१३०—घाटमपुर
१३१—मानपुर
१३२—गढ़हा चौबे
१३३—करैला कलन्त
१३४—करैला खुर्द
१३५—चक परशोतम कलां
१३६—चक परशोतम खुर्द
१३७—मद्सा
१३८—जी० वी० मद्सा
१३९—मंझरिया
१४०—जी० वी० मंझरिया
१४१—चितमन पट्टी
१४२—जी० वी० चितमन पट्टी
१४३—राधोपुर
१४४—जी० वी० राधौपुर
१४५—दुहिया
१४६—सरिया
१४७—चक मजीद
१४८—चक मजीद बिसुन
१४९—कासिमपुर
१५०—गोला घाट
१५१—जी० वी० गोलाघाट
१५२—तिवारीपुर
१५३—सिकन्दरपुर
१५४—लोहावर
१५५—सैदाबाद
१५६—खुल्ली तालुका
१५७—तिखौरा
१५८—सुनहौरिया
१५९—चक सुल्तानी
१६०—बेटा दार
१६१—फकीर चक
१६२—शामपुर
१६३—चक साह जी
१६४—वजीराबाद
१६५—चिरयैया चक
१६६—जी० बरौर
१६७—देवरियारनपुर जी० वी० चक मेंहदी
१६८—देवरियारनपुर
१६९—सुल्तानपुर
१७०—चक ऐसिया
१७१—नरायन उर्फ कुमारगंज

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २० पर)

प्रश्न संख्या ३८ से संबंधित सूची सं० २

सहायता	तादाद
१—बाढ़ से बचाये गये मनुष्यों की संख्या ..	१,५४५
२—बाढ़ से बचाये गये पशुओं की संख्या ..	७,२५४
३—सहायतार्थ प्रयोग में लाई गई नावों की संख्या	१०३
४—अनाज, बांटा गया ..	२७५ मन ७ सेर
५—दियासलाई ..	१३८ दर्जन १० डिब्बे
६—मिट्टी का तेल ..	३७ टिन १९ बोतल
७—गुड़ ..	१६ मन १४ सेर
८—नमक ..	१६ मन १४ सेर

इसके अतिरिक्त ११८ रुपये नकद वितरित किये गये तथा आवश्यक औषधियां भी वितरित की गईं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए पीछे पृष्ठ ३२ पर)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६

संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों के ऐक्ट, १९४७ में अतिरिक्त संशोधन करने और अन्य विषयों की व्यवस्था करने का

सं० प्रा० ऐक्ट सं० २८, १९४७।

विधेयक

यह इष्टकर है कि यहां पर आगे दिये हुये प्रयोजनों के लिये संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों के ऐक्ट, १९४७ को संशोधित किया जाय—

सं० प्रा० ऐक्ट सं० २८, १९४७।

इसलिये भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) यह उस दिनांक पर प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति देकर निश्चित करे।

सं० प्रा० ऐक्ट सं० २८, १९४७ की धारा २ का प्रतिस्थापन (substitution)।

२—संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक झगड़ों के ऐक्ट, १९४७ (जिसे आगे से मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

परिभाषाएं

"२—(क) "शिशिक्षु" (Apprentice) से तात्पर्य है कोई व्यक्ति, जो किसी उद्योग में प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिये, तदर्थ निर्मित और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार, उसमें नियुक्त हो,

मजदूरी का औसत—

(ख) "औसत वेतन" से तात्पर्य है मजदूर को देय (payable)

(१) ऐसे मजदूर की दशा में, जिसे मासिक वेतन दिया जाता हो, तीन पूरे कलेंडर मासों में,

(२) ऐसे मजदूर की दशा में, जिसे साप्ताहिक वेतन दिया जाता हो, चार पूरे सप्ताहों में,

(३) ऐसे मजदूर की दशा में, जिसे दैनिक वेतन दिया जाता हो, बारह पूरे कार्य-दिवसों में,

जो उस दिनांक से पहले पड़ते हों जिस पर औसत वेतन देय होता हो, यदि कर्मकार ने, यथास्थिति, तीन पूरे कलेंडर मासों या चार पूरे सप्ताहों या बारह पूरे कार्य-दिवसों में कार्य किया होता और जहां ऐसा हिसाब नहीं लगाया जा सकता हो तो औसत का हिसाब उस मजदूरी के औसत से लगाया जायगा जो किसी कर्मकार को उस अवधि के लिये देय हों जिनमें उसने वास्तव में कार्य किया हो,

(ग) "पंच निर्णय" (award) से तात्पर्य है किसी औद्योगिक झगड़े या उससे संबद्ध किसी प्रश्न का किसी श्रम न्यायालय (Labour Court) या न्यायाधिकरण (tribunal) द्वारा अन्तरिम (interim) या अन्तिम अवधारण (determination) और इसके अन्तर्गत धारा ५-ख के अधीन किया गया मध्यस्थ निर्णय (arbitration award) भी है,

(घ) "बोर्ड" से तात्पर्य है धारा ३ के खंड (घ) के अधीन संघटित समझौता बोर्ड (conciliation board),

ऐक्ट सं० १०, १८९७।

(ङ) "केन्द्रीय सरकार" से तात्पर्य है जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १८९७ की धारा ३ के खंड ८ में पारिभाषित सेन्ट्रल गवर्नमेंट;

(च) "समझौता अधिकारी" से तात्पर्य है धारा ४-च के अधीन नियुक्त समझौता अधिकारी,

(छ) "अनवरत सेवा" (continuous service) से तात्पर्य है अखंडित (uninterrupted) सेवा और इसके अन्तर्गत वह सेवा भी है जो केवल बीमारी या अधिकृत अवकाश (authorized leave) या दुर्घटना या ऐसी हड़ताल, जो अवैध न हो, या द्वारावरोध (lock out) या ऐसी कार्य-समाप्ति (cessation of work) के कारण जो मजदूर की ओर से किसी त्रुटि के कारण न हो, खंडित हो गई हो, और किसी ऐसे मजदूर के संबंध में जिसने बारह कलेंडर मासों की अवधि में, किसी उद्योग में दो सौ चालीस से अन्यून दिवसों तक वास्तव में कार्य किया हो, यह समझा जायगा कि उसने उस उद्योग में एक वर्ष की अनवरत सेवा पूरी कर ली है।

स्पष्टीकरण—उन दिवसों की संगणना करने में जिस में किसी मजदूर ने किसी उद्योग में वास्तव में कार्य किया हो वे दिवस जिनमें—

अधिनियम संख्या २०, १९४६।

(१) किसी करार के अधीन अथवा इंडस्ट्रियल इम्प्लायेंट (स्टैंडिंग आर्डर्स) ऐक्ट, १९४६ के अन्तर्गत निर्मित स्थायी आदेशों के अधीन अथवा इस ऐक्ट के अथवा औद्योगिक संस्था (establishment) पर प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दी गयी अनुज्ञा से उसकी कामबन्दी हुई है (laid off) और इस खंड के प्रयोजनों के लिये, उसकी कामबन्दी के दिनों की अधिक से अधिक संख्या हिसाब में ली जायगी,

(२) गतवर्ष में उपार्जित पूर्ण मजदूरी पर वह छुट्टी पर रहा है, और

(३) स्त्री होने की दशा में वह प्रसूति की छुट्टी पर रही है, किन्तु ऐसी प्रसूति की छुट्टी की कुल अवधि बारह सप्ताह से अधिक न होगी—सम्मिलित किये जायेंगे।

ऐक्ट संख्या १४, १९४७।

(ज) "नियंत्रित उद्योग" का अर्थ वह होगा जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ की धारा २ के खंड (ईई) में "controlled industry" का है,

(झ) मालिक (Employer) के अन्तर्गत है:—

(१) कोई संस्था अथवा मालिकों का समूह;

(२) मालिक का कोई अभिकर्त्ता (agent)

(३) यदि उद्योग राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा संचालित अथवा निष्पादित किया जाता हो तो तदर्थ उल्लिखित प्राधिकारी, और यदि कोई ऐसा प्राधिकारी उल्लिखित न किया गया हो तो ऐसे विभाग का अध्यक्ष;

(४) यदि उद्योग स्थानीय प्राधिकारी (local authority) द्वारा अथवा उसकी ओर से संचालित या निष्पादित किया जाता हो तो ऐसे प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी (chief executive officer);

(५) यदि किसी उद्योग का स्वामी, उद्योग के संचालक के दौरान में या ऐसे उद्योग के संचालन के प्रयोजनो के लिये, किसी व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति के द्वारा या उसके अधीन किसी सम्पूर्ण कार्य के अथवा उसके किसी ऐसे भाग के निष्पादन के लिये जो सामान्यतया उक्त उद्योग का एक भाग हो, संविदा करे, तो ऐसे उद्योग का स्वामी:

(ञ) कोई व्यक्ति किसी बोर्ड, न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के चेयरमैन अथवा अन्य सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के प्रयोजन के लिये "स्वतंत्र" समझा जायगा यदि उस का ऐसे बोर्ड, न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण में अभिदिष्ट औद्योगिक झगड़े से अथवा किसी ऐसे उद्योग से जिस पर ऐसे झगड़े का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता हो, कोई संबंध न हो:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति का केवल इसी तथ्य के कारण स्वतंत्र न रहना नहीं समझा जायगा कि वह किसी ऐसी निगमित कम्पनी (incorporated Company) का हिस्सेदार है जो ऐसे औद्योगिक झगड़े से संसक्त है अथवा जिस पर उसका प्रभाव पड़ने की संभावना है; किन्तु ऐसी दशा में वह राज्य सरकार को यह सूचित करेगा कि ऐसी कम्पनी में उसके किस प्रकार के और किस आयति (extent) तक हिस्से हैं।

(ट) "उद्योग" से तात्पर्य है मालिकों का कोई कारबार, व्यापार, धंधा, निर्माण (manufacture) या आजीविका (calling) और इसके अन्तर्गत मजदूरों की कोई आजीविका, सेवा, रोजगार, दस्तकारी अथवा औद्योगिक व्यवसाय अथवा उप-व्यवसाय (avocation) है।

(ठ) "औद्योगिक झगड़ा" से तात्पर्य है, मालिकों और मालिकों अथवा मालिकों और मजदूरों अथवा मजदूरों और मजदूरों के बीच कोई ऐसा झगड़ा या मतभेद जो किसी व्यक्ति के रोजगार अथवा अरोजगार (employment or nonemployment) अथवा नियोजन के निबंधनों (terms) अथवा श्रम की शर्तों के संबंध में रखता हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा औद्योगिक झगड़ा नहीं है जो निम्नलिखित के संबंध में हो—

(१) कोई उद्योग जो केंद्रीय सरकार के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन अथवा किसी रेलवे कम्पनी द्वारा निष्पादित किया जाता हो, अथवा

(२) ऐसा नियंत्रित उद्योग जो केंद्रीय सरकार द्वारा एतदर्थ उल्लिखित किया जाय, अथवा

(३) इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट, १९४७ में पारिभाषित बैंकिंग तथा बीमा कम्पनियां, अथवा — ऐक्ट संख्या १४, १९४७।

(४) खान अथवा तेल–क्षेत्र (oil-field),

(ङ) "श्रम न्यायालय" से तात्पर्य है, धारा ४-क के अधीन संघटित श्रम न्यायालय,

(ढ) "कामबन्दी" (इसके व्याकरण संबंधी शब्द भेदों तथा सजातीय पदों के सहित) से तात्पर्य है मालिक का किसी ऐसे मजदूर को, जिसका नाम उसके औद्योगिक संस्था की उपस्थिति नामावलि में दर्ज हो और जिसकी छटनी न हुई हो, कोयले, बिजली अथवा कच्चे माल की कमी होने से अथवा स्टाक जमा हो जाने से अथवा मशीन के टूट जाने से अथवा अन्य कारणवश काम देने में असफल रहना, काम देने से इंकार करना अथवा काम देने में असमर्थ होना:

स्पष्टीकरण—प्रत्येक मजदूर जिसका नाम औद्योगिक संस्था की उपस्थिति नामावलि (muster rolls) में दर्ज है और जो किसी दिन संस्था में कार्य करने के लिये सामान्य कार्य के घंटों में उस प्रयोजन के लिये निश्चित समय पर उपस्थित होता है और मालिक द्वारा उसे इस प्रकार उपस्थित होने के दो घंटे के भीतर कार्य नहीं दिया जाता है तो इस खंड के अर्थ में यह समझा जायगा कि उस दिन के लिये उसकी कामबन्दी (laid off) हुई है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी दिन किसी पारी (shift) के आरम्भ में मजदूर को कार्य देने के स्थान पर उससे कहा जाय कि वह काम के लिये दिन की पारी के उत्तरार्द्ध में उपस्थित हो और तब उसको कार्य दिया जाय तो यह समझा जायगा कि उस दिन उसकी केवल आधे दिन के लिये कामबन्दी हुई है।

और प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि उसे इस प्रकार स्वयं उपस्थित होने पर भी उक्त कोई काम (employment) नहीं दिया जाता तो उसके बारे में यह न समझा जायगा कि वह उस दिन की पारी के उत्तरार्द्ध के लिये अलग कर दिया गया है और वह दिन के उस भाग के लिए पूरी मूल मजदूरी (basic wages) तथा महंगाई भत्ता पाने का अधिकारी होगा,

(ण) "द्वारावरोध" (Lock out) का तात्पर्य रोजगार के किसी स्थान को बन्द करने अथवा कार्य को लम्बित कर देने (suspension) अथवा मालिक द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों में से किसी भी संख्या को नियुक्त किये रखने से उसका इन्कार करना है,

(त) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा नियत से है,

(थ) "सार्वजनिक उपयोगिता की सर्विस" का तात्पर्य—

(१) किसी औद्योगिक संस्था (establishment) की किसी ऐसी उपशाखा (section) से है जिसके कार्य संचालन पर खंड की अथवा उसमें नियुक्त मजदूरों की सुरक्षा निर्भर हो,

(२) कोई ऐसा उद्योग जो जनता के लिए शक्ति (Power) रोशनी अथवा पानी का प्रबन्ध करता हो,

(३) सफाई और जनता के स्वास्थ्य की रक्षा की कोई प्रणाली,

(४) कोई उद्योग अथवा धन्धा (undertaking) जिसे राज्य सरकर, यदि उसका समाधान हो जाय कि सार्वजनिक आवश्यकता अथवा सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, ऐसी अवधि के लिए जो विज्ञप्ति में निश्चित की जाय, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त सार्वजनिक उपयोगिता की सर्विस घोषित करे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निश्चित की गई अवधि प्रथमत: ६ महीने से अधिक न होगी किन्तु उसे उपर्युक्त प्रकार की विज्ञप्ति द्वारा, किसी भी समय ६ महीने से अनधिक की किसी अवधि के लिये, समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है यदि राज्य सरकार की राय में उस अवधि का इस प्रकार बढ़ाया जाना सार्वजनिक आवश्यकता के लिए अथवा सार्वजनिक हित में जरूरी हो।

(द) "पंजीयन" (Registration) का तात्पर्य, जहां तक किसी निपटारे (settlement) का प्रश्न है, धारा ६–ख के अनुसार पंजीयन से है,

(ध) "छटनी" (retrenchment) का तात्पर्य अनुशासनीय कार्यवाही के रूप में दिये गये दण्ड से भिन्न किसी कारण से भी किसी मजदूर की सेवा को मालिक द्वारा समाप्त करना है, किन्तु इसके अन्तर्गत,

(१) मजदूर का स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति (retire) हो जाना शामिल नहीं है,

अथवा

(२) नियत सेवा अवधि (superannuation) की वय प्राप्त कर लेने पर, यदि संबंधित मालिक तथा मजदूर के बीच हुए संविदे (contract) में तदर्थ कोई सेवावधि निश्चित की गई हो, मजदूर की सेवा निवृत्ति शामिल नहीं है,

(न) "निपटारा" (Settlement) का तात्पर्य समझौते की कार्यवाहियों (conciliation proceeding) के दौरान में हुए निपटारे से है तथा इसके अन्तर्गत समझौते की कार्यवाहियों के दौरान में हुई कार्यवाहियों से भिन्न दशा में मालिक तथा मजदूर के बीच हुआ ऐसा लिखित निपटारा भी शामिल है जिस पर, ऐसी रीति से जो नियत की जाय, उससे सम्बद्ध पक्षों के हस्ताक्षर हों तथा उसकी एक प्रति राज्य सरकार और सम्बन्धित समझौता अधिकारी को भेज दी गई हो,

(प) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है,

(फ) "हड़ताल" का तात्पर्य किसी उद्योग में नियुक्त व्यक्तियों के किसी समुदाय (body) द्वारा, जो सामूहिक रूप से (in combination) काम को ठप करना अथवा कितेक व्यक्तियों द्वारा जो इस प्रकार नियुक्त किये गये हों, बराबर कार्य करने के लिए अथवा स्वीकार करने के लिए सामूहिक रूप से अथवा सामूहिक बोध (common understanding) से इन्कार करना है,

(ब) "न्यायाधिकरण" (tribunal) का तात्पर्य धारा ४–ख के अधीन नियुक्त औद्योगिक न्यायाधिकरण से है,

ऐक्ट संख्या १६, १९२६।

(भ) "संघ" (Union) का तात्पर्य इंडियन ट्रेड यूनियन्स ऐक्ट, १९२६ के अधीन पंजीबद्ध (Registered) ट्रेड यूनियन से है,

(म) "मजदूरी" (wages) का तात्पर्य ऐसे सभी पारिश्रमिक (remuneration) से है जो धन के रूप में प्रकट किये जाने के योग्य हों और जो नौकरी के स्पष्ट अथवा उपलक्षित (express or implied) निबन्धनों (terms) की पूर्ति हो जाने पर मजदूर के रोजगार (employment) की दशा में अथवा रोजगार में किये गये कार्यों की दशा में उसे देय हों, और इसके अन्तर्गत—

(१) ऐसे भत्ते (जिनमें महंगाई भत्ता भी है), जिन्हें तत्समय (for the time being) पाने का वह मजदूर अधिकारी हो,

(२) किसी भी गृह आवास, अथवा रोशनी, जल अथवा चिकित्सा सम्बन्धी उपचार, अन्य किसी सुविधा अन्य किसी सेवा का, अथवा खाद्यान्नों या अन्य पदार्थों का रियायती तौर पर प्रबन्ध करने का मूल्य,

(३) यात्रा सम्बन्धी कोई रियायत सम्मिलित नहीं है,

किन्तु निम्नलिखित सम्मिलित है—

(क) कोई बोनस,

(ख) मालिक द्वारा किसी सेवा निवृत्ति निधि (pension fund) अथवा भविष्य निधि (Provident fund) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मजदूर के लाभ के लिए मालिक द्वारा दिया गया अथवा देय (paid or payable) कोई अंशदान,

(ग) मजदूर की सेवा की समाप्ति पर देय कोई अनुग्रह धन (gratuity),

(य) "मजदूर" (work man) का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है (जिसके अन्तर्गत शिक्षु भी है) जो किराये पर अथवा पुरस्कार के रुप में (for hire or reward) किसी निपुण अथवा अनिपुण (skilled or unskilled) शारीरिक श्रम करने अथवा अधीक्षणीय, प्राविधिक अथवा लिपिक संबंधी (supervisory technical or clerical) कार्य करने के लिए किसी उद्योग में नियुक्त हुआ हो चाहे रोजगार सम्बन्धी निबन्धन (terms) स्पष्ट हों अथवा उपलक्षित तथा किसी औद्योगिक झगड़े के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए मजदूर के अन्तर्गत ऐसा भी व्यक्ति है जो उस झगड़े के सम्बन्ध में अथवा उसके परिणाम स्वरूप बरखास्त किया गया हो अथवा सेवामुक्त किया गया हो, अथवा उसकी छटनी की गयी हो (dismissed, discharged or retrenched) अथवा जिसकी बरखास्तगी, सेवामुक्ति अथवा छटनी के कारण वह झगड़ा उठ खड़ा हुआ हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो—

ऐक्ट संख्या ४६, १९५०।
ऐक्ट संख्या ४५, १९५०।
ऐक्ट संख्या ३४, १९३४।

(१) आर्मी ऐक्ट, १९५० अथवा एयर फोर्स ऐक्ट, १९५० अथवा नेवी डिसिप्लिन ऐक्ट, १९३४ के अधीन हो, अथवा

(२) पुलिस सर्विस में अथवा किसी बन्दीगृह के अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी के रूप में नियुक्त हो, अथवा

(३) जो मुख्यतः प्रबंध सम्बन्धी अथवा प्रशासनीय रूप में (managerial or administrative capacity) नियुक्त हो, अथवा

(४) जो अधीक्षणीय रूप में नियुक्त होने के कारण ५०० रुपये मासिक से अधिक मजदूरी (wage) पाता हो अथवा पद से सम्बद्ध कर्त्तव्यों के प्रकार के कारण अथवा उस व्यक्ति में निहित अधिकारों के कारण मुख्यतः प्रबन्ध संबंधी कृत्यों का सम्पादन करता हो ।

३—मूल अधिनियम की धारा ३ का खंड (ग) तथा उस धारा के अन्त के प्रतिबन्धात्मक वाक्य का खंड (२) निकाल दिये जायं और खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— सं० प्रा० ऐक्ट संख्या २८, १९४७ की धारा ३ का संशोधन ।

"(घ) आज्ञा में उल्लिखित रीति से औद्योगिक झगड़ों का निपटारा करने के निमित्त समझौता, बोर्डों का संघटन तथा कार्य संचालन करने के लिये ।"

४—मूल अधिनियम की धारा ४ हटा दी जाय और उसके पश्चात् नयी धाराएं ४-क से ले कर ४-ट तक के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय:— सं० प्रा० ऐक्ट संख्या २८, १९४७ की धारा ४ का हटाया जाना तथा नयी धारा ४-क से लेकर ४-ट तक का रक्खा जाना ।

श्रम न्यायालय ।

"४-क—(१) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी मामले के सम्बन्ध में, औद्योगिक झगड़ों के निर्णय के लिए तथा किसी ऐसे अन्य कार्य के सम्पादन के लिये जो इस अधिनियम के अधीन उन्हें सौंपा जाय एक या एकाधिक न्यायालयों को संघटित कर सकती है ।

(२) श्रम न्यायालय में केवल एक व्यक्ति होगा जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी ।

(३) कोई भी व्यक्ति श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी (presiding officer) के रूप में नियुक्त होने के लिये तब तक अर्ह न होगा जब तक—

(क) उसने सात वर्षों से अन्यून अवधि तक के लिये भारत में कोई न्यायिक पद (judicial office) न ग्रहण किया हो, अथवा

(ख) धारा ४-घ के अधीन तैयार की गयी सूची में उसका नाम दर्ज न हो ।

४-ख—(१) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में औद्योगिक झगड़ों का निर्णय करने के लिये एक अथवा एकाधिक औद्योगिक न्यायाधिकरण संघटित कर सकती है । न्यायाधिकरण

(२) न्यायाधिकरण में सिवाय उस दशा के जब कि धारा ५-क के अधीन कोई अन्य व्यवस्था की गई हो, केवल एक व्यक्ति होगा जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी।

(३) कोई भी व्यक्ति किसी न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी होने के लिये तब तक अर्ह न होगा जब तक कि--

(क) वह किसी हाई कोर्ट का जज न हो अथवा न रहा हो, अथवा

ऐक्ट संख्या ४६, १९५०।

(ख) वह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (एपीलेट ट्रिब्यूनल) ऐक्ट, १९५० के अधीन संघटित किसी श्रम, अपील न्यायाधिकरण (Labour appellate tribunal) का दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिये, अथवा संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ ई० के अधीन संघटित किसी न्यायाधिकरण का पांच वर्ष से अन्यून किसी अवधि के लिये, चेयरमैन अथवा अन्य किसी सदस्य के रूप में पदासीन न रहा हो, अथवा

सं० प्रा० ऐक्ट, संख्या २८, १९४७।

(ग) उसका नाम धारा ४-घ के अधीन तैयार की गई सूची में दर्ज न हो।

(४) राज्य सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, न्यायाधिकरण को उस के समक्ष प्रस्तुत कार्यवाहियों के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये असेसरों के रूप में दो व्यक्तियों तक की नियुक्ति कर सकती है।

श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी की अनर्हताएं।

४--ग--कोई भी व्यक्ति श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद पर न तो नियुक्त किया जायगा और न बना रहेगा, यदि--

(१) वह स्वतंत्र (independent) व्यक्ति न हो, अथवा

(२) उसने ६५ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो,

श्रम न्यायालय तथा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के निमित्त व्यक्तियों की सूचियां।

४--घ--धारा ४-क के अधीन श्रम न्यायालय तथा धारा ४-ख के अधीन औद्योगिक न्यायाधिकरण निर्मित करने के प्रयोजन से राज्य सरकार--

(क) उन सभी व्यक्तियों की एक सूची जो किसी श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये जा सकें, तथा

(ख) उन सभी व्यक्तियों की एक सूची जो किसी औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये जा सकें, बनवायेगी तथा उस सूची को उसमें ऐसे परिवर्तनों (alterations) का समावेश करते हुये, रखेगी जिनकी सूचना धारा ४-ङ के अधीन नियुक्त समिति समय-समय पर प्रस्तुत करे।

समिति धारा ४-घ के अधीन सूचियां तैयार करेगी।

४--ङ--(१) अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, तीन व्यक्तियों की एक समिति संघटित की जायगी, जिनमें से एक व्यक्ति अध्यक्ष होगा जो या तो हाई कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज रहा हो तथा अन्य दो व्यक्तियों में एक उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव (Chief Secretary) तथा दूसरे श्रम विभाग में उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव (Secretary) होंगे।

(२) उपधारा (१) के अधीन संघटित समिति द्वारा ४-घ में उल्लिखित सूचियां, नियत रीति से,

(क) उक्त धारा के खंड (क) में उल्लिखित सूची की दशा में श्रम तथा उद्योग से सम्बद्ध विषयों में व्यक्ति की शिक्षा तथा व्यावहारिक अनुभव का ध्यान रखते हुये, तथा

(ख) उसके खंड (ख) में उल्लिखित सूची की दशा में उन विषयों की भी विशेष जानकारी रखने वाले व्यक्ति का ध्यान रखते हुये, तैयार करेगी।

(३) कोई भी व्यक्ति, जो इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अथवा स्टेट हायर जुडीशियल सर्विस अथवा स्टेट जुडीशियल सर्विस अथवा स्टेट लेबर सर्विस अथवा अन्य किसी समकक्ष सेवा का सदस्य न हो, उपधारा (१) के अधीन निर्मित सूचियों में दर्ज किये जाने का पात्र न होगा।

समझौता अधिकारी।

४–च––(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके उतने व्यक्तियों को, जितनों को वह उचित समझे, नियत की जाने वाली रीति से, औद्योगिक झगड़ों में मध्यस्थता करने तथा उन्हें निपटाने के कर्तव्य का पालन करने के निमित्त समझौता अधिकारी नियुक्त कर सकती है।

(२) समझौता अधिकारी किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र अथवा क्षेत्रों के निमित्त नियुक्त किया जा सकता है।

रिक्तियों की पूर्ति।

४–छ––यदि किसी कारणवश श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो जाय तो राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को रिक्ति पूर्ति के निमित्त नियुक्त करेगी और यथास्थिति श्रम-न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष उसी चरण (Stage) से, जब कि रिक्त-पूर्ति हुई हो, कार्यवाही जारी रक्खी जायगी।

आज्ञाओं का अन्तिम रूप देना (finality of orders)।

४–ज––बोर्ड में किसी भी व्यक्ति की अथवा श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति संबंधी राज्य सरकार की आज्ञा पर किसी भी रीति से आपत्ति न की जा सकेगी, तथा किसी भी बोर्ड, श्रम-न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष किये गये किसी भी कार्य अथवा की गयी किसी भी कार्यवाही पर किसी भी रीति से केवल इस आधार पर आपत्ति न की जा सकेगी कि ऐसे बोर्ड, श्रम-न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के संघटन में कोई दोष था अथवा उसमें कोई रिक्ति रह गई थी।

परिवर्तन की नोटिस।

४–झ––कोई भी मालिक, जो तृतीय अनुसूची में उल्लिखित किसी विषय के संबंध में किसी मजदूर की सेवा के प्रतिबन्धों में कोई परिवर्तन करना चाहे, ऐसा परिवर्तन––

(क) ऐसे मजदूरों को, जिन पर ऐसे परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की संभावना हो, किये जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तन की नियत रीति से सूचना दिये बिना; तथा

(ख) ऐसी नोटिस देने के २१ दिन के भीतर, न कर सकेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी दशा में उपर्युक्त कोई परिवर्तन कार्यान्वित करने के लिये कोई नोटिस आवश्यक न होगा जबकि––

(१) परिवर्तन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटस (एपिलेट ट्रिब्यूनल) ऐक्ट, १९५० के अधीन संघटित किसी पौनर्वादिक न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal) के किसी भी निपटारे, पंच निर्णय अथवा निर्णय के अनुसार हो, अथवा

(२) वे मजदूर जिन पर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की संभावना हो ऐसे व्यक्ति हों जिन पर फंडामेंटल ऐंड सप्लीमेंटरी रूल्स, सिविल सर्विसेज (क्लासीफिकेशन, कंट्रोल ऐंड अपील) रूल्स, सिविल सर्विसेज (टेम्परेरी सर्विस)

रूल्स, अथवा कोई अन्य नियम अथवा विनियम लागू होते हों जो कि एतदर्थ राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ विज्ञापित किये जायं।

सरकार का मुक्त (exempt) करने का अधिकार।

४–ञ––जब राज्य सरकार की राय में किन्हीं औद्योगिक संस्थाओं (establishments) के किसी वर्ग पर अथवा किसी औद्योगिक संस्था में नियुक्त मजदूरों के किसी वर्ग पर धारा ४–झ के उपबन्धों के लागू होने से, उनके संबंध में मालिकों पर ऐसा प्रतिकूल प्रभाव पड़े जिसका कि सम्बद्ध उद्योग पर गम्भीर दुष्परिणाम हो सकता हो और साथ ही सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक हो तो राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर के, आदेश दे सकती है कि उक्त धारा के उपबन्ध औद्योगिक संस्थाओं के उस वर्ग पर अथवा किसी औद्योगिक संस्था में नियुक्त मजदूरों के उस वर्ग पर लागू न होंगे अथवा ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये लागू होंगे जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट कर दिये जायं।

श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को विवादों का अभिदेश (reference)

४–ट––जब राज्य सरकार की राय में कोई औद्योगिक झगड़ा विद्यमान हो अथवा उसकी आशंका हो तो वह किसी भी समय लिखित आज्ञा दे कर उस झगड़े को, अथवा उससे सम्बद्ध अथवा संगत प्रतीत होने वाले किसी भी विषय को निर्णय के लिये, यदि औद्योगिक झगड़े का वह विषय उन विषयों में से एक हो जो प्रथम अनुसूची में उल्लिखित है तो किसी श्रम-न्यायालय को और यदि वह विषय प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हो तो उसे किसी न्यायाधिकरण को सौंप सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब विवाद किसी ऐसे विषय से सम्बद्ध हो जो द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट हो और उससे एक सौ से अधिक मजदूरों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना न हो तो राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे, उसे श्रम-न्यायालय को अभिदिष्ट कर सकती है।

सं० प्रा० ऐक्ट संख्या २८, १९४७ की धारा ५ का संशोधन।

५––मूल अधिनियम की धारा ५ में––

(१) उपधारा (१) में आये हुये शब्द "तीसरी धारा के वाक्य खंड (घ)" के स्थान पर शब्द "धारा ४–ट" रख दिये जायं।

(२) उपधारा १ का खंड (२) निकाल दिया जाय।

सं० प्रा० ऐक्ट संख्या २८, १९४७ में नयी धारा ५ (क) से ५ (ङ) तक का बढ़ाया जाना।

६––धारा ५ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ५–क से ५–ङ तक के रूप में न्यायाधिकरण की विशेष रचना बढ़ा दिया जाय––

"५–क––(१) जब कोई औद्योगिक झगड़ा धारा ५–ग के अधीन किसी औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंपा जाय तो राज्य सरकार, झगड़े के प्रकार एवं उद्योग पर अथवा उसके किसी भाग पर उसके निर्णय के सम्भाव्य प्रभाव का ध्यान रखते हुए, अथवा यदि झगड़ा ऐसा हो जिससे सम्भवतः एकाधिक औद्योगिक संस्थाओं पर प्रभाव पड़ता हो, यदि उसके विचार में ऐसा करना आवश्यक हो तो, उक्त धारा में किसी भी बात के होते हुए भी, तीन व्यक्तियों का एक न्यायाधिकरण संघटित कर सकती है जिसमें से एक व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार नामोद्दिष्ट करेगी, अध्यक्ष होगा।

(२) उपधारा (१) में की गयी व्यवस्था को छोड़ कर औद्योगिक न्यायाधिकरण के संघटन नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताओं और अनर्हताओं, ऐसे न्यायाधिकरणों के अधिकार और कर्तव्य उनके द्वारा औद्योगिक

झगड़ों की सुनवाई और निस्तारण में अनुसरणीय प्रक्रिया, निर्णय के प्रदान, इसके परिष्कार तथा इसकी कार्यान्विति से सम्बद्ध इस अधिनियम के समस्त उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित इस धारा के अधीन संघटित न्यायाधिकरण पर लागू होंगे।

झगड़ों का निर्णय (arbitration) के लिए स्वेच्छा-पूर्वक सौंपा जाना।

५-(ख)--(१) जब कोई औद्योगिक झगड़ा विद्यमान हो, अथवा उसकी आशंका हो तथा मालिक और मजदूर उस झगड़े को मध्यस्थ निर्णय के लिये अभिदिष्ट करने पर एकमत हों तो वे, धारा ४ (ट) के अधीन किसी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को झगड़ा अभिदिष्ट करने से पूर्व, उसे लिखित करार (agreement) करके मध्यस्थ निर्णय के निमित्त सौंप सकते हैं तथा यह अभिदेश (reference) ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को (जिसके अन्तर्गत श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी भी हैं) मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों के रूप में होगा जो मध्यस्थ निर्णय सम्बन्धी करार में उल्लिखित हों।

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट मध्यस्थता सम्बन्धी करार ऐसे रूप में होगा तथा सम्बद्ध पक्षों द्वारा ऐसी रीति से हस्ताक्षरित होगा जो नियत की जाय।

(३) मध्यस्थता सम्बन्धी करार की एक-एक प्रति राज्य सरकार संबंधित समझौता अधिकारी तथा श्रम कमिश्नर को अग्रसारित की जायगी तथा राज्य सरकार, ऐसी प्रति के प्राप्त होने के चौदह दिन के भीतर, उसे सरकारी गजट में प्रकाशित करेगी।

(४) मध्यस्थ अथवा मध्यस्थगण झगड़े की छानबीन करेंगे तथा यथास्थिति मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों द्वारा हस्ताक्षरित पंच-निर्णय राज्य सरकार के पास प्रस्तुत करेंगे।

(५) आर्बिट्रेशन ऐक्ट, १९४० की कोई भी बात इस धारा के अधीन मध्यस्थ निर्णय पर लागू न होगी। ऐक्ट संख्या १०, १९४०।

बोर्डों, श्रम-न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों की प्रक्रिया तथा उनके अधिकार।

५-ग--(१) उन नियमों के अधीन रहते हुए जो इस सम्बन्ध में बनाये जायं कोई भी मध्यस्थ, श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण ऐसी प्रक्रिया (procedure) का अनुसरण करेंगी जिसे मध्यस्थ अथवा श्रम-न्यायालय अथवा मध्यस्थ न्यायाधिकरण उचित समझे।

(२) श्रम-न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण का कोई पीठासीन अधिकारी किसी विद्यमान अथवा आशंकित औद्योगिक झगड़े की जांच के प्रयोजन से, उचित नोटिस दे देने के पश्चात् किसी ऐसी संस्था (establishment) द्वारा अध्यासित भूगृहादि में प्रवेश कर सकता है जिससे कि झगड़ा सम्बद्ध हो।

(३) प्रत्येक बोर्ड, श्रम न्यायालय तथा न्यायाधिकरण को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में किसी मुकद्दमे का परीक्षण करते समय वही ऐक्ट संख्या ५, १९०८।

अधिकार प्राप्त होंगे जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन किसी दीवानी न्यायालय में निहित रहते हैं, यथा—

(क) किसी व्यक्ति की उपस्थिति प्राप्त करना तथा उसे शपथ दिला कर अथवा प्रतिज्ञान अथवा अन्य किसी प्रकार उसका परीक्षण करना,

(ख) लेख्यों तथा स्थूल वस्तुओं (material) को प्राप्त करने तथा उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना,

(ग) साक्षियों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना,

(घ) किसी झगड़े से सम्बद्ध संपत्ति अथवा किसी वस्तु का, जिसके अन्तर्गत मशीनें भी हैं, निरीक्षण करना,

तथा

ऐक्ट संख्या ४५, १८६०।

(ङ) अन्य ऐसे विषय जो नियत किये जायं तथा किसी भी श्रम-न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा की गई प्रत्येक जांच या अनुसंधान इंडियन पेनल कोड, १८६० की धारा १९३ तथा २२८ के प्रयोजनों के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही (judicial proceeding) समझी जायगी।

समझौता अधिकारी का अधिकार।

५-घ—(१) कोई समझौता अधिकारी किसी भी ऐसे लेख्य को मंगा सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है जिसे वह किन्हीं कारणों के आधार पर औद्योगिक झगड़े से सुसंगत समझता हो।

(२) कोई समझौता अधिकारी किसी भी विद्यमान अथवा आशंकित झगड़े की जांच करने के प्रयोजन से उचित नोटिस देने के पश्चात् किसी भी संस्था द्वारा अध्यासित किसी भूगृहादि में प्रवेश कर सकता है।

व्यय का प्रदान (award of cost)

५-(ङ)—इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए किसी मध्यस्थ अथवा श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही का व्यय अथवा आनुषंगिक व्यय मध्यस्थ, श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के विवेकाधीन होगा तथा मध्यस्थ, श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण, जैसी भी दशा हो, को पूर्ण अधिकार होगा कि वह अवधारित करें कि किस के द्वारा और किस को और किस सीमा तक और किन प्रतिबन्धों के अधीन, यदि कोई हों, ऐसा व्यय अदा किया जाय तथा उसे उपर्युक्त प्रयोजन के निमित्त समस्त आदेश देने का अधिकार होगा तथा ऐसे व्यय, व्यय पाने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल किये जा सकेंगे।"

७—मूल अधिनियम की धारा ६ तथा ६ (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, यथा—

सं० प्रा० ऐक्ट संख्या २८, १९४ की धारा ६ तथा ६ (क) के स्थान पर नई धाराओं का रखा जाना।

"६ (१)—जब कोई भी औद्योगिक झगड़ा किसी श्रम न्यायालय अथवा पंच निर्णय तथा न्यायाधिकरण के पास निर्णयार्थ भेजा जाय तो वह उन पर शीघ्रता के साथ कार्यवाही करेगा और उसकी समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र राज्य सरकार के पास निर्णय प्रस्तुत करेगा।

उन पर की जाने वाली कार्य-वाही।

(२) श्रम-न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण का निर्णय लिखित में होगा और उस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे,

(३) उपधारा (४) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक मध्यस्थ निर्णय तथा श्रम-न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण का निर्णय राज्य सरकार के पास पहुंचने के तीन दिन के भीतर ऐसी रीति से प्रकाशित किया जायगा, जिसे राज्य सरकार उचित समझे,

(४) राज्य सरकार उपधारा (३) के अधीन श्रम-न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के निर्णय के प्रकाशन के पूर्व स्वतः अथवा उसे प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, निर्णय को निर्णायक प्राधिकारी (adjucating authority) के पास पुनर्विचारार्थ प्रेषित कर सकती है तथा वह प्राधिकारी पुनर्विचार के पश्चात् अपना निर्णय राज्य सरकार के पास प्रस्तुत करेगा तथा राज्य सरकार उस निर्णय को उपधारा (३) में दी गई रीति से प्रकाशित करेगी।

(५) धारा ६ (क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उपधारा (३) के अधीन प्रकाशित निर्णय अन्तिम होगा और उस पर किसी भी न्यायालय में किसी भी रीति से आपत्ति न की जा सकेगी।

(६) श्रम-न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा मध्यस्थ, स्वतः या झगड़े से सम्बद्ध किसी पक्ष द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर निर्णय की किसी भी लिपिक अथवा गणना की अशुद्धि को अथवा किसी भी आकस्मिक त्रुटि अथवा चूक के कारण हुई किसी गलती को ठीक कर सकता है। जब उपर्युक्त प्रकार से कोई गलती ठीक की जाय तो आज्ञा की एक प्रति राज्य सरकार के पास भेजी जायगी तथा निर्णय के प्रकाशन सम्बन्धी इस अधिनियम के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित उस पर लागू होंगे।

निर्णय का प्रारम्भ।

६-(क)—(१) कोई भी निर्णय (जिसके अन्तर्गत पंच-निर्णय भी है) धारा ६ के अधीन उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन पूरे होने पर प्रवर्तनीय हो जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की राय में राष्ट्रीय अथवा राज्य की अर्थ-व्यवस्था अथवा सामाजिक न्याय के आधार पर सम्पूर्ण निर्णय

अथवा उसके किसी अंश को कार्यान्वित करना इष्टकर न हो तो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके घोषित कर सकती है कि निर्णय उपर्युक्त तीस दिन की अवधि बीत जाने पर प्रवर्तनीय (enforceable) नहीं होगा,

और प्रतिबन्ध यह भी है कि पंच-निर्णय तब भी प्रवर्तनीय न होगा जब राज्य सरकार का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे यह समाधान हो जाय कि पंच-निर्णय कपट संधि, धोखा अथवा मिथ्या व्यपदेशन (collusion, fraud or misrepresentation) के आधार पर दिया गया अथवा प्राप्त किया गया है।

(२) जब उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धक (Proviso) के अधीन किसी निर्णय के सम्बन्ध में कोई घोषणा की जाय तो राज्य सरकार धारा ६ के अधीन निर्णय के प्रकाशन के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर निर्णय को अस्वीकृत अथवा परिष्कृत करते हुए एक आज्ञा जारी कर सकती है तथा प्रथम उपलब्ध अवसर पर आज्ञा की एक प्रति सहित निर्णय की प्रति राज्य विधान मंडल के समक्ष रक्खेगी।

(३) जब उपधारा (२) के अधीन दी गयी आज्ञा द्वारा अस्वीकृत अथवा परिष्कृत कोई भी निर्णय राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाय तो विधान मंडल में उसके रखे जाने के दिनांक से पच्चीस दिन व्यतीत हो जाने पर, वह निर्णय प्रवर्तनीय हो जायगा और जब उपधारा (२) के प्रथम परन्तुक के अधीन की गई घोषणा के अनुसार उपधारा (२) के अधीन उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धक के अधीन घोषणा के अनुसार कोई भी आज्ञा न दी गयी हो तो उपधारा (२) में अभिदिष्ट नब्बे दिन की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् निर्णय प्रवर्तनीय होगा।

(४) निर्णय की प्रवर्तनीयता के संबंध में उपधारा (१) तथा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये निर्णय ऐसे दिनांक से कार्यान्वित होगा जो उसमें निर्दिष्ट की जाय किन्तु जब कोई भी दिनांक निर्दिष्ट न हो तब निर्णय उस दिनांक से कार्यान्वित होगा जब यथास्थित उपधारा (१) अथवा उपधारा (३) के अधीन निर्णय प्रवर्तनीय हो जाय।"

नई धाराएं, धारा ६-ख से ६-द तक का बढ़ाया जाना।

७--मूल अधिनियम की धारा ६-क के पश्चात् नई धारायें ६-ख से ६-द तक के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय--

समझौते की कार्यवाहियों से बाहर निपटारा।

६-ख--(१) समझौता कार्यवाहियों के दौरान से भिन्न दशा में मालिक और मजदूरों में करार द्वारा किया गया कोई भी निपटारा सिवाय उपधारा (४) में दी हुई अवस्था के करार के पक्षों पर बन्धककारी होगा।

(२) (क)--उपधारा (१) में उल्लिखित निपटारा हो जाने के पश्चात् तुरन्त ही निपटारे के पक्ष अथवा उनमें से कोई संबद्ध क्षेत्र के समझौता अधिकारी के पास नियत रीति से निपटारे की पंजीयन (registration) के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

(३) उपधारा (२) के अधीन पंजीयन का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर समझौता अधिकारी, अथवा राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ विज्ञापित कोई भी अन्य प्राधिकारी, या तो (१) नियत रीति से निपटारे को पंजीबद्ध करेगा या (२) यदि वह राष्ट्रीय अथवा राज्य की अर्थ व्यवस्था अथवा सामाजिक न्याय पर प्रभाव डालने वाले सार्वजनिक कारणों से, अथवा इस कारण कि निपटारा कपटसंधि, धोखा अथवा मिथ्या व्यपदेशन के आधार पर हुआ है निपटारे को पंजीबद्ध करना अनुपयुक्त (inexpedient) समझता है तो वह उसे पंजीबद्ध करने से इन्कार कर देगा ।

(४) जब उपधारा (१) के अधीन निपटारे का पंजीयन अस्वीकृत कर दिया गया हो तब वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रवर्तनीय न होगा।

६-ग—कोई भी निर्णय प्रथमतः एक वर्ष तक अथवा ऐसी लघुतर अवधि के लिये जो उसमें निर्दिष्ट हो कार्यान्वित रहेगा :

श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा मध्यस्थ का निर्णय तथा इसकी कार्यान्विति ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार समय-समय पर, निर्णय की कार्यान्विति की अवधि बढ़ा सकती है यदि वह ऐसा करना उचित समझे;

और प्रतिबन्ध यह भी है कि जब राज्य सरकार स्वतः अथवा निर्णय से आबद्ध किसी पक्ष के प्रार्थना-पत्र पर यह समझे कि निर्णय हो चुकने के बाद से उन परिस्थितियों में जिन पर वह आधारित था सारवान परिवर्तन हुआ है तो राज्य सरकार ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उकित समझे निर्णय की कार्यान्विति की अवधि को कम कर सकती है।

६-घ—किसी भी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों का आरम्भ तथा उनकी समाप्ति।

कार्यवाहियां उस दिनांक पर आरम्भ हुई समझी जायंगी जिस पर झगड़ा निर्णयार्थ उन्हें भेजा गया हो तथा ऐसी कार्यवाहियां उस दिनांक को समाप्त समझी जायंगी जिस पर धारा ६-क के अधीन निर्णय प्रवर्तनीय होता हो।

६-ङ—किसी भी औद्योगिक कार्यवाहियों के विचाराधीन रहने के दौरान में कुछ परिस्थितियों में सेवा की शर्तों इत्यादि का अपरिवर्तनीय रहना।

झगड़े के विषय में किसी समझौता अधिकारी अथवा बोर्ड के समक्ष समझौते संबंधी किसी कार्यवाही, अथवा किसी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही के विचाराधीन रहने के दौरान में कोई भी मालिक—

(क) झगड़े से सम्बद्ध किसी विषय में, ऐसी कार्यवाही के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व मजदूरों पर लागू सेवा की शर्तों में ऐसे झगड़े से सम्बद्ध मजदूरों के हितों के प्रतिकूल कोई परिवर्तन न करेगा, अथवा

(ख) झगड़े से सम्बद्ध किसी दुर्व्यवहार के लिये उक्त झगड़े से सम्बद्ध किसी मजदूर को बरखास्तगी द्वारा या अन्य किसी प्रकार से दंडित अथवा सेवा मुक्त (discharged) न करेगा सिवाय उस दशा के जब कि एतदर्थ उस प्राधिकारी की जिसके समक्ष कार्यवाही विचाराधीन हो लिखित रूप से स्पष्ट अनुमति न मिल गई हो,

(२) किसी औद्योगिक झगड़े के सम्बन्ध में किसी ऐसी कार्यवाही के विचाराधीन रहने के दौरान में, ऐसे झगड़े से सम्बद्ध किसी मजदूर पर लागू स्थायी आज्ञाओं के अनुसार मालिक—

(क) झगड़े से असंबद्ध किसी विषय में ऐसी कार्यवाही आरम्भ होने से तत्काल पूर्व, मजदूर पर लागू सेवा की शर्तों में परिवर्तन कर सकता है, अथवा

(ख) झगड़े से असम्बद्ध किसी भी दुर्व्यवहार के निमित्त उस मजदूर को बरखास्तगी द्वारा या अन्य किसी प्रकार से सेवा मुक्त अथवा दंडित कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई भी मजदूर तब तक सेवा मुक्त अथवा बरखास्त न किया जायगा जब तक कि उसे एक महीने की मजदूरी न दे दी जाय तथा मालिक द्वारा उस प्राधिकारी को जिसके समक्ष मालिक द्वारा किये गये कार्य के अनुमोदन के लिये कार्यवाही विचाराधीन हो, एक प्रार्थना-पत्र न दे दिया जाय।

(३) उपधारा (२) में किसी बात के होते हुए भी कोई भी मालिक औद्योगिक झगड़े के सम्बन्ध में विचाराधीन ऐसी किसी कार्यवाही के दौरान में ऐसे झगड़े से सम्बद्ध किसी संरक्षित मजदूर (protected-workman) के विरुद्ध—

(क) ऐसी कार्यवाही के प्रारम्भ से ठीक पूर्व ऐसे संरक्षित मजदूर पर लागू होने वाली सेवा की शर्तों में, उसके हितों के प्रतिकूल, परिवर्तन की, अथवा—

(ख) ऐसे संरक्षित मजदूर को बरखास्तगी या अन्य किसी प्रकार से दंड देकर अथवा उन्मुक्त करने की कार्यवाही नहीं करेगा,

जब तक कि उस प्राधिकारी की जिसके समक्ष कार्यवाही विचाराधीन हो लिखित स्पष्ट अनुज्ञा प्राप्त न हो जाय।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के निमित्त किसी संस्था के सम्बन्ध में "संरक्षित मजदूर" (protected-workman) से तात्पर्य है ऐसा मजदूर जो उस संस्था से सम्बद्ध रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का अधिकारी हो और इस सम्बन्ध में बने हुए नियमों के अनुसार इस प्रकार अभिज्ञात हो।

(४) प्रत्येक संस्था में उन मजदूरों की संख्या जो उपधारा ३ के प्रयोजनों के निमित्त संरक्षित मजदूर अभिज्ञात किये जायेंगे, कुल नियुक्त मजदूरों की संख्या के एक प्रतिशत से अधिक न होगी किन्तु कम से कम यह संख्या पांच होगी और अधिकाधिक एक सौ होगी तथा उपर्युक्त प्रयोजन के निमित्त राज्य सरकार संस्था से संबद्ध विभिन्न ट्रेड यूनियनों में, यदि कोई हों, संरक्षित मजदूरों के वितरण की व्यवस्था के सम्बन्ध में तथा रीति जिसके अनुसार वे चुने जायेंगे तथा संरक्षित मजदूरों के रूप में अभिज्ञात होंगे, नियम बना सकती है।

(५) जब कोई भी मालिक उपधारा (२) के प्रतिबन्धक के अधीन बोर्ड, श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण के पास अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की स्वीकृति के लिए प्रार्थना-पत्र दे तो सम्बद्ध प्राधिकारी अविलम्ब ऐसे प्रार्थना-पत्र की यथासंभव शीघ्रता से सुनवाई करेगा और तद्विषयक ऐसी आज्ञा पारित करेगा जिसे वह उचित समझे।

कार्यवाहियों के विचार-काल में सेवा आदि के प्रतिबन्धों में परिवर्तन के सम्बन्ध में न्यायिक विचार के निमित्त विशेष व्यवस्था।

६-च---जब किसी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के विचारकाल में कोई मालिक धारा ६-ङ के उपबन्धों का उल्लंघन करे तब ऐसे उल्लंघन से क्षुब्ध कोई भी मजदूर, श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के पास, जैसी भी दशा हो, लिखित रूप से परिवाद प्रस्तुत कर सकता है तथा इस परिवाद की प्राप्ति पर श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण, जैसी भी दशा हो, उस परिवाद पर इस प्रकार विचार करेगा मानों कि वह इस अधिनियम के अधीन उसके पास अभिदिष्ट अथवा उस के समक्ष विचाराधीन झगड़ा हो तथा वह अपना निर्णय राज्य सरकार के पास प्रस्तुत करेगा और इस अधिनियम के उपबन्ध उस पर तदनुसार लागू होंगे।

कुछ कार्यवाहियों को संक्रमित करने का अधिकार।

६-छ---(१) राज्य सरकार लिखित आज्ञा देकर तथा उस आज्ञा में उल्लिखित कारण पर इस अधिनियम के अधीन किसी भी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन कार्यवाहियों को वापस ले सकती है अथवा किसी विचाराधीन कार्यवाही को एक श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण से दूसरे श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को, जैसी भी दशा हो, उन कार्यवाहियों के विस्तारणार्थ संक्रामित कर सकती है तथा वह श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण जिसे कार्यवाहियां इस प्रकार संक्रामित की जायं संक्रमण आज्ञा में उल्लिखित किन्हीं विशेष आदेशों के अधीन रहते हुये या तो नये सिरे से या उस चरण से जहां से कार्यवाहियां संक्रामित हुई हों, सुनवाई आरम्भ करेगा :

किन्तु प्रतबन्ध यह है कि जब धारा ६-ङ अथवा धारा ६-च के अधीन कोई कार्यवाही किसी न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन हो तो वह कार्यवाही श्रम न्यायालय को भी संक्रामित की जा सकती है।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, कोई भी न्यायाधिकरण यदि राज्य सरकार ने उसे इस प्रकार प्राधिकृत किया हो, तो धारा ६-च अथवा ६-ङ के अधीन अपने समक्ष विचाराधीन किसी

कार्यवाही को ऐसी कार्यवाहियों के निस्तारण के लिये राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञापित करके ऐसी कार्यवाहियों के निर्दिष्ट श्रम न्यायालयों में किसी को संक्रामित कर सकती है तथा वह श्रम न्यायालय जिसे इस प्रकार कार्यवाही संक्रामित की गयी हो उसे निस्तारित करेगा ।

मालिक द्वारा देय धनराशि की वसूली ।

६–ज (१)—जब किसी मालिक द्वारा धारा ६–य से ६–द के उपबन्धों के अधीन अथवा किसी निपटारे अथवा निर्णय, अथवा संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ ई० के अधीन उत्तर प्रदेश औद्योगिक (संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५६ के प्रारम्भ से पूर्व, कोई धनराशि किसी मजदूर को देय हो तो वसूली के अन्य किसी ढंग को बाधित न करते हुये मजदूर राज्य सरकार के पास धनराशि की वसूली के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है और यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसी कोई धनराशि देय है तो राज्य सरकार उस धनराशि का प्रमाण-पत्र कलेक्टर को दे देगी जो उसे उसी प्रकार वसूल करने की कार्यवाही करेगा मानो कि वह मालगुजारी की बकाया हो ।

(२) जब कोई मजदूर मालिक से कोई ऐसा लाभ पाने का अधिकारी हो जो धनराशि के रूप में आकलित हो सकता हो तो ऐसी धनराशि जो लाभ के आधार पर आकलनीय हो, उन नियमों के अधीन रहते हुये जो इस सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन बनाए जायं, ऐसे श्रम न्यायालय द्वारा जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट करे अवधारित की जायेगी, तथा इस प्रकार अवधारित धनराशि उसी रीति से वसूल की जायेगी जिसकी व्यवस्था उपधारा (१) में की गई है ।

(३) किसी भी लाभ की धनराशि का आकलन करने के प्रयोजन से श्रम न्यायालय, यदि वह उचित समझे, नियत रीति से एक आयुक्त नियुक्त करेगा जो ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात् जो आवश्यक हो श्रम न्यायालय के समक्ष आख्या प्रस्तुत करेगा तथा श्रम न्यायालय आयुक्त की आख्या पर तथा मामले की अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् इस धनराशि का अवधारण करेगा ।

पक्षों का प्रतिनिधित्व ।

६–झ (१)—उपधारा (२) तथा (३) के अधीन रहते हुये किसी औद्योगिक झगड़े के पक्ष किसी बोर्ड, श्रम न्यायालय, अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष नियत रीति से प्रतिनिधित्व पा सकेंगे ।

(२) किसी बोर्ड के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही का कोई भी पक्ष वकील द्वारा प्रतिनिधायित नहीं हो सकेगा तथा किसी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही से सम्बद्ध कोई पक्ष तब तक वकील द्वारा प्रतिनिधायित न हो सकेगा जब तक वह विरोधी पक्ष की, तथा श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी की, जैसी भी दशा हो, अनुमति न प्राप्त कर ले ।

ऐक्ट संख्या १६, १९२६ ।

(३) किसी यूनियन का कोई भी अधिकारी तब तक किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिये अधिकृत न होगा जब तक कि

इंडियन ट्रेड यूनियन ऐक्ट, १९२६ के अधीन यूनियन की रजिस्ट्री हुए दो वर्ष न हो गए हों :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह उपधारा यूनियनों के फेडरेशन के किसी अधिकारी पर लागू न होगी ।

कुछ दशाओं में कामबन्दी (lay-off) की व्यवथा का लागू न होना ।

६–ञ (१)—धारा ६–ट से ६–ड (जिसमें ६–ड भी सम्मिलित है ।) तक सभी धारायें—

(क) उस औद्योगिक संस्था पर जिसमें पूर्वगामी कलेन्डर मास (calender month) में औसतन ५० से कम मजदूर नियुक्त रहे हों अथवा

(ख) उन औद्योगिक संस्थाओं पर जो मौसम विशेष में कार्य करती हों अथवा जहां सविराम रूप में (intermittently) से कार्य होता हो,

लागू नहीं होगी ।

(२) यदि यह प्रश्न उठे कि कोई भी औद्योगिक संस्था मौसमी है अथवा वहां सविराम रूप से कार्य होता है तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।

स्पष्टीकरण:—इस धारा में तथा धारा ६–ट, ६–ठ और ६–म में शब्द "औद्योगिक सस्था" से तात्पर्य है—

(१) फैक्टरीज ऐक्ट १९४८ की धारा २ के खंड (एम) में परिभाषित फैक्टरी, अथवा — ऐक्ट संख्या ४३, १९४८ ।

(२) माइन्स ऐक्ट, १९५२ की धारा २ के खंड (जे) में परिभाषित माइन (खान), अथवा — ऐक्ट संख्या २५, १९५२ ।

(३) प्लान्टेशन लेबर ऐक्ट, १९५१ की धारा २ के खंड (एफ) में परिभाषित प्लान्टेशन । — ऐक्ट संख्या ४९, १९५१ ।

प्रतिकर के निमित्त कामबन्दी (laid off) मजदूरों का अधिकार ।

६–ट–(१) जब कभी कोई मजदूर (प्रतिस्थानीय अथवा आकस्मिक मजदूर से भिन्न) जिसका नाम औद्योगिक संस्था की उपस्थिति नामावली में हो और जिसने मालिक की अधीनता में कम से कम एक वर्ष की अविराम सेवा पूर्ण की हो, कामबन्दी पर रहे तो उसे मालिक द्वारा बीच में पड़ने वाले साप्ताहिक अवकाशों को छोड़ कर उन समस्त दिनों के लिए जिसमें वह इस प्रकार कामबन्दी पर रहे, प्रतिकर दिया जायगा जो महंगाई के भत्ते सहित उसके उस मूल वेतन के पचास प्रतिशत के समकक्ष होगा, जो उसे देय होता यदि वह कामबन्दी पर न हुआ होता :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि बारह महीनों की अवधि में किसी भी मजदूर को देय प्रतिकर पैंतालिस दिन से अधिक का नहीं होगा ।

(२) उपधारा (१) के प्रतिबन्धक में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी भी बारह महीनों की अवधि में कोई मजदूर पैंतालिस दिन से अधिक की अवधि के लिए अविरामतः अथवा सविरामतः कामबन्दी पर रहे तथा प्रथम पैंतालिस दिन की अवधि के पश्चात् की कामबन्दी एक सप्ताह या अधिक की हो तो उस मजदूर को, जब तक कि उसके और मालिक के बीच कोई विपरीत करार न हुआ हो, पश्चातवर्ती एक सप्ताह अथवा उससे अधिक की कामबन्दी के निमित्त उपधारा (१) में निर्दिष्ट दर से प्रतिकर दिया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन पड़ने वाले किसी मामले में किसी भी मालिक के लिये वह वैध होगा कि कामबन्दी के प्रथम पैंतालिस दिनों की समाप्ति के पश्चात् धारा ६–ढ में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार किसी भी समय मजदूर की छटनी कर दे और जब वह ऐसा करे तो कामबन्दी के निमित्त पूर्वगामी बारह महीनों में मजदूर को दिया हुआ प्रतिकर छटनी के निमित्त दिये जाने वाले प्रतिकर में से मुजरा किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण––"प्रति स्थानीय मजदूर" से तात्पर्य है ऐसा मजदूर जो किसी औद्योगिक संस्था के किसी उस मजदूर के स्थान पर जिसका नाम संस्था की उपस्थिति नामावली में दर्ज हो, नियुक्त हुआ हो, किन्तु इस धारा के प्रयोजनों के निमित्त वह प्रतिस्थानीय मजदूर न माना जायगा यदि उसने उस संस्था में एक वर्ष की अविराम सेवा कर ली हो।

प्रत्येक मालिक का कर्त्तव्य होगा कि वह मजदूरों की उपस्थिति नामावली कायम रक्खे।

६–ठ––इस बात के होते हुये भी कि किसी औद्योगिक संस्था के मजदूर कामबन्दी पर रखे जा चुके हैं, प्रत्येक मालिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह धारा ६–ञ से ६–द तक के प्रयोजनों के निमित्त उपस्थिति नामावली रक्खे तथा उन मजदूरों के लिये, जो सामान्य कार्य के घंटों में निश्चित समय पर संस्था में काम करने के लिये उपस्थित हों, उस उपस्थिति नामावली में इन्दराज करने की व्यवस्था करे।

कुछ मामलों में मजदूर प्रतिकर के अधिकारी न होंगे।

६–ड––कोई भी वह मजदूर जो कामबन्दी पर रहा हो प्रतिकर पाने का अधिकारी न होगा।

(१) यदि वह उसी संस्था में जहां वह कामबन्दी पर रहा हो वैकल्पिक कार्य स्वीकार न करे अथवा उसी मालिक के उसी नगर, गांव अथवा उस संस्था से पांच मील के अर्द्धव्यास में स्थित दूसरी संस्था में ऐसा वैकल्पिक काम करने से इंकार कर दे जिसमें मालिक के मतानुसार किसी विशेष कुशलता अथवा पूर्व अनुभव की अपेक्षा न हो अथवा जो उस मजदूर द्वारा किया जा सकता हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस मजदूर को इस वैकल्पिक काम में वही वेतन दिया जाय जो सामान्यतः उसे मिला होता,

(२) यदि वह निश्चित समय पर सामान्य काम के घंटों में कम से कम दिन में एक बार संस्था में काम करने के लिये उपस्थित न हो,

(३) यदि ऐसी कामबन्दी संस्था के किसी अन्य भाग में मजदूरों द्वारा की गई हड़ताल अथवा उत्पादन के शिथिलीकरण के फलस्वरूप हो ।

मजदूरों की छटनी से पूर्व के प्रतिबन्ध ।

६-ढ--किसी उद्योग में नियुक्त किसी मजदूर की जो किसी मालिक की अधीनता में एक वर्ष तक अविराम सेवा कर चुका हो मालिक द्वारा तब तक छटनी नहीं की जायगी जब तक कि--

(क) मजदूर को एक महीने की लिखित नोटिस जिसमें छटनी के कारण उल्लिखित होंगे न दे दी गयी हो तथा नोटिस की अवधि न व्यतीत हो गयी हो, अथवा मजदूर को ऐसी नोटिस के उपलक्ष में नोटिस की अवधि का वेतन न दे दिया गया हो ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब यह छटनी किसी ऐसे करार के अधीन हो जिसमें सेवा के अवसान का दिनांक निर्दिष्ट किया जा चुका हो तो इस प्रकार की नोटिस आवश्यक न होगी ।

(ख) मजदूर को छटनी के समय प्रतिकर न दे दिया गया हो जो सेवा के प्रत्येक पूर्ण अथवा वर्ष के ६ महीने से अधिक मास के लिए पंद्रह दिन के औसत वेतन के समकक्ष हो ; तथा

(ग) राज्य सरकार पर नियत रीति से नोटिस तामील कर दी गयी हो ।

उन व्यवसायों में नियुक्त मजदूरों के सम्बन्ध में जो संक्रामित हों, विशेष व्यवस्थाएं ।

६-ण--धारा ६-ढ में किसी बात के होते हुए भी कोई भी मजदूर उस धारा के अधीन केवल इसी कारण प्रतिकर पाने का अधिकारी न होगा कि उस संस्था का स्वामित्व अथवा प्रबन्धक वर्ग, चाहे करार के फलस्वरूप चाहे विधि परिवर्तनवश एक मालिक से दूसरे मालिक को संक्रामित हो गया हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि--

(क) इस संक्रमण के फलस्वरूप मजदूर की सेवा में कोई विघ्न न पड़ा हो,

(ख) ऐसे संक्रमण के पश्चात्वर्ती सेवा की मजदूर पर लागू शर्तें और प्रतिबन्ध संक्रमण से तत्काल पूर्व मजदूर पर लागू सेवा की शर्तों और प्रतिबन्धों से किसी भी प्रकार कम लाभकर न हों, तथा

(ग) वह मालिक जिसे व्यवसाय का स्वामित्व अथवा प्रबन्ध संक्रामित हुआ हो, संक्रमण के प्रतिबन्धों के अधीन अथवा अन्य किसी प्रकार से मजदूर को छटनी होने की दशा में उसकी सेवा अविराम तथा संक्रमण द्वारा बाधा ग्रस्त न होने के आधार पर प्रतिकर का वैधरूपेण देनदार हो ।

छटनी की प्रक्रिया

६-त--जब किसी औद्योगिक संस्था के किसी मजदूर की जो भारत का नागरिक हो, छटनी करनी हो और वह उस संस्था में मजदूरों की किसी विशेष श्रेणी में हो, तो मालिक अपने तथा मजदूर के मध्य इस सम्बन्ध में

किसी करार के अभाव में साधारणतया उस मजदूर की ही छटनी करेगा जो उस श्रेणी में सबसे आखिर में नियुक्त हुआ हो जब तक कि मालिक ऐसे कारणों वश जिन्हें वह अभिलिखित करेगा, अन्य किसी मजदूर की छटनी न कर दे।

छटनी किये गये मजदूरों की पुनर्नियुक्ति।

६-थ--जब किन्हीं मजदूरों की छटनी की गयी हो तथा मालिक किसी व्यक्ति को अपने पास नियुक्त करने का प्रस्ताव करे तो वह ऐसी रीति से जो निर्दिष्ट की जाय छटनी किये गये मजदूरों को उनकी पुनर्नियुक्ति के लिए अवसर देगा, तथा छटनी किये गये मजदूरों को जो अपने को पुनर्नियुक्त कराना चाहें, अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिमान मिलेगा।

६-ञ से ६-थ तक धाराओं से असंगत विधियों का प्रभाव।

६-द(१)--६-ञ से लेकर ६-थ तक की धाराओं के उपबन्ध किसी अन्य विधि में [जिसके अन्तर्गत इन्डस्ट्रियल इम्प्लायमेंट (स्टैंडिंग आर्डर्स) ऐक्ट, १९४६ के अधीन स्थायी आज्ञाएं भी हैं] कोई असंगत (inconsistent) बात होते हुए भी प्रभावी होंगे ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम में उल्लिखित किसी बात का यह प्रभाव नहीं होगा कि वह किसी भी मजदूर को किसी ऐसे अधिकार से वंचित रक्खे, जो उसे मिनिमम वेजेज ऐक्ट, १९४८ अथवा तदन्तर्गत प्रचारित किसी विज्ञप्ति अथवा आज्ञा के अधीन अथवा मालिक के साथ तत्समय क्रियाशील (in operation) किसी निर्णय अथवा संविदा के अधीन उसे उपलब्ध हो।

(२) सन्देहों के निवारणार्थ एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि धारा ६-ञ से ६-द तक में उल्लिखित कोई भी बात तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के उपबन्धों पर उस सीमा तक प्रभाव न डालेगी जहां तक उस विधि में औद्योगिक झगड़ों को निपटाने की व्यवस्था की गयी हो। किन्तु मालिकों और मजदूरों के अधिकार और दायित्व, जहां तक कि उन का सम्बन्ध कामबन्दी (lay off) तथा छटनी से हो, धारा ६-अ से ६-ञ तक के उपबन्धों के अनुसार अवधारित किये जायेंगे।"

सं० प्रा० ऐक्ट संख्या २८, १९४७ की धारा ७ का संशोधन।

८--मूल अधिनियम की धारा ७ में शब्द "तीसरी, चौथी और पांचवीं धाराओं" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के उपबन्धों के" रख दिये जायं।

सं० प्रा० ऐक्ट, संख्या २८, १९४७ में ११-क से ११-च तक की नयी धाराओं का रखा जाना।

९--मूल अधिनियम की धारा ११ के पश्चात् नयी धाराओं ११-क से ११-च तक के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय :--

अधिकारों का प्रतिनिधायन (delegation)।

"११-क--राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके यह आदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन ऐसे विषयों के सम्बन्ध में तथा ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जो आदेशों में निर्दिष्ट की जायं, उस के द्वारा प्रयोक्तव्य (exercisable) कोई भी अधिकार राज्य सरकार

के अधीनस्थ उन अधिकारियों तथा प्राधिकारियों द्वारा भी प्रयोग में लाये जा सकेंगे जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जायं ।

कठिनाइयों के निवारण का अधिकार।

११-ख--(१) यदि राज्य सरकार की राय में निर्णय अथवा निपटारे के किसी उपबन्ध के निर्वचन (interpretation) के सम्बन्ध में कोईकठिनाई अथवा सन्देह उत्पन्न हो तो वह इस प्रश्न को उस श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को अभिदिष्ट करेगी जिसे वह उचित समझे ।

(२) श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण जिसे ऐसे प्रश्न सौंपे जायं, पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस प्रश्न का निर्णय करेगा और उसका निर्णय अन्तिम तथा समस्त पक्षों पर बन्धककारी होगा ।

स्थायी आदेशों का निर्वचन इत्यादि।

११-ग--यदि इन्डस्ट्रियल इम्प्लायमेंट (स्टैन्डिग आर्डर) ऐक्ट, १९४८ के अधीन प्रमाणित स्थायी आदेश के लागू होने अथवा उसके निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठे, तो कोई भी मालिक अथवा मजदूर उस प्रश्न को, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसी कार्यवाहियों के निस्तारण के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट श्रम न्यायालयों में से किसी एक को सौंप सकता है, तथा वह श्रम न्यायालय जिसे उक्त प्रश्न सौंपा जाय पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उक्त प्रश्न का निर्णय करेगा और ऐसा निर्णय अन्तिम तथा पक्षों पर बन्धककारी होगा ।

समझौता अधिकारियों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों का "जनसेवक" होना।

११-घ--प्रत्येक समझौता अधिकारी तथा बोर्ड का प्रत्येक सदस्य तथा अध्यक्ष (Chairman) तथा श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण का प्रत्येक पीठासीन अधिकारी इंडियन पेनल कोड, १९०८ की धारा २१ के अर्थ में जन-सेवक (public servant) समझा जायगा ।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त श्रम न्यायालय तथा न्यायाधिकरण का दीवानी न्यायालय समझा जाना।

११-ङ--कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ की धारा १८० तथा १८२ के प्रयोजनों के निमित्त प्रत्येक श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण दीवानी न्यायालय समझा जायगा ।

११-च--(१) यदि कोई व्यक्ति--

अवमान के सम्बन्ध में श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के अधिकार।

(क) जब उसे किसी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा कोई लेख्य प्रस्तुत करने अथवा देने के निमित्त आज्ञा दी जाय और वह उसके पालन के लिए विधिक रूप से बाध्य होते हुए भी जान-बूझ कर ऐसा न करे, अथवा

(ख) जब उसे शपथ अथवा प्रतिज्ञान द्वारा सत्य बोलने के निमित्त अपने को बाध्य करने के लिए कोई श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण आदेश दे, परन्तु वह वैसा करने से इन्कार करे, अथवा

(ग) किसी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष किसी भी विषय पर विधितः सत्य कहने के लिये बाध्य होने पर भी अपने से उस विषय पर ऐसे श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार करे, अथवा

(घ) अपने द्वारा दिये गये किसी वक्तव्य पर, श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा उस पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा करने पर, हस्ताक्षर करने से इन्कार करे, अथवा

(ङ) किसी भी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के प्रति उनके समक्ष होने वाली न्यायिक कार्यवाही के किसी भी स्तर पर जानबूझ कर अपमान करे अथवा कोई विघ्न डाले, तो वह यथास्थिति ऐसे श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण के अपमान का दोषी समझा जायगा।

(२) यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करे अथवा कोई ऐसा लेख प्रकाशित करे जिससे किसी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण पर अनुचित प्रभाव पड़ सकता हो, अथवा जिससे ऐसे श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण, अथवा उसके पीठासीन अधिकारी की बदनामी अथवा अवमान अथवा उसके प्राधिकार में हीनत्व होने की संभावना हो, अथवा जिससे किसी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के विधिक व्यवहार में बाधा पड़ने की संभावना हो तो वह व्यक्ति यथास्थिति श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के अवमान का दोषी समझा जायगा।

(३) श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को अपने प्रति किये गये अवमान के संबंध में वही क्षेत्राधिकार, शक्ति तथा प्राधिकार प्राप्त होंगे तथा वह उसी प्रक्रिया एवं प्रथा के अनुसार उन्हें प्रयुक्त करेगा जो हाईकोर्ट को इस संबंध में प्राप्त हैं तथा जिनका हाईकोर्ट अपने संबंध में प्रयोग करता है।

सं० प्रा० ऐक्ट सं० २८, १९४७ की धारा १२ का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की धारा १२ के स्थान पर निम्नलिखित नयी धारा १२ तथा १२-क के रूप में रख दी जायें—

ऐक्ट सं० १४, १९४७।

"१२—जब तक कि इस अधिनियम के अधीन दी गयी किसी आज्ञा में इसके विपरीत स्पष्ट व्यवस्था न की गयी हो तब तक इस अधिनियम में कोई भी बात राज्य सरकार के किसी भी औद्योगिक झगड़े के अथवा तत्सम्बन्धी विषयों को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ के अधीन अभिदिष्ट करने के अधिकार पर अथवा उस ऐक्ट के उपबन्धों के अनुसार किसी आख्या अथवा निपटारे के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगी।

१२-क--सन्देहों के निवारणार्थ एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम में कोई भी बात केन्द्रीय सरकार को तत्समय प्रचलित इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ के अधीन नेशनल ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय न्यायाधिकरण) बनाने से अथवा ऐसे ट्रिब्यूनल को उस ऐक्ट के अधीन ऐसे किसी भी अधिकार के प्रयोग से वंचित करने वाली न समझी जायगी।" संदेहों का निवारण

११--मूल अधिनियम की धारा १९ में शब्द "पालन के लिये" और शब्द "कोई लिखित हुक्म दे" के बीच में शब्द "निर्णय (award) से भिन्न" रख दिये जायं। मूल अधिनियम की धारा १९ का संशोधन।

१२--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २३ उपधारा (१) के रूप में पुनः परिगणित की जायगी और उसके पश्चात् उपधारा (२) तथा (३) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जायगा : मूल अधिनियम की धारा १३ का संशोधन।

"(२) पूर्वोक्त अधिकार की सामान्यता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :--

(क) श्रम न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की रीति तथा उनकी नियुक्ति की शर्तें;

(ख) श्रम न्यायालय तथा न्यायाधिकरण को अभिदेश करने की रीति;

(ग) समझौता अधिकारियों की नियुक्ति की रीति तथा उनकी नियुक्ति की शर्तें;

(घ) समझौता कार्यवाहियों में अनुसरणीय प्रक्रिया;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा निर्णायक प्राधिकारी को निर्णय भेजने की रीति;

(च) निपटारों को पंजीबद्ध करने की रीति;

(छ) मजदूरों की उपस्थिति नामावलियां (muster rolls) रखने की रीति तथा उनका आकार (form);

(ज) वे विषय जो नियत किये जाने हों या किये जा सकें।

(३) इस धारा के अधीन निर्मित समस्त नियम उनके निर्मित होने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रखे जायेंगे।"

१३--मूल अधिनियम की धारा २३ के पश्चात् निम्नलिखित प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय अनुसूची के रूप में बढ़ा दिया जाय, यथा-- मूल अधिनियम में अनुसूचियों का रखा जाना।

प्रथम अनुसूची

(धारा ४-क देखिये)

(श्रम न्यायालयों के अधिक्षेत्र के अन्तर्गत विषय)

१--स्थायी आदेश के अधीन मालिक द्वारा प्रचारित आज्ञा का औचित्य तथा उसकी वैधता,

२--स्थायी आदेशों का लागू होना तथा उनका निर्वचन,

३---मजदूरों की बरखास्तगी तथा उनका सेवा मुक्त किया जाना जिसके अन्तर्गत दोषपूर्ण ढंग से बरखास्त किये गये मजदूरों को फिर से उनके पद पर नियुक्त करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना भी है।

४---किसी प्रचलित रिआयत अथवा विशेषाधिकार का वापस लिया जाना;

५---किसी भी हड़ताल अथवा द्वारावरोध की अवैधता अथवा अन्यथा (legality or otherwise); तथा

६---द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट विषयों से भिन्न समस्त विषय।

द्वितीय अनुसूची

(धारा ४-ख देखिये)

(श्रम न्यायाधिकरणों के अधिक्षेत्र के अन्तर्गत विषय)

१---मजदूरी, जिसके अन्तर्गत भुगतान की अवधि तथा ढंग है,

२---प्रतिकरात्मक तथा अन्य भत्ते,

३---कार्य के घंटे तथा विश्राम के मध्यान्तरण (rest intervals),

४---मजदूरी सहित अवकाश तथा छुट्टियां,

५---बोनस, लाभांश, भविष्य निधि तथा उपदान,

६---स्थायी आदेशों की प्रणाली से भिन्न पारी का संचालन,

७---वेतन क्रम के अनुसार वर्गीकरण,

८---अनुशासन के नियम,

९---अभिनवीकरण (rationalization),

१०---मजदूरों की छटनी तथा संस्था का बन्द होना; तथा

११---अन्य कोई विषय जो निर्दिष्ट किये जायं।

तृतीय अनुसूची

(धारा ४-झ देखिये)

(सेवा की शर्तें जिनके परिवर्तन के लिये, नोटिस दिया जाना चाहिये)

१---मजदूरी जिसके अंतर्गत भुगतान की अवधि तथा ढंग भी है,

२---मालिक द्वारा भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति निधि (pension fund) या तत्समय प्रचलित किसी विधि के अधीन मजदूरों के लाभ के लिये प्रदत्त अथवा देय अंशदान,

३---प्रतिकरात्मक तथा अन्य भत्ते,

४---कार्य तथा अवकाश (rest interval) के घंटे,

५---मजदूरी सहित अवकाश (leave with wages) तथा छुट्टियां (holidays),

६--स्थायी आदेशों से भिन्न प्रकार से पारियों के संचालन का प्रारम्भ, परिवर्तन तथा उनकी समाप्ति,

७--वेतनक्रमों (grades) के अनुसार वर्गीकरण,

८--किसी प्रचलित रिआयत या विशेषाधिकार का वापस लिया जाना या किसी प्रथा (usage) में परिवर्तन करना,

९--जहां तक कि स्थायी आदेशों में व्यवस्था है उसे छोड़कर अनुशासन के नये नियमों का पुरः स्थापन अथवा वर्तमान नियमों में परिवर्तन,

१०--अभिनवीकरण (rationalization), प्रतिमानीकरण (standardization) अथवा स्थिर यंत्रों अथवा प्राविधिकता (plant or technique) में सुधार जिससे मजदूरों की छटनी सम्भाव्य हो।

११--किसी भी व्यवसाय अथवा प्रक्रिया अथवा विभाग अथवा पारी में नियुक्त या नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में बढ़ती अथवा घटती (आकस्मिकता से भिन्न), जो किन्ही मजबूरियों के कारण न हो।

अपवाद सं० प्रा० ऐक्ट संख्या २८, १९४७।

१४--यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी औद्योगिक झगड़े के संबंध में संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ जैसा कि वह इस प्रारम्भ के पूर्व प्रचलित था के अधीन संघटित किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाही विचाराधीन हो तो उस झगड़े का निर्णय और उक्त कार्यवाही का निस्तारण ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् उस अधिकारी द्वारा ऐसे किया जा सकेगा मानो यह अधिनियम पारित ही न हुआ हो।

संक्रमणकालीन कठिनाइयों का निवारण।

१५--(१) राज्य सरकार, किन्हीं भी कठिनाइयों के निवारणार्थ और विशेषतः उन कठिनाइयों के निवारणार्थ जो मूल अधिनियम के उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के संशोधनों के संक्रमण में उत्पन्न हों, आज्ञा द्वारा आदेश दे सकती है कि उपर्युक्त प्रकार से संशोधित अधिनियम तथा मूल अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित या प्रचारित नियम अथवा आज्ञायें इस अधिनियम के आरम्भ के पश्चात् दो वर्ष पर्यन्त ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए जो परिष्कार, परिवर्द्धन अथवा अकरण (modification, addition or omission) के रूप में किये जायं और जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक अथवा इष्टकर समझे, प्रभावी होंगे।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी प्रत्येक आज्ञा राज्य विधान सभा के दोनों सदनों के समक्ष रक्खी जायगी।

उद्देश्य और कारण

इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७, जो कि एक केन्द्रीय अधिनियम है, संसद के पारित इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (अमेन्डमेंट ऐक्ट मिसलेनियस प्राविजन्स) ऐक्ट, १९५६ द्वारा अभी हाल ही में संशोधित हुआ है। जो परिवर्तन किये गये हैं उन में से कुछ में इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (अपिलेट-ट्रिब्यूनल) ऐक्ट, १९५० के अधीन संस्थापित अपिलेट ट्रिब्यूनल का उन्मूलन, पद 'वर्कमैन' (मजदूर) की सीमा का विस्तार तथा लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल की संस्थापना की व्यवस्था है। एक परिवर्तन द्वारा मजदूरों की सेवा के प्रतिबन्धों में कोई तब्दीली करने से पूर्व मालिक द्वारा तत्सम्बन्धी नोटिस दिये जाने की व्यवस्था भी की गयी है। अब इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि झगड़े से सम्बद्ध पक्ष मध्यस्थ निर्णय द्वारा न्यायिक विचार कराने के निमित्त स्वेच्छा से अभिदेश कर सकेंगे। संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ ई० को केन्द्रीय अधिनियम के अनुरूप बनाने की तथा इसे यथाशक्य स्वयं में पूर्ण बनाने के लक्ष्य से यह निश्चय किया गया है कि इस राज्य के अधिनियम में उपर्युक्त परिवर्तन करके इन उपबन्धों का समावेश किया जाय। इसमें ऐसी शर्तें भी निर्दिष्ट की गयी हैं जिनका अनुपालन औद्योगिक न्यायालयों में औद्योगिक झगड़ों को ले जाने के सम्बन्ध में ट्रेड यूनियनें करेंगी।

यह विधेयक तदनुसार पुरःस्थापित किया जा रहा है।

जुगलकिशोर,
श्रम-मंत्री।

बी० एस० यू० पी०—यू० पी०—२३६ एल० ए०—१९५६—७९६।